विषय–सूची

क्रम संख्या	तारीख	विषय	पृष्ठ संख्या
	आमुख		
1.	5 अप्रैल, 1977	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर	1
2.	17 जून, 1977	लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री सम्मेलन में भाग लेने के संबंध में वक्तव्य	5
3.	14 नवम्बर, 1977	सोवियत संघ की यात्रा के बारे में वक्तव्य	11
4.	14 नवम्बर, 1977	फरक्का में गंगा जल के बंटवारे पर भारत और बंगलादेश की सरकारों के बीच समझौते के बारे में वक्तव्य	14
5.	12 दिसम्बर, 1977	नेपाल की यात्रा के बारे में वक्तव्य	21
6.	12 दिसम्बर, 1977	पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य	24
7.	24 फरवरी, 1978	सिडनी में हुई राष्ट्रमंडलीय देशों के राज्याध्यक्षों की क्षेत्रीय बैठक में भाग लेने के बारे में वक्तव्य	27
8.	6 मार्च, 1978	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर	30
9.	23 मार्च, 1978	अमरीका द्वारा तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए समृद्ध यूरेनियम की आपूर्ति स्थगित करने का निर्णय संबंधी समाचार	35
10.	17 अप्रैल, 1978	नन्दा देवी पर सी.आई.ए. द्वारा आण्विक उपकरण को लगाए जाने का समाचार	41
11.	11 मई, 1978	मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव	48
12.	20 जुलाई, 1978	बैल्जियम, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा के बारे में वक्तव्य	52
13.	20 दिसम्बर, 1978	पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य	57
14.	20 फरवरी, 1979	श्रीलंका की यात्रा के बारे में वक्तव्य	59

क्रम संख्या	तारीख	विषय	पृष्ठ संख्या
15.	28 फरवरी, 1979	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर	62
16.	26 मार्च, 1979	सोवियत संघ के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के बारे में वक्तव्य	73
17.	9 जुलाई, 1979	सोवियत संघ तथा अन्य पूर्वी यूरोप के देशों की यात्रा के बारे में वक्तव्य	76
18.	11 जुलाई, 1979	अंतरिक्ष प्रयोगशाला (स्काईलैब) के बारे में अद्यतन जानकारी देने वाला विवरण	80

ये भाषण लोक सभा वाद–विवाद के "संक्षिप्त अनुदित संस्करण" अथवा/और "हिन्दी संस्करण" से लिए गए हैं तथा यथास्थान अनुवाद दिया गया है। कृपया मूल भाषणों को देखने के लिए https://eparlib.nic.in/ पर जाएं।

आमुख

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर

5 अप्रैल, 1977

राष्ट्रपति के अभिभाषण की बहस का उत्तर देते हुए, मैं दोनों ही ओर के सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे उत्तेजनात्मक भाषा का प्रयोग न करें।

मुझे विपक्ष के नेता द्वारा जनता पार्टी को "विचित्र जन्तु" की संज्ञा दिए जाने से बड़ा दुःख हुआ है। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मैं कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु इतनी आशा करता हूं कि भविष्य में वे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे।

मुझे उनके इस कथन से भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के आर्थिक कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है। शायद उन्होंने अभिभाषण को ध्यान से सुना नहीं। उसमें आर्थिक कार्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख है। पर क्या वह ये चाहते थे कि मुश्किल से मिले 3-4 दिन में हम उसकी विगत भी उन्हें विस्तार से दे देते? हो सकता है कि उनमें ऐसा करने की क्षमता हो, कम से कम मुझमें तो नहीं है। भविष्य में हम जो करेंगे उससे ही हमारे कार्य का अनुमान लग सकता है।

एक माननीय सदस्य ने कहा: 21 वर्ष पहले क्या हुआ? यदि वे अपनी स्मरणशक्ति पर जोर दें तो वाद-विवाद के रिकार्ड से पता चलेगा कि इसका उत्तर एक बार नहीं, अनेकों बार दिया जा चुका है। उन्होंने बम्बई में लोगों को गोली से मार दिए जाने की बात कही। क्या उन्हें यह याद है कि सत्ताधारी कांग्रेस दल के किसी भी सदस्य ने इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई, जबकि वे महाराष्ट्र में बहुमत में थे। उनका कोई विरोध प्रकट न करना क्या मेरी उस कार्यवाही को उनके द्वारा दिया गया पर्याप्त समर्थन नहीं है। उस समय जो कुछ किया गया, ऐसी बात नहीं कि उस पर मुझे दुःख नहीं हुआ। परन्तु मुझे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा अन्यथा समूचा बम्बई शहर समाप्त हो सकता था। यदि यह न किया जाता तो बम्बई में कुछ न बचता।

दिल्ली में क्या हुआ? किसने यहां बुलडोजर चलाए? यह पिछली सरकार के प्रशासन ने किया। बिना उचित सूचना के मकानों को गिरा दिया गया। क्या लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? दिल्ली में जो कुछ हुआ, उसकी तुलना बम्बई की घटनाओं से कैसे कर सकते हैं? दिल्ली में हुई एक सभा में 5 लाख लोग शामिल हुए। इससे क्या लक्षित होता है? यह लोगों की भावनाओं का प्रदर्शन है। वे स्वयं वहां आए और शान्ति से हमारी बात सुनी।

श्री साठे ने गुजरात की घटनाओं का भी जिक्र किया। उसके लिए कौन जिम्मेदार था? इसके लिए वे लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने उन्हें उकसाया और युवकों को रुपया दिया। मैंने इसका विरोध किया और कहा कि यदि वे गलत काम करते रहे और मुझे अपने जीवन का बलिदान करना पड़ेगा और उसे रोकने के लिए मैंने अनशन किया। माननीय सदस्य ने कहा है कि हमने सत्याग्रह करने की घोषणा की। मुझे सन्देह है कि वे सत्याग्रह का अर्थ भी समझते हैं या नहीं।

किसी भी सरकार के हिंसा का सामना शक्ति से करने के कार्य में हमें गलती नहीं निकालनी चाहिए। सरकार को हिंसा होने पर शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ता है। परन्तु जब हिंसा न हो तब बल का प्रयोग क्यों किया जाए? वर्तमान सरकार के यह निश्चित आदेश हैं। परन्तु यदि कोई राज्य सरकार, जो हमारे नियन्त्रण में नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते। परन्तु ऐसा न हो इसके लिए कार्यवाही अवश्य की जाएगी।

विपक्ष के नेता ने कहा है कि अभिभाषण में किसी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है। कार्यक्रम तो है परन्तु उसे पूरी तरह समझाया नहीं गया है। पर क्या वे चाहते हैं हम उसे तुरन्त समझा दें। 20 सूत्रों को भी कहीं समझाया नहीं गया।

मैं अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे थोड़ा संयम बरतें और जनता पार्टी को विचित्र जानवर न कहें; आशा है कि भविष्य में संयम बरता जाएगा।

विपक्ष के नेता ने कहा कि जनता पार्टी थोड़े ही समय में बिखर जाएगी और अधिक दिन नहीं चल सकेगी। यह सम्भव नहीं है। तथ्य यह है कि गलत इच्छाओं के कारण ही कांग्रेस का पतन हुआ है। यदि विपक्षी नेता देश के लिए दो दल की प्रणाली अच्छी समझते हैं तो क्या हमें जनता पार्टी के बने रहने की कामना नहीं करनी चाहिए? यदि जनता पार्टी टूट जाती है तो इस देश का भविष्य अन्धकारमय है।

जब तक जनता पार्टी सत्ता में रहेगी, वह अपने कार्य से लोकतंत्र की परम्पराओं की स्थापना करेगी। यदि हम ऐसा करने में असफल रहे तो विपक्ष का कोई भी सदस्य इस ओर इंगित करे जिससे हम स्वयं को सुधार सकें।

तीन वर्ष पहले मैंने अपने मित्रों से कहा था कि जो कुछ हो रहा है, वह देश के भले के लिए हो रहा है। यह देश जब तक ठोकर नहीं खाता उभर नहीं सकता। हमें महात्मा गांधी के कारण बड़ी आसानी से स्वतंत्रता मिल गई। उसके लिए हमने पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई। वह कीमत हमने गत 20 महीनों में चुकाई और मुझे आशा है कि हमें और कीमत नहीं चुकानी होगी। यदि कोई कीमत चुकानी पड़ी तो हम उसे चुकाएंगे पर किसी अन्य को उसे चुकाने को बाध्य नहीं करेंगे। आशा है विपक्ष भी इस देश को महान बनाना चाहता है। इस प्रयत्न में हो सकता है हमसे गलतियां हों, परन्तु हमें एक दूसरे को उन्हें दूर करने में मदद करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो देश का भविष्य अच्छा होगा।

मुझे इस देश के उत्थान में पूरा विश्वास है। मेरा विश्वास है कि हम ऐसा समाज बना सकेंगे जिसे महात्मा गांधी राम राज्य की संज्ञा देते थे। ऐसा होने पर हम विश्व में भी ऐसी स्थिति बना सकेंगे। हमारी विदेश नीति भी ऐसी ही होगी। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति में कोई मतभेद नहीं है। हम प्रयत्न करेंगे कि इसमें कोई अन्तर न आए।

गुटनिरपेक्षता तभी बरती जा सकती है जबकि किसी प्रकार का कोई भय न हो परन्तु दुर्भाग्यवश गत 20 महीनों में देश भय के ऐसे वातावरण से गुजरा है जिससे इस देश के इतिहास में कोई सानी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि भय देश में न रहे अन्यथा

हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते और उन्नति नहीं कर सकते। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि वह लोगों के मन से भय बाहर निकालने में सरकार की मदद करें। परन्तु वह तभी हो सकता है जब हम अपने मन से डर निकाल दें। हम सरकार से हटने से नहीं डरते। पिछली सरकार इस डर से ग्रस्त थी। इसी कारण आपात स्थिति लागू की गई। आपात स्थिति का समर्थन किसने किया, स्वयं विपक्ष के नेता ने। परन्तु उस समय वे और कुछ कहने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। हम वह स्वतंत्रता लाना चाहते हैं। भय से मुक्त हुए बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता और हम उसे ही बनाए रखना चाहते हैं और उसके लिए हम सब कुछ करेंगे।

अभी तक क्या किया गया है इसकी आलोचना नहीं की गई है क्योंकि अभी कुछ अधिक हुआ ही नहीं है। कुछ बातें इधर-उधर ही कही गई हैं, इसलिए मुझे कोई उत्तर नहीं देना है। मैं विपक्ष से केवल यह अनुरोध करता हूं कि वह अपना सहयोग दें और जब वे हमारी आलोचना करें तो ऐसी करें कि वह बुरी न लगे।

*** *** ***1

पश्च टिप्पण

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर, 5 अप्रैल, 1977

1. **श्री ओ. वी. अलगेमन** : मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि सरकारिया आयोग को काम करने दिया जाएगा।

श्री मोरारजी देसाई : सरकारिया आयोग का काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा होने पर आगे की कार्रवाई होगी। श्री सरकारिया से अपना काम शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने को कहा गया है।

लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री सम्मेलन में भाग लेने के संबंध में वक्तव्य

17 जून, 1977

जैसा कि सदन को मालूम है, राष्ट्रमण्डलीय राज्याध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के बाद, आज सुबह मैं यहां वापस आया हूं। इस यात्रा के दौरान, ईरान के शाहंशाह के निमंत्रण पर कुछ घंटे मैं तेहरान रुका, और फ्रांस के राष्ट्रपति के अतिथि के रूप में एक दिन के लिए पेरिस भी रुका। दोनों हमारे पुराने और सम्मानित मित्र हैं जिनके साथ मैत्री और मजबूत करके मुझे खुशी हुई। इनके साथ अपनी बातचीत में हम केवल अपने सामान्य हितों के मामलों में आपसी सहयोग बढ़ाने में समर्थ हुए और विश्व की समस्याओं खास तौर से ऊर्जा के संबंध में हमने अपने दृष्टिकोण में काफी समानता पाई।

हमारी सरकार द्वारा कार्यभार सम्भालने के बाद यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। यह संतोष की बात है कि लोकतांत्रिक चुनाव तथा व्यवस्थित सत्ता परिवर्तन से भारत की इज्जत न केवल फिर से लौटी है, बल्कि इस अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में यह इज्जत बढ़ी है। शाहंशाह, ब्रिटिश सरकार तथा फ्रांस के नेताओं के साथ ही नहीं, बल्कि राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य राज्याध्यक्षों, समाचार माध्यम तथा जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ अपनी बातचीत में लोकतंत्रात्मक प्रणाली के प्रति वचनबद्धता तथा निष्ठा में भारतीय जनता की परिपक्वता की सरहाना हुई है। विभिन्न मौकों पर जब मुझसे प्रश्न पूछे गये तो मैंने बताया कि प्रजातंत्र की जड़ भारत की प्राचीन सभ्यता में जमी है। विदेशी शासन तथा इमरजेंसी जैसी पथभ्रष्टता हमारे मूल्यों तथा राष्ट्रीय स्वभाव के विपरीत है। हाल के चुनावों से यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता में निर्भय होकर निर्णय करने तथा अपने शासकों को चुनने का जन्मजात नैतिक साहस है। निजी और सार्वजनिक तौर पर सभी संबंधित व्यक्तियों को विश्वास दिला चुका हूं कि भारत की नई सरकार, जिसमें भारतीय जनता ने आस्था व्यक्त की है, लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति पूर्ण रूप से वचनबद्ध है; और यह इस बात को सुनिश्चित करेगी कि हमारे संविधानिक सिद्धांतों को फिर कभी विकृत न किया जा सके। मुझ से कहा गया कि भारतीय जनता का असाधारण साहस और दूरदर्शिता एक गुण था और सम्पूर्ण विश्व के समान विचार रखने वाले लोगों के लिए एक प्रोत्साहन था। इसलिए जो भी सफलता, आदर–सत्कार तथा सम्मान मुझे मिला वह हमारी जनता की प्रशस्ति है जिन्होंने दुनिया के सामने अपने फैसले से लोकतंत्रात्मक मूल्यों में अपनी आस्था, निरंकुशता के प्रति अपनी असहमति तथा एक ऐसी सरकार चुनने का विवेक का प्रदर्शन किया जिसमें उनका विश्वास हो कि वह सेवा कर सकती है।

राष्ट्रमण्डलीय राज्याध्यक्ष सम्मेलन आठ साल बाद लंदन में हुआ। मैं यही कहना चाहूंगा कि यह राष्ट्रमण्डल स्वतंत्र राज्यों की एक संस्था है जो अपनी आंतरिक और विदेशी नीतियों में पूरी स्वतंत्र हैं। इनमें कुछ ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा रखते हैं कुछ दूसरे हैं जिनके यहां उनकी अपनी राजतंत्रीय प्रणाली है और कुछ हमारे जैसे भी हैं जहां पूर्णरूप से गणतंत्रात्मक संविधान है, लेकिन

अपने देश के हितों के अनुरूप अपने विचार व्यक्त करने के लिए वे स्वतंत्र हैं और सामान्य हितों की समस्याओं के प्रति सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए प्रेरित हैं।

यह राष्ट्रमण्डल, जैसा कि सदन को मालूम है, बहुजातीय तथा बहुमहाद्वीपीय राष्ट्र समुदाय है जिसमें मानव जाति का एक चौथाई भाग है। इसमें कुछ अमीर तथा मजबूत हैं और कुछ छोटे तथा कमजोर हैं। लेकिन सभी हितों की समानता तथा अन्योन्याश्रय के तर्क को मानते हैं। जहां तक जनसंख्या का सवाल है, भारत इसके कुल निवासियों के आधे से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह राष्ट्र मण्डल की न तो बनावट है न यह विस्तृत कार्याविधियों से नियमतित है। यह सम्पूर्ण राष्ट्र समुदाय की विभिन्नता का दर्पण है। इसकी विशेषता है अनौपचारिकता तथा सहयोग की परम्परा, जो कि शायद अद्वितीय है। यह राष्ट्रमण्डल, जैसा कि अब इसका गठन हुआ है, एक ऐसे प्रकार का संतुलन प्रदान करता है जिसे हम दुनिया में देखना चाहते हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो आगे सम्पूर्ण विश्व के राष्ट्रमण्डल के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकती है।

यह सम्मेलन मेरे पुराने दोस्त तथा यू.के. के प्रधानमंत्री श्री जेम्ज़ कैल्हन की अध्यक्षता में हुआ। वे एक प्रशंसनीय अध्यक्ष साबित हुए, जिनके मिलनसार तथा हंसमुख स्वभाव और विभिन्न प्रश्नों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण से एक सामान्य दृष्टिकोण अपनाने में योगदान मिला, जो सम्मेलन के निर्णयों में अन्तर्निहित है। उनमें और विभिन्न देशों के राज्याध्यक्षों और नेताओं में मैंने यह एक प्रबल इच्छा देखी कि एक रचनात्मक रवैया अपनाया जाए और एक दूसरे से दूर जाने की बजाय नज़दीक आया जाए। इस सम्मेलन में जिन समस्याओं पर विचार विमर्श हुए वे मानवीय अधिकार, दक्षिण अफ्रीका, हिन्द महासागर, उत्तर दक्षिण आर्थिक संबंध, विकासशील देशों की समस्याओं जैसे नाजुक विषय थे, जिन पर मतभेद होना स्वाभाविक था। लेकिन सम्मेलन के अन्त में जो विज्ञप्ति जारी की गई उससे पता चलेगा कि सभी, अपने विचारों का परित्याग किये बिना एक सर्वसम्मति पर पहुंचने के इच्छुक हैं।

हमने सभी विषयों पर, खास तौर से विश्व की आर्थिक समस्याओं, दक्षिण अफ्रीका तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा जैसे विषयों पर विचार–विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया। सामाजिक–आर्थिक संदर्भ में, हमने विकासशील देशों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों के अनुकूल तकनीक अपनाने के औचित्य और महत्व पर प्रकाश डाला। हमने इस बात पर जोर दिया कि मशीन मनुष्य की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है, न कि मनुष्य उसका गुलाम बन जाए। हमने बतलाया कि विकास प्रयास और आर्थिक प्रगति छोटे और निर्धन पर ध्यान दे और बड़े और भव्य के प्रलोभन में न आये। खाद्य उत्पादन, भण्डारन, वितरण तथा ग्रामीण विकास के संघठित कार्यक्रम तथा औद्योगीकरण हमारे बयानों में जोरदार ढंग से प्रस्तुत किये गये हैं।

परसों लंदन में जो विज्ञप्ति जारी की गई, जिस पर माननीय सदस्यों का पहले ही ध्यान गया होगा, वह विषयों के क्षेत्र तथा विचार विमर्श की गइराई, तथा सम्मेलन की व्यापक सर्वसम्मति प्रतिविम्बित करती है। इसमें दक्षिण अफ्रीका, मिडल ईस्ट, हिन्द महासागर, साइप्रस, और अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच बढ़ती खाई जैसी बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं और राष्ट्रमण्डल के भीतर आर्थिक, व्यापारिक तथा कार्यात्मक सहयोग के लिए व्यावहारिक सिफारिशें हैं।

कई राष्ट्रमण्डल देश युगाण्डा के संबंध में मानवीय अधिकारों के प्रश्न पर बहुत चिंतित थे। 1971 में राष्ट्रमण्डलीय राज्याध्यक्षों द्वारा अपनाए गये ''द सिंगापुर डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपुल्स'' ने सभी राष्ट्रमण्डलीय सरकारों की मौलिक अधिकारों में आस्था और मानवीय मर्यादा तथा समानता के प्रति आदर की पुष्टि की। जैसा कि सदन को यह अच्छी तरह मालूम है कि हम इन सिद्धांतों के प्रति वचनबद्ध हैं। हालांकि सम्मेलन में इस विषय पर हुई चर्चा मतभेदों से मुक्त नहीं थी, लेकिन अन्ततोगत्वा राष्ट्रमण्डल परम्पराओं के अनुरूप मोटे तौर पर एक हल निकाला गया जो सबको स्वीकार्य था।

यहां पर राष्ट्रमण्डल सचिवालय के कार्य की सराहना करना उपयुक्त होगा ऐसा मेरा ख्याल है। अभी यह श्री रामफल के योग्य नेतृत्व है, जो पहले गुयाना के विदेश मंत्री थे। राष्ट्रमण्डलीय देशों में विभिन्न व्यावसायिक तथा संस्थागत सम्पर्क बनाये रखने तथा अन्तः राष्ट्रमण्डल सहयोग के प्रसार में नवीन भूमिका निभाने जैसे कई कार्यों के अतिरिक्त यह सचिवालय राष्ट्रमण्डलीय देशों में आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में प्रशंसनीय पहल की है। अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, इस प्रकार का सहयोग बढ़ाने के राष्ट्रमण्डल सचिवालय के प्रयासों के, अपेक्षाकृत कम खर्च में, लाभदायक परिणाम निकले हैं। हम भारत के लोग इस सहकारी कार्यक्रम में योगदान देकर ही खुश नहीं हैं, बल्कि इससे हमें भी लाभ मिला है, खास तौर से अपने व्यापार बढ़ाने में मिला है।

इस सम्मेलन में हुए विचार–विमर्श के अतिरिक्त इसका महत्व यह था कि इसने राष्ट्रमण्डलीय सरकारों के कई लब्धप्रतिष्ठ नेताओं के साथ अनौपचारिक तथा द्विपक्षीय सम्पर्क के लिए अवसर प्रदान किये। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री कैल्हन के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने के अतिरिक्त अपने क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय समस्याओं के संबंध में बंगलादेश के राष्ट्रपति के साथ महत्वपूर्ण विचार–विमर्श हुए। राष्ट्रपति ज़िया और मैं इस बात से सहमत हुए कि वह हमारे राष्ट्रीय तथा सामान्य हित में है कि हमारे संबंध अच्छे पड़ोसी जैसे हों। कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ हमने उन समस्याओं की समीक्षा की जो हमारे सद्भावपूर्ण संबंधों के रास्ते में उत्पन्न हुई और इस बात से सहमत हुए कि अपनी–अपनी राष्ट्रीय नीतियों के चौखटे में ऐसे प्रयास किए जाएं जिनसे नाभिकीय विज्ञान तथा तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में लाभदायक सहयोग और भारत–कनाडा मैत्री फिर से कायम हो। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और मैंने यह महसूस किया कि एशिया और प्रशांत महासागर की राष्ट्रमण्डलीय सरकारें अपनी–अपनी भौगोलिक दृष्टि से सामान्य हित के क्षेत्र में लाभदायक सम्बन्ध स्थापित कर सकती हैं। इसी प्रकार एक ओर ज़ाम्बिया के राष्ट्रपति कौंडा, मॉरीशस के सर सीबूसागर रामगुलाम और अफ्रीकी राष्ट्रों के अन्य नेतागण और दूसरी ओर जमाइका के प्रधानमंत्री और कैरिबीयन नेतागण के साथ अपनी बातचीत के दौरान मैंने यह महसूस किया कि राष्ट्रमण्डलीय देशों ने भारत के साथ अपने संबंधों को संजोये रखा है और अपने सहयोग बढ़ाने की इच्छा प्रगट की है। विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने कई सहयोगियों से मिले और मेरी तरह उनकी भी राय थी कि राष्ट्रमण्डल के हरेक हिस्सेदार भारत की नई सरकार के साथ न केवल संबंध बनाये रखना चाहते हैं बल्कि उन्हें मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी बातचीत की जिनका संबंध विभिन्न राष्ट्रमण्डलीय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों से है।

इस यात्रा से युनाइटेड किंगडम में रहने वाले कई भारतीय प्रतिनिधियों तथा विश्व समाचार माध्यमों के लोगों से मिलने का मौका मुझे मिला। सभी जगह भारत के प्रति एक नई दिलचस्पी देखने को मिली। चाहे वह भारतीय समुदाय हो अथवा समाचार माध्यम हो, लोकतंत्रात्मक भारत में एक नई आस्था आई है और उससे एक नई आशा जगी है। 12 जून को लंदन में भारतीय समुदाय की एक विशाल बैठक हुई, जिसमें अपनी जनता की और से मैंने उनकी अपनी जन्मभूमि के प्रति निष्ठा का स्नेहयुक्त उत्तर दिया। साथ ही, मैंने उनसे कहा कि वे इस प्राचीन भूमि की परम्पराओं के योग्य बने और अपने वर्तमान अधिवासी देश के लोगों के साथ सामाजिक व्यवस्था की दिशा में प्रयास करते हुए उनका हृदय जीतें।

इस यात्रा से मुझे स्पष्ट हो गया है कि लगभग प्रत्येक देश ने हमारे देश के साथ सिर्फ दोस्ती नहीं चाही, बल्कि हमारी राजनीतिक विजय और आर्थिक उपलब्धियों से खुश हुये ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा कोई राष्ट्रमण्डलीय देश नहीं था जो हमारी नीतियों को समझने के बाद, जिनके प्रति हमारी वर्तमान सरकार वचनबद्ध है, दुर्भावना रखे या हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों की अनुचित आलोचना करे। यह मान लिया गया है कि हमने जिस सच्ची गुट निरपेक्ष नीति का प्रतिपादन और अनुसरण किया है वह हमारे हितों की ही रक्षा नहीं करती, बल्कि भारत को अपने संबंधों तथा स्थायी विश्व व्यवस्था के विचार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनाती है। लेकिन हम अच्छी तरह यह जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर हम जो भूमिका अदा कर सकते हैं वह हमारी घरेलू ताकत तथा आर्थिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्वावलम्बन पर निर्भर करती है।

जैसा कि पहले कहा है, मैं तेहरान में ईरान के शाहंशाह से मिला। उनके साथ बातचीत के दौरान मुझे और हमारे विदेश मंत्री को प्रधानमंत्री हुवेदा और विदेश मंत्री खालतबारी से मिलकर खुशी हुई। हमारे विचार–विमर्श का क्षेत्र व्यापक था और इससे ईरान की सद्भावना और हमारे सहयोग की स्थायी शक्ति का परिचय मिला। हम इस बात पर भी सहमत हुये कि हम दोनों इस क्षेत्र के स्थायित्व और प्रगति में समान दिलचस्पी रखते हैं।

इसी प्रकार फ्रांस के राष्ट्रपति के अनुरोध पर पेरिस रुकने से सामान्य हित के कई मामलों पर विचार–विमर्श करने का मौका मिला। राष्ट्रपति गिस्कार्ड डी एस्टेंग तथा प्रधानमंत्री वार्रे के साथ मेरी बातचीत अत्यंत मैत्रीपूर्ण रही और फ्रांस के साथ हमारे निकट और लाभदायक संबंधों की आशा और बढ़ी।

अणु अस्त्रों के प्रचुर मात्रा में न बनाये जाने के संदर्भ में नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग में सम्बद्ध प्रश्न मेरे साथ कई बार बातचीत में उठाये गये। मुझे अपनी स्थिति दोबारा समझाने का मौका मिला, जो कई बार इस देश में और बाहर भी स्पष्ट की जा चुकी है कि हम शांतिपूर्ण उद्देशों के लिए ही नाभिकीय ऊर्जा के विकास में दिलचस्पी रखते हैं।

इस राष्ट्र समुदाय के साथ लाभदायक संबंध बढ़ाने का पहले से ज्यादा अब अवसर है। पिछले तीन महीनों में जब से हमने कार्यभार संभाला, गुट निरपेक्ष के रचनात्मक दबाव के चौखटे में हमने अपने पुराने दोस्तों को विश्वास दिलाया है कि निकट और सुदूर भविष्य में उनके साथ हमारा संबंध बेहतर होता जायेगा। हम दावा कर सकते हैं कि हमारे पड़ोसियों की हमारी दोस्ती में ज्यादा आस्था है और इस सम्पूर्ण उप महाद्वीप में तनाव कम है और अब ये ज्यादा सहयोग देने के इच्छुक हैं।

राष्ट्रमण्डल सम्मेलन तथा इस विदेश यात्रा से विश्व के सभी हिस्सों के नेताओं को यह स्पष्ट करने का मौका मुझे मिला कि यह भारत सरकार जिसे भारतीय जनता का विश्वास प्राप्त हुआ है और एक बार फिर गांधी जी की दृष्टि और आदर्श से प्रेरणा मिली है, एक ऐसा शांतिपूर्ण विश्व बनाने में पीछे नहीं रहेगा जो अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय की दिशा में प्रयत्नशील रहे।

कुल मिलाकर, तीस राष्ट्रमण्डलीय देशों से ज्यादा राज्याध्यक्षों, ईरान के शाहंशाह तथा फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने से इस अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की इज्जत बढ़ी है और इस देश के प्रति अब जयादा सद्भावना है।

पश्च टिप्पण

लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री सम्मेलन में भाग लेने के संबंध में वक्तव्य, 17 जून, 1977

कोई टिप्पण नहीं।

सोवियत संघ की यात्रा के बारे में वक्तव्य

14 नवम्बर, 1977

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को ज्ञात है, सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव, सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के प्रधान मंडल के अध्यक्ष महामान्य श्री ब्रेझनेव द्वारा सोवियत नेताओं के निमंत्रण पर मैने रूस की यात्रा की । मैं भारत से 21 अक्तूबर को रवाना हुआ और 27 अक्तूबर की सुबह वापस लौट आया। रूस में अपने प्रवास के दौरान मैं काला सागर के शहर सोची तथा यूक्रेनियाई सोवियत समाजवादी गणराज्य की राजधानी कीव भी गया । इस यात्रा में विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी मेरे साथ थे । इस पूरी यात्रा में हम जहां कहीं भी गये वहीं नयाचार की सामान्य अपेक्षाओं से ऊपर उठकर हमारा अत्यन्त हार्दिक एवं सद्भावपूर्ण स्वागत किया गया।

मास्को में अपने प्रवास के दौरान हमने सोवियत नेताओं से दो बार बातचीत की जिसका नेतृत्व महासचिव श्री ब्रेझनेव ने किया। सोवियत नेताओं के साथ कई बार हमारी अनौपचारिक बातचीत भी हुई। इस विचार–विनिमय में हमने अपने द्विपक्षीय संबन्धों पर तथा विभिन्नच अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर बातचीत की। यद्यपि, इस प्रकार की बातचीत गोपनीय समझी जानी चाहिए क्योंकि उनका स्वरूप ही ऐसा होता है, फिर भी सदन को यह बताने में मुझे कोई संकोच नहीं कि हमारी बातचीत अत्यंत स्पष्ट, तथा मैत्रीपूर्ण हुई। इस बातचीत में यह बात स्पष्ट हुई कि हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझते सराहते हैं और दोनो का यह निश्चय भी प्रकट हुआ कि हम दोनों के बृहत्तर हित में पारस्परिक सम्मान और समानता पर आधारित अपने सहयोग और अपनी मित्रता को सुरक्षित रखकर सुदृढ़ करना कहते हैं।

मेरे लिए सोवियत संघ की यह पहली यात्रा नहीं थी । मैंने 1960 में मास्को तथा रूस के कुछ अन्य शहरों की यात्रा की थी । अब 17 वर्ष बाद मैंने जिन स्थानों की यात्रा की उनकी आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ।

जब जनता सरकार सत्ता में आई तो बहुतों ने यह सोचा था कि भारत में सरकार बदलने से भारत–रूस संबन्धों को धक्का पहुंचेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते थेः इस यात्रा ने हमारे इस विश्वास की पुष्टि कर दी कि हमारे सामाजिक एवं राजनीतिक पद्धति में और कुछ मामलो में हमारे दृष्टिकोणों में अंतर होने के बावजूद हमारे सम्बन्धों को किसी प्रकार का धक्का नहीं पहुंचा है। इसके विपरित, लाभदायक द्विपक्षीय संबन्धों के संवर्धन के सिद्धांत के आधार पर भविष्य में दोनों के बीच सहयोग के क्षेत्र में स्वस्थ विकास की संभावनाएं हैं। जैसा कि, राष्ट्रपति ब्रेझनेव तथा मेरे द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा में स्वीकार किया गया हैं, भारत–रूस संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हमारे संबंध ऐसे हैं कि जिनसे किसी राष्ट्र को डरने की जरूरत नहीं क्योंकि यह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांतों पर आधारित हैं जो हमारे सारे विश्व पर लागू होता हैं।

मैं इस यात्रा का विशेष स्वागत इसलिए करता हूँ कि इससे मुझे सोवियत नेताओं से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का अवसर मिला और इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं कि हमारे संबंधो को

बनाये रखने में तथा हमारे बीच अगर कभी कोई ग़लतफहमी पैदा हो तो उसे दूर करने में यह बहुत उपयोगी होगा।

भारत–रूस सहयोग अनेक क्षेत्रों में एक निरंतर प्रक्रिया हैं : इस प्रक्रिया में कभी शिथिलता नहीं आने दी गई। मेरी यात्रा के दौरान कोई नये तकनीकी या आर्थिक प्रश्न नहीं उठे क्योंकि हमने यह महसूस किया कि विशेषज्ञों के स्तर पर ही सबसे अच्छी तरह इन पर विचार किया जा सकता है।

फिर भी, इस घोषणा में यह कहा गया है कि दोनों देशों के बीच तकनीकी, आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग को और सुदृढ़ करने के तौर–तरीकों का पता लगाने के लिए सोवियत संघ से विशेषज्ञों के शिष्टमंडलों के निकट भविष्य में भारत आने की सम्भावना है और इसके बाद इन प्रस्तावों पर भारत–सोवियत संयुक्त आयोग विचार कर सकता हैं। जैसा की सदन को मालूम हैं कि तकनीकी, आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग के लिए एक भारत–सोवियत संयुक्त आयोग है। इस आयोग का स्तर हाल ही में ऊंचा कर दिया गया है। भारत की और से विदेश मंत्री इस आयोग के सहअध्यक्ष होंगे और सोवियत पक्ष से वहां के उप–प्रधानमंत्री, महामान्य श्री आर्खिपोव सोवियत सहअध्यक्ष होंगे। इस संयुक्त आयोग का अगला अधिवेशन अगले वर्ष के शुरू में नई दिल्ली में होगा।

मैंने राष्ट्रपति ब्रेझनेव और अध्यक्ष कोसीगन को भारत की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इन यात्राओं की तिथियां बाद में तय होंगी।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा की यह यात्रा सोवियत संघ के साथ भारत के सम्बन्धों की अनिवार्य निरन्तरता की पुष्टि करती है जो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय स्थायित्व को संवर्धित करने के लिए सह–अस्तित्व, गुटनिरपेक्षता और मैत्री के सिद्धान्तों के प्रति हमारी वचनबद्धता को मजबूत बनाती है। यथार्थ में इस यात्रा ने भारत–सोवियत सम्बन्धों को स्थिरता एवं सुदृढ़ता के नए आयाम प्रदान किये हैं। इसके परिणामों का हमारे देश में और सोवियत संघ में स्वागत हुआ और मैं समझता हूँ कि जिस परिपक्वता के साथ इसकी पुनःपुष्टि हुई हैं वह इसे तनाव शैथिल्य को संवर्धित करने और अंतर्राष्ट्रीय शांति की खोज का मार्ग प्रशस्त करने में एक महत्वपूर्ण घटक बना देगा। दोनों देशो ने यह बात भी स्वीकार की हैं की ये संबंध उन अन्य देशों के साथ संबंध विकसित करने के मार्ग में रूकावट नहीं है जो शांति को आगे बढ़ाने तथा राष्ट्रों के बीच आपसी समझ को सुदृढ़ बनाने के सामान लक्ष्यों से अनुप्रेरित हैं। संक्षेप में, जैसा की मैंने मॉस्को में कहा था वर्तमान भारत–सोवियत सम्बन्धों को किन्हीं भी दो देशों के लिए अनुकरणिय आदर्श माना जा सकता है।

पश्च टिप्पण

सोवियत संघ की यात्रा के बारे में वक्तव्य, 14 नवम्बर, 1977

कोई टिप्पण नहीं।

फरक्का में गंगा जल के बंटवारे पर भारत और बंगलादेश की सरकारों के बीच समझौते के बारे में वक्तव्य

14 नवम्बर, 1977

इस सदन के माननीय सदस्यों को अखबारों से ज्ञात हुआ होगा कि भारत और बंगलादेश के बीच फरक्का पर गंगा के पानी के बंटवारे और उसके प्रवाह को संवर्धित करने के विषय में एक करार पर 5 नवम्बर, 1977 को ढाका में मंत्री–स्तर पर हस्ताक्षर किये गए। मैं सदन के सभा पटल पर इस करार की एक प्रति रख रहा हूं जो बंगलादेश सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार हस्ताक्षर होने के बाद जारी किया गया है। सदन के इस सुदीर्घ वक्तव्य के लिए भी मैं उदारता की याचना कर रहा हूं। वार्ता के दौरान इस करार में निहित समस्याओं की जटिलता और महत्व के अतिरिक्त मुझे इस वक्तव्य में उन आलोचनाओं पर भी कुछ कहना है जो इस करार के बारे में की गई और परिणामस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि स्थिति को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तथा निहित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया जाए।

इस करार की ऐतिहासिक प्रकृति तथा भारत और बंगलादेश के आपसी संबंधों के लिए और इस उप महाद्वीप की राजनीति के लिए इसका असाधारण महत्व विदेशों में प्रायः सभी जगह स्वीकार किया गया है। और भारत में भी जनमत के अधिकांश वर्गों ने इसे स्वीकार किया है। इस करार पर हस्ताक्षर हो जाने तथा तत्काल इसके लागू होने से एक ऐसी बड़ी समस्या का समाधान हो गया है जिसने कि दोनों देशों के आपसी संबंधों को बिगाड़ रखा था तथा जिसने इस उपमहाद्वीप में विगत 25 वर्षो से राजनीतिक वातावरण को दूषित कर रखा था।

माननीय सदस्यगण फरक्का समस्या के लम्बे इतिहास और इसकी जटिलता से अवगत हैं। इस करार पर बातचीत के दौरान जो मसले खड़े हुए उनका असर दोनों पक्षों के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों पर तथा संवेदनशीलता पर पड़ा। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे थे कि हुगली में बहाव के लिए उपलब्ध पानी तो एक उचित सीमा से कम न हो और साथ ही प्रवाह को संवर्धित करने के लिए ऐसी व्यवस्था हो जाए कि ऊपरी जलधार और नीचे की जलधार की आवयकताएं पूरी हो सकें। बंगलादेश की ओर से यह कहा गया कि उन्हें इस्तेमाल के लिए जितने पानी की जरूरत इस समय होती है वह पूरी होती रहनी चाहिए ताकि भविष्य में देश की पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव नहीं पड़े। उनका यह भी कहना था कि पारिस्थितिकी के संतुलन को बनाये रखने के लिए खुश्की के दिनों की अवधि में निम्नतम प्रवाह 55,000 क्यूसेक के निर्बाध जारी रहना चाहिए। यह बातचीत अनिवार्यतः जटिल एवं लम्बी हुई ताकि दोनों पक्षों के विषय एवं विरोधी उद्देश्यों में संतुलन बैठाया जा सके।

बातचीत की यह समस्या इस वजह से और भी जटिल हो गई चूंकि तटवर्ती लोगों के अधिकारों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय कानून अभी संहिताबद्ध होना बाकी है और इसलिए न्यायोचित बंटवारे को

निश्चय करने के लिए कोई सार्वभौमरूप से स्वीकृत मानदंड अभी नहीं है। विभिन्न देशों ने यद्यपि 1966 के हेलसिंकी नियमों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के एक आदर्श के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया है लेकिन आमतौर से यह माना जाता है कि प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय नदी का क्योंकि अपना अलग स्ववरूप होता है इसलिए उसके जल के न्यायोचित वितरण की बात सम्बद्ध तटवर्ती राज्यों के बीच द्विपक्षीय (अथवा बहुपक्षीय) बातचीत के माध्यम से ही तय की जा सकती है और इस तरह की द्विपक्षीय बातचीत में प्रत्येक सहभागी तटवर्ती देश के हकों और अधिकारों की ठीक–ठीक मात्रा निश्चित करने के आधार पर कोई समझौता कर पाना संभव नहीं। बातचीत के माध्यम से किसी समाधान पर पहुंचना अनिवार्य तौर पर संबद्ध पक्षों द्वारा अपनाई गई दो दूरस्थ स्थितियों के बीच समझौते का प्रयास होता है। प्रस्तुत समस्या में प्रश्न पानी के उपयोग के अलग–अलग प्रयोग और प्राथमिकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का था। बंगलादेश ने शुरू में जो स्थिति अपनाई वह यह थी कि ऐतिहासिक प्रवाह को कायम रखा जाए जिसका मतलब यह था कि निचले तटवर्ती राज्य को एक प्रकार से ऊपरी तटवर्ती राज्य द्वारा पानी के उपयोग पर वीटो का अधिकार होता। भारत ने शुरू में जो स्थिति अख्तियार की वह यह थी कि उसे 40,000 क्यूसेक का अधिकतम प्रवाह लेने का अधिकार होना चाहिए जिससे कि हुग्ली नदी की सामान्य स्थिति के लिए उसे अधिकतम लाभकारी प्रवाह प्राप्त हो सके और इस प्रकार कलकत्ता बन्दनरगाह के परिरक्षण और सुधार के लिए पर्याप्त जलमात्रा प्राप्त हो।

इसके अतिरिक्त दोनों देशों के हकों की बात तो दूर है, कोई द्विपक्षीय करार मात्र अधिकारों और हकों पर आधारित नहीं हो सकता, खासतौर से इस तरह की परिस्थितियों में जैसी कि गंगा के निचले थाले में है। जहां कमी के दिनों में उनकी जरूरतों को पूरा करने के लायक भी पानी नहीं होता। इसलिए यह जरूरी था कि यह करार सम्मिलित त्याग और पारस्परिक समायोजन के सिद्धांत पर आधारित हो और इससे किसी भी देश के अधिकारों और हकों पर बुरा असर न पड़े।

माननीय सदस्यगण यह भी स्वीकार करेंगे कि इस बातचीत में प्रश्न सिर्फ दो देशों के बीच पानी के बंटवारे का ही नहीं था, और न ही इसके प्रवाह को संवर्धित करने का ही, बल्कि इसमें अपने निकटतम पड़ौसी के साथ संबंध को बेहतर बनाने की राजनीतिक आवश्यकता सन्निहित थी जोकि हमारी समूची विदेश नीति की प्रभविष्णुता तथा विश्वसनीयता की कठोर परीक्षा है और इस दृष्टि से उन सिद्धान्तों की परीक्षा है जिनके विषय में भारत ने हमेशा यह कहा है कि ये सिद्धान्त राष्ट्रों के संबन्धों के लिए मार्ग–दर्शक होने चाहियें।

फरक्का समस्या के संबन्ध में इस सरकार ने जो प्रयत्न किये हैं उसके विषय में उसे ही प्रारम्भ से सब कुछ करने का मौका नहीं मिला था। तत्काालीन पाकिस्तान सरकार ने और बाद में बंगलादेश सरकार ने गंगा के पानी के बंटवारे के विषय में उनके साथ समझौता किये बिना फरक्का बराज परियोजना का निर्माण करके उसे शुरू करने का हमारा अधिकार कभी स्वीकार नहीं किया। 1951 से ही, जबकि इस परियोजना के संबन्ध में प्रारंभिक जांच कार्य चल रहा था, अंतरसरकारी परामर्श और वार्ताएं हुई थीं। मई 1974 की सम्मिलित घोषणा में भारत और बंगलादेश के प्रधान मंत्रियों ने इस बात का उल्लेख किया था कि फरक्का बराज 1974 के अंत तक चालू हो जायेगा लेकिन साथ ही वे इस बात पर भी सहमत हुए

थे कि इस बराज के चालू होने से पहले गंगा में निम्नतम प्रवाह के दिनों में उपलब्धि पानी के परस्पर स्वीकार्य आवंटन पर सहमति हो जानी चाहिये। इस प्रकार माननीय सदस्यगण यह देखेंगे कि पिछली सरकार ने यह बुनियादी निर्णय पहले ही ले रखा था कि भारत इसमें से पानी तभी लेगा जबकि इस संबन्ध में आवंटन के विषय में बंगलादेश के साथ समझौता हो जाएगा।

यह बराज अप्रैल 1975 में राष्ट्रपति मुजीब की सरकार के साथ समझौता हो जाने के बाद चालू हो गया जिसमें यह व्यवस्था थी कि 21 अप्रैल से 31 मई के बीच की अवधि में भारत 11,000 से 16,000 क्यूसेक के बीच पानी लेगा। दुर्भाग्य से 1975–76 के खुश्कं मौसम के लिये कोई समझौता नहीं हो सका। हालांकि भारत सरकार ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि अप्रैल 1975 में जो करार हुआ था वह सिर्फ मई 1975 के अंत तक के लिये वैध था और उस तारीख के बाद पानी लेने का जहां तक प्रश्न है वह किसी भी तरह बाध्य नहीं, जबकि बंगलादेश सरकार का तर्क यह था कि 21 अप्रैल से 31 मई के बीच की अवधि के बंटवारे में जो पानी उसके हिस्से में आता है उसकी मात्रा अर्थात् 39,000–44,000 क्यूसेक से किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं जानी चाहिये जो कि पिछली सरकार ने बंगलादेश के लिये छोड़ना स्वीकार किया था।

जब 1975–76 के खुश्क मौसम के लिये कोई समझौता नहीं हो सका और भारत ने फीडर केनाल की क्षमता के प्रायः बराबर पानी लेना शुरू कर दिया तो बंगलादेश सरकार ने फरक्का के मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के कई प्रयास किये और भारत पर इक–तरफा तरीके पानी लेने का आरोप लगाया। इस मसले को इस्तांबूल में हुए इस्लामी सम्मेलन में, कोलंबो के गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मोलन में उठाया गया और अन्तंतः संयुक्त राष्ट्र महासभा के 31वें अधिवेशन में एक औपचारिक शिकायत के रूप में भी इसे प्रस्तुत किया गया। बंगलादेश सरकार द्वारा प्रस्तुत इस मुद्दे पर महासभा ने विचार समाप्त करते हुए यह सर्वसम्मत बयान स्वीकार किया जिसमें दूसरे निर्णयों के साथ ही यह निर्णय भी शामिल था कि दोनों सरकारें तुरन्त मंत्री–स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत पुनः प्रारम्भ करें। यह भारत के उस स्थिति के अनुरूप ही था जोकि वह सदा से अख्तियार किये जा रहा है कि द्विपक्षीय समस्याएं द्विपक्षीय स्तर पर ही सर्वोत्तम ढंग से सुलझाई जा सकती है, लेकिन उपर्युक्त सर्वसम्मत वक्तव्य ने हमारे ऊपर उद्देश्यपूर्ण ढंग से बातचीत करने का दायित्व डाल दिया। तदनुसार दिसम्बर 1976 और अप्रैल 1977 के बीच मंत्री–स्तर पर बातचीत के चार दौर हुए। इस बातचीत में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता यानी हमारे रक्षा मंत्री और बंगलादेश के नेताओं के बीच बातचीत किस प्रकार आगे बढ़ी जिसका ब्यौरा अधिकारी स्तर की परवर्ती वार्ताओं में तैयार होना था और तैयार होकर दोनों देशों के बीच एक व्यापक करार में सन्निहित किया जाना था। 30 सितम्बर, 1977 को अधिकारी स्तर की वार्ता के तीसरे दौर के अंत में अंततः एक करार हुआ और उस पर हस्ताक्षर किये गये। इन वार्ताओं से सिर्फ हमारे दोनों देशों के बीच ही नहीं बल्कि, क्योंकि इससे विगत में महासभा का भी ताल्लुक रहा है और खासतौर पर मित्र गुटनिरपेक्ष देशों का, इसलिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी बहुत आशायें जगी हैं। इस करार को दोनों देशों की दूरदर्शिता तथा तर्कसंगतता पर आधारित प्रमाण के रूप में सभी देशों ने स्वीकार किया तथा वह इस बात का प्रमाण है कि विकासशील देश किस प्रकार अपने विकास को प्रभावित करने वाली समस्याओं को समाधान करते है।

फरक्का बराज परियोजना का निर्माण मुख्यतः कलकत्ता बंदरगाह की सुरक्षा तथा सुधार के लिए किया गया है। देश का कोई भी व्यक्ति कलकत्ता शहर के लिए इस बंदरगाह के महत्वक तथा संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र की अर्थव्यावस्था के लिए इसके महत्व को कम नहीं आंक सकता है जिस पर हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निर्भर करता है। इस करार में फरक्का परियोजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वाधिक संभव व्यवस्था है तथा इसके साथ ही साथ संकट की स्थिति में बंगलादेश की जरूरतें भी इससे पूरी होंगी।

सदन के सदस्य इस बात से अवगत हैं कि 1960 में अनुमोदित फरक्का बराज परियोजना दस्तावेज सहित अनेक आकलनों पर विचार किया गया कि मार्च के मध्य से मई के मध्य तक 20,000 क्यूसेक तक पानी निकाल लेने पर भी उक्त परियोजना पूर्णतः युक्तिसंगत होगी। इस आंकड़े तथा अन्य आंकड़ों पर तत्कालीन पाकिस्तान सरकार के साथ विचार विनिमय हुए, यद्यपि उससे स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये आंकड़े अनंतिम है और भावी अध्ययनों तथा मानक परीक्षणों के संदर्भ में उनमें संशोधन होते रहेंगे। सम्पन्न करार में मार्च–मई की अवधि में 20,500 से 26,750 क्यूसेक तक पानी निकालने की व्यवस्था है। इसके साथ ही साथ भारत के हिस्से में इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि की व्यवस्था है जबकि 25 वर्ष के प्रेक्षित आंकड़े पर आधारित 4 वर्ष में से 3 वर्ष की अवधि में पानी का प्रवाह 55,000 क्यूसेक के न्यूनतम स्तर से अधिक होता है। भारत द्वारा न्यूनतम पानी की निकास मात्रा भी कम से कम निकास से दुगुना है जो अप्रैल 1975 के करार के अनुसार अनुमेय थी। इस करार के अंतर्गत भारत 8 महीने के लिए, अर्थात जून से जनवरी तक, जल–निकास की अधिकतम मात्रा, अर्थात् 35,000 से 40,000 क्यूसेक, प्राप्त करने में भी सफल रहा है। करार में इस बात की भी व्यवस्था है कि बंगलादेश को उसके भाग का 80 प्रतिशत पानी प्रत्येक 10 दिन की अवधि के लिए अवश्य दिया जायेगा। इससे बची हुई 20 प्रतिशत पानी की मात्रा का उपयोग प्रशासनिक सुविधा तथा फरक्का पर पानी के प्रवाह की भिन्नता की दैनिक समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।

चूंकि जल–विज्ञान यथार्थ विज्ञान नहीं है इसलिए द्रवगतिकी मानक अध्ययन त्रुटि की नगण्य मात्रा के अंतर्गत पानी के निकास के प्रभाव का अनुमान लगाने में समर्थ नहीं है। फिर भी, भारतीय इंजीनियरों द्वारा किये गये मानक परीक्षणों तथा वास्तविक प्रभावों के आदिरूप अध्यभ्यन दोनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि करार में सहमत पानी के निकास की अनुसूची से कलकत्ता बंदरगाह की बिगड़ती हुई स्थिति को संभालने में मदद मिलेगी तथा तलकर्षण, नदी प्रशिक्षण, भू–क्षरण की रोक, आदि जैसे अन्य उपायों से बंदरगाह में सुधार होगा। ऊपरी स्तर पर पानी की अधिकतम आपूर्ति करने के अतिरिक्त इन पूरक उपायों को अपनाने की आवश्यकता फरक्का बरराज परियोजना तैयार करने तथा उसे लागू करने के पूरे समय तक स्वीकार की गई है।

फरक्का बराज से ऊपरी स्तर पर जल आपूर्ति के फलस्वरूप कलकत्ता बंदरगाह के सुधार में समय लगेगा तथा उसे बहुत जल्दी नहीं किया जा सकता। इसी बीच जैसे–जैसे देश में प्रगति हुई है और कृषि आधुनिक होती गई है, वैसे–वैसे गंगा के पानी के उपयोग्य– तथा अनुपभोग्य प्रयोग की मांग, विशेषकर सिंचाई के लिए, बढ़ती गई है और भविष्य में उसके और तेजी से बढ़ने की संभावना है। इसलिए किसी दीर्घकालिक योजना द्वारा पानी की उपलब्धता में वृद्धि करने की तर्कसंगत व्यवस्था

करना अनिवार्य है ताकि बंगलादेश की आवश्यकता के अलावा हम अपनी ऊपरी जलधारा तथा निचली जलधारा की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। भारत तथा बंगला दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक समाधान समान रूप से महत्व का है और इसे दोनों देशों के सहयोग से ही सर्वाधिक सुकर बनाया जा सकता है। समझौते में दोनों देशों की सरकारें केवल सभी प्राप्य दीर्घकालिक प्रस्तावों के अध्ययन के लिए ही राजी नहीं हुई हैं अपितु ऐसा अध्ययन वे तीन साल के भीतर ही कर लेंगी। करार में अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर दोनों सरकारों के लिए सद्भावपूर्वक योजना या योजनाओं के चयन की तथा उसे यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की व्यवस्था है।

इस प्रकार हमने बंटवारे की व्यवस्था के अल्पकालिक उत्सर्ग की बात स्वीकार की है क्योंकि दीर्घकालिक समस्या के समाधान के उपायों से भी यह जुड़ा है। उक्त करार शुरू में 5 वर्ष के लिए वैध है 3 और वर्ष के बाद उसकी समीक्षा का प्रावधान है जिसमें दीर्घकालिक समाधान की दिशा में प्रगति सहित उसके कार्यान्वयन के कार्य संचालन, प्रभाव तथा प्रगति का विचार निहित है।

हमें आशा है कि उक्त करार से न केवल गंगा के प्रवाह की वृद्धि की दीर्घकालिक समस्या का समाधान होगा अपितु उक्त पूरे क्षेत्र के जल–संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए भी मार्ग प्रशस्त होगा। करार की शर्तो के अंतर्गत संयुक्त नदी आयोग का संवर्धन भारत तथा बंगलादेश में बढ़ते हुए सहयोग के लिए बाढ़–नियंत्रण तथा अन्य समस्या–क्षेत्रों में करना चाहिए ताकि दूसरे पक्ष के हितों पर उसका प्रभाव पड़े।

इस करार पर विचार करते हुए हमारे उपमहाद्वीप में व्याप्त, विगत वर्षों के मतभेदों, संदेहों तथा अवरोध पर भी दृष्तिपात करना चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि भारत ऐसा देश है जो अपनी परम्पपरा तथा सिद्धान्तों से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर अन्य देशों के साथ सहयोग तथा मैत्री की नीति के प्रति वचनबद्ध है। वर्तमान सरकार यह मानती है कि हमारे विकास तथा हमारी विदेश नीति की प्रभावकारिता के लिए कठोर परीक्षा यह है कि क्या हमें इस उपमहाद्वीप को वमनस्य से मुक्त रखना है या नहीं जिससे हम अपने साधनों को विकास के बुनियादी काम पर तथा देशवासियों के कल्याण पर केन्द्रित करें। अगर हम यह मानते हैं कि भारत का निजी हित उसके पड़ौसी देशों की खुशहाली में है तो हमें ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर प्रयत्न करना चाहिए जो दोनों देशों में विकास को प्रभावित करती है।

हम किसी तीसरे देश या पक्ष के संयोग या दखल के बिना द्विपक्षीय वार्ता से फरक्का विवाद को हल करने के लिए भी कृतसंकल्पं हैं। द्विपक्षीय बातचीत के जरिए इस करार के होने से और खासकर द्विपक्षीय ढांचे के अंतर्गत मतभेदों तथा विवादों को तय कर हमने यह सिद्ध कर दिया है कि दो नजदीक पड़ौसी देशों के सभी मुद्दे, चाहे वे कितने ही जटिल क्यों न हों, सहत्याग तथा पारस्परिक समायोजना की भावना से द्विपक्षीय रूप में हल किये जा सकते है।

जिस दृष्टिकोण और भावना से यह करार संभव हुआ है यदि इसे बंगलादेश के साथ हमारे संबन्धों के वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाए तो यह दोनों देशों के बीच, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर सदैव विकासमान सहयोग की ओर ले जाएगा। इससे महाद्वीप में शांति एवं विकास को

संवर्धित करने तथा एक वृहत्तर विश्व व्यवस्था के लिए साथ–साथ काम करने के हमारे लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में भी योगदान मिलेगा।

विभिन्न उपयोगों के लिए पानी की मांग में संभावित वृद्धि होने से यह स्पष्ट था कि समय बीतने के साथ यह समस्या और भी अधिक पेचीदा एवं जटिल हो जाती। यदि इस दीर्घकालिक समस्या को हल करने के लिए दोनों देशों द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं की गई होती तो इसके लिए न केवल बहुत बड़े अवसरों की कीमत चुकानी पड़ती अपितु अल्पकालिक बंटवारे की व्यवस्था करना भी अत्यन्त कठिन हो जाता। अतः यदि कोई समझौता करना ही था तो दोनों देशों का समान हित इस कार्य में विलम्बत करने के बजाए इसे जल्दी ही करने में था।

फरक्का समस्या बंगलादेश की एक राष्ट्रीय समस्या रही है जो राजनीतिक दलों और शासकों से परे थी। बंगलादेश के सभी राजनीतिक दल और वर्ग अधिक हिस्सा मांगने ओर इस विवाद के शीघ्रता से निपटान पर एकमत रहे है।

भारत में भी, फरक्का समस्या को दलीय हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय समस्या के रूप मे देखा जाना चाहिए। पिछली सरकार द्वारा किये गए वायदों का सम्मान करते हुए हमने इस करार को अंतिम रूप दिया है। सदन से मेरा निवेदन है कि वे अंतर्दलीय मतभेदों को भुलाकर हमारी विदेशनीति के संपूर्ण लक्ष्य के वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में, विशेषरूप से दोनों देशों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, इस करार को स्वीकार करें।

पश्च टिप्पण

फरक्का में गंगा जल के बंटवारे पर भारत और बंगलादेश की सरकारों के बीच समझौते के बारे में वक्तव्य, 14 नवम्बर, 1977

कोई टिप्पण नहीं।

नेपाल की यात्रा के बारे में वक्तव्य

12 दिसम्बर, 1977

जैसा कि सदन को मालूम हैं मैं कल नेपाल से लौटा। यह उचित हैं कि मैं अपने पड़ौसी मित्र देश के बारे में एक संक्षिप्त बयान सदन को पेश करूँ।

इस साल पिछले सितम्बर में नेपाल में सरकार बदली और उसके बाद माननीय कीर्ति निधि बिष्ट ने मुझे नेपाल आने का निमंत्रण दिया। अपने पड़ौसी देशों के साथ संबंध बढ़ाने के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लिया। मेरे साथ विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी गए और उनकी सलाह मुझे प्राप्त थी।

हम भौगोलिक और आपसी आर्थिक हितों की दृष्टि तथा परस्पर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों से इस तरह जुड़े हैं, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी।

भारत सरकार की ओर से नेपाल नरेश तथा उनकी सरकार तथा जनता को यह बताने का मौका मुझे मिला कि भारत इस प्राचीन राज्य के साथ मैत्री रखता है और अपने सम्बन्ध इस तरीके से बढ़ाना चाहता हैं जिससे एक दूसरे की स्वतंत्रता के प्रति आदर–भाव हो, हम दोनों आपसी हित के लिए काम करें और जिसमें दोनों को फायदा हो। नेपाल की जनता तथा नरेश तथा उनकी सरकार की ओर से जो मेरा हार्दिक स्वागत हुआ इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं नेपाल नरेश से मिला और प्रधान मंत्री बिष्ट से मैंने व्यापक रूप से विचार–विमर्श किया। इस यात्रा के आखिर में जो विज्ञप्ति जारी की गयी वह सदन की मेज पर रख दी गई है, जिससे इस बात का पता चलता है कि कितने व्यापक विषयों पर विचार–विमर्श हुआ और आपसी लाभ के समझौते हुए।

इस संयुक्त विज्ञप्ति से माननिय सदस्यों को पता चलेगा कि दोनों पक्ष इस बात की जरूरत समझते हैं की समता और आपसी हित के आधार पर आर्थिक संबंध और मजबूत किये जाए। इसी भावना से हम लोगों में इस बात पर सहमति हो गई कि उन नदियों की योजनाओं को तरजीह दी जाये जो हमारे दोनों देशों को जोड़ती हैं और जिनसे हम दोनों को कई फायदे हैं। देवीघाट योजना को भी तरजीह दी जाएगी, जिसे नेपाल सरकार बहुत महत्व देती है। इस संयुक्त प्रयास की ज़रुरत और महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि इस काम में देर करने से दोनों को नुकसान होगा। हिमालय में असीम संपदा हो सकती हैं और इसकी उपेक्षा से भविष्य में हम दोनों के हितों को बहुत नुकसान पहुँच सकता है। करनाली, महाकाली राप्ती और त्रिसूली नदी योजनाओं को तुरंत लागु करने के खास उपायों पर समझौते हो गए हैं।

माननीय सदस्यों को मालूम होगा की 1971 की भारत–नेपाल व्यापर तथा पारगमन संधि अगस्त में खत्म हो चुकी है, परन्तु जब तक इसकी जगह पर कोई नए प्रबंध नहीं किये जाते, इसे चलते रहने दिया जाएगा। नए प्रबंधों के संबंध में अधिकारी स्तर पर विचार–विमर्श हो चुके हैं। अपनी यात्रा के दौरान पहले जो बातचीत हुई है उसकी समीक्षा की गई हैं और इस बात पर सहमति हुई कि हालांकि व्यापर द्विपक्षीय मामला हैं, तीसरे देशों के साथ नेपाल का व्यापार प्रबंध एक अलग विषय है।

हमारे आर्थिक संबंधों में समान सीमा का होने एक खास बात हैं। यद्यपि, इसमें शक नहीं कि प्रत्येक देश की अपनी आर्थिक तथा व्यापार संबंधी नीतियों को निर्धारित करने का स्वतंत्र अधिकार है, फिर भी नेपाल के प्रधान मंत्री तथा मैंने तुरंत इस बात को माना है कि दोनों देशों के हित में ऐसे सामान के अनधिकृत आवागमन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किये जाने चाहिएं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। अतः हमने निश्चय किया है कि इस सम्बन्ध में एक अलग करार किया जाना चाहिए जिसमें हमारी खुली सीमा पर सामान के अनधिकृत आवागमन को रोकने के लिए प्रभावी उपायों की व्यवस्था होगी। इन दो समझौतों तथा एक अलग करार करने के निर्णय से यह पता चलता हैं की दोनों देश एक दूसरे की स्वतंत्रता तथा संवेदनशीलता का इतना आदर करते हैं कि एक देश की आर्थिक नीतियां दूसरे देश को कोई नुकसान न पंहुचा सकें।

माननीय सदस्य इस बात से भली भांति परिचित हैं कि भारत तथा नेपाल दोनों देश गुटनिरपेक्षता तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति के प्रति वचनबद्ध हैं। दोनों सरकारें एक दूसरे के आतंरिक मामलो में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं। एक दूसरे के प्रति विश्वास के वातावरण को तैयार करने तथा एक दूसरे की खुशहाली में अपनी मैत्री भावना का आश्वासन प्रदान करने के लिए ये नीतियां सहायक हैं। भारत–नेपाल सम्बन्धों को इस आधार पर और मजबूत किया जाएगा कि हम दोनों के बीच सच्चा सहयोग हो और इस प्रकार सारे प्रदेश में शांति और स्थायित्व रहे।

इस अवसर पर महामहिम की सरकार तथा नेपाल के प्रधान मंत्री के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने मेरी नेपाल यात्रा के दौरान मुझे तथा मेरे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का हार्दिक तथा सद्भावपूर्ण स्वागत किया। मैं, नेपाल नरेश तथा महारानी को उनके सत्कार तथा उनके साथ समान विषयों पर बड़े सद्भावपूर्ण तथा स्पष्ट विचार–विमर्श के लिए आभार प्रकट करता हूँ। अपनी यात्रा, पर विचार–विमर्श तथा मैत्री और सद्भाव के सुन्दर वातावरण से मुझे इस बात पर विश्वांस हुआ कि भारत के रवैये के बारे में जो आशंकाएं तथा गलतफहमियां थीं वह दूर हो गई हैं। हम दोनों देशों के बीच एक सच्चे मित्र की तरह संबंध फिर कायम होने चाहिएं जैसा कि उन देशों के बीच होना उचित हैं जिन्हे शांति और प्रगति में पूरी आस्था हैं।

———

पश्च टिप्पण

नेपाल की यात्रा के बारे में वक्तव्य, 12 दिसम्बर, 1977

कोई टिप्पण नहीं।

पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य

12 दिसम्बर, 1977

मैं सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण की जांच करने के लिए आज एक समिति नियुक्त की है जिसके चैयरमैन श्री अशोक मेहता होंगे। संकल्प की प्रति, जिसमें समिति के गठन और उसके विचारार्थ विषयों की जानकारी दी गई है, सभा पटल पर रखी गई है।

संकल्प

कृषि उत्पादन को बढ़ाने, रोजगार के अवसर जुटाने, गरीबी को हटाने तथा ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था के सभी पहलुओं में सुधार लाने के लिए सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार का विचार है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दोनों क्षेत्रों, आयोजन तथा उसके कार्यान्वयन, में सर्वाधिक विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। तदनुसार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मशविरा करके, पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली की जांच करने तथा उनको सुदृढ़ बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है ताकि आयोजन और विकास की विकेन्द्रीकृत प्रणाली को प्रभावशाली बनाया जा सके।

2. समिति का गठन निम्नए प्रकास से किया गया हैः–

1. श्री अशोक मेहता — अध्यक्ष
2. श्री कर्पूरी ठाकुर, मुख्यमंत्री, बिहार
3. श्री प्रकाश सिंह बादल, मुख्यमंत्री, पंजाब
4. श्री एम.जी. रामचन्द्रन, मुख्यमंत्री, तमिलनाडु
5. श्री बी. शिवरामन्, सदस्य, योजना आयोग
6. श्री मंगल देव, संसद सदस्य
7. श्री कंवर महमूद अली खां, संसद सदस्य
8. श्री अन्ना साहिब पी. शिन्दे, संसद सदस्य
9. श्री ई. एम. एस. नम्बूदरीपाद, त्रिवेन्द्रम
10. श्री एस.के.डे., नई दिल्ली
11. श्री सिद्धराज ढड्ढा, जयपुर
12. प्रो. इकबाल नारायण, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
13. श्री वल्लभभाई पटेल, अध्यक्ष, जिला पंचायत, राजकोट

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नालिखित होंगेः–

1. राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के संबंध में वर्तमान स्थिति और जिला से गांव स्तर तक पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण ताकि कर्मियों तथा त्रुटियों का पता लगाया जा सके। विशेषकर निम्नलिखित के संदर्भ में इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली की जांच करना।
   (क) संसाधन जुटाना।
   (ख) ग्रामीण विकास की स्कीमों का यथार्थ तथा आशावादी ढंग से और समाज के कमजोर वर्गो के हितों को ध्यान में रखते हुए आयोजन और कार्यान्वयन।
2. चुनाव प्रणाली सहित, पंचायती राज संस्थाओं की गठन पद्धति की जांच करना तथा पंचायती राज प्रणाली के कार्य निष्पादन पर उनके प्रभावों का मूल्यांकन।
3. भविष्य में समेकित ग्रामीण विकास के लिये पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका तथा उनके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्यों संबंधी सुझाव देना।
4. पंचायती राज संस्थाओं को अपनी भावी भूमिका निभाने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से उनके पुनर्गठन एवं कमियों और त्रुटियों को पूरा करने के उपाय सुझाना।
5. पंचायती राज संस्थाओं, सरकारी प्रशासन–तंत्र तथा ग्रामीण विकास में संलग्न सहकारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच बने रहने वाले संबंधों के रूप तथा प्रकार संबंधी सिफारिशें देना।
6. पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों को निभाने के लिये पर्याप्त धन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यमक वित्त संबंधी मामलों सहित अन्या सिफारिशें देना।

4. समिति को छः महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी चाहिए तथा यदि वे ऐसा करना आवश्यक समझे अथवा सरकार उनसे ऐसी अपेक्षा करे, तो समिति अपनी अन्तरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकती है।

5. समिति को सचिवालय संबंधी तथा अन्य सहायता कृषि और सिंचाई मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी जाएगी।

———

पश्च टिप्पण

पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य, 12 दिसम्बर, 1977

कोई टिप्पण नहीं।

सिडनी में हुई राष्ट्रमण्डलीय देशों के राज्याध्यक्षों की क्षेत्रीय बैठक में भाग लेने के बारे में वक्तव्य

24 फरवरी, 1978

महोदय, एशियाई तथा प्रशान्त क्षेत्र के राष्ट्रमण्डलीय देशों के अध्यक्षों की बैठक से मैं 17 फरवरी को लौटा हूं, जो सिडनी में पहली बार हुई।

इस सम्मेलन को बुलाने की पहल पिछले साल जून में लन्दन में हुए राष्ट्रमण्डलीय देशों के सम्मेलन में आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री श्री फ्रेजर ने की थी। उस वक्त भी मैंने इस प्रस्ताव का स्वागत किया था, क्योंकि छोटी-छोटी क्षेत्रीय बैठकें कई क्षेत्रों में और खासकर आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की योजनाओं को प्रारम्भ करने और उन्हें गति प्रदान करने में ज्यादा फायदेमन्द तथा कारगर साबित हो सकेंगी, ऐसा मेरा विश्वास था। हमें यह देखकर खुशी हुई कि इस क्षेत्र के सभी बारह देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सिडनी सम्मेलन में हिस्सा लिया। मेरे साथ एक प्रतिनिधिमण्डल गया था, जिसमें विदेश मंत्री भी शामिल थे।

भारत की दृष्टि में इस सम्मेलन से एशियाई तथा प्रशान्त क्षेत्र के राष्ट्रमण्डलीय देशों के नेताओं को, जिनमें से कुछ नौर, पश्चिम समोआ और टोंगा जैसे छोटे-छोटे देशों से आए थे और जिनके साथ हमारे नजदीकी सम्बन्ध नहीं थे उनको भी एक दूसरे के करीब लाने में बहुत मदद मिली। इस सम्मेलन में मुझे बंगलादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान, श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धन, फिजी के प्रधानमंत्री राटू सर कामसीसे मारा, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआं यू, मलेशिया के प्रधानमंत्री हुसेन ओन, न्यूजीलैण्ड के प्रधानमंत्री मुलदून तथा प्रधानमंत्री फ्रेज़र के साथ भी, जो मेज़बान के रूप में अध्यक्ष पद पर मौजूद थे , अपने सम्बन्धों को नया रूप देने का एक सुन्दर अवसर मिला।

हालांकि, जहां सम्मेलन हुआ, उस जगह पर आतंक फैला कर सम्मेलन को भंग करने का दुखद प्रयास किया गया था, परन्तु सर्वसम्मति से सम्मेलन का कार्यक्रम चलता रहा। प्रतिनिधिमण्डलों को तोड़-फोड़ के खतरों से बचाने के लिए आस्ट्रेलिया की सरकार ने हर संभव प्रयास किए। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले सभी देशों ने उनकी व्यवस्था तथा आतिथ्य-सत्कार की सराहना की। इस वक्तव्य के जरिये मैं भी आस्ट्रेलिया के मेज़बानों को अपना धन्यवाद देना चाहूंगा।

नियमित और अनौपचारिक विचार-विमर्शों के दौरान हमने कई मसलों पर बातचीत की, जिसका उल्लेख संयुक्त विज्ञप्ति में किया गया है और जो हमारे मौलिक विचारों तथा आकांक्षाओं के अनुरूप हैं। इसमें दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, आतंक, निरस्त्रीकरण, हिन्द महासागर, दक्षिण अफ्रीका तथा मध्य-पूर्वी देशों से सम्बन्धित प्रश्न शामिल थे। इस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों, संरक्षणवाद का खतरा तथा स्वतन्त्र

व्यापार, वस्तुओं तथा सामान्य निधि, औद्योगिक विकास में वृद्धि के उपायों की आवश्यकता, ऋण भारों, ऊर्जा, मानव साधनों, अनाज उत्पादन तथा ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय आर्थिक तथा व्यावहारिक सहयोग के लिए, दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने तथा छोटे द्वीप राज्यों की विशेष समस्याओं को तय करने के लिए योजनाओं और सम्भावनाओं पर खास ज़ोर दिया गया।

इस सम्मेलन में व्यापार तथा ऊर्जा पर दो परामर्शदात्री ग्रुप और आतंक तथा अवैध औषधों पर दो कार्यकारी ग्रुप स्थापित करने का फैसला किया गया। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के सम्बन्ध में भारत द्वारा प्रस्तुत सन्दर्भ पत्र और इस बारे में मेरे द्वारा बहस शुरू करने से अन्य देशों ने इसमें बहुत दिलचस्पी ली, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा पर स्थापित ग्रुप का समन्वय करने का काम भारत को सौंपा गया। इस बैठक में यह भी फैसला किया गया कि छोटे राज्यों की मदद के लिए विशेष राष्ट्रमण्डलीय कार्यक्रम आगे विचार के लिए प्रस्तुत किए जायें।

जैसाकि प्रेस में घोषणा की गई है, भारत से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण फैसला यह हुआ कि हमने 1980 में अगली क्षेत्रीय बैठक दिल्ली में बुलाना स्वीकार कर लिया है। यह अनुरोध विभिन्न सदस्य देशों के सुझाव पर दिया गया। इस क्षेत्र के देशों में भारत के प्रति जो आदर है तथा उनके साथ कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मज़बूत बनाने की जो संभावनाएं हैं, उनको देखते हुए संतोष मिला। भारत की विविधता तथा इसके विकासात्मक अनुभव की सीमा को अब विभिन्न विकासशील देशों के लिए विकास की संगत पद्धतियों के रूप में माना जाने लगा है। इस बैठक से मैं इन देशों में अपने सहयोगियों को यह विश्वास दिला सका हूं कि आर्थिक विविधता और विकास के मुश्किल काम में हमने जो ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त किए हैं, उन्हें बांटने में भारत को खुशी होगी।

अन्त में मैं कहूंगा कि सिडनी में हुई बैठक बहुत लाभदायक रही क्योंकि यह क्षेत्रीय तथा व्यावहारिक, दोनों थी। यह मंच क्षेत्रीय सहयोग की अन्य एजेन्सियों जैसे एसकैप तथा एशियन में शामिल नहीं है अथवा न ही उनका विकल्प है। ग्रुप की नमनशीलता तथा अनौपचारिकता से एशियाई और प्रशान्त क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सम्बन्धों का विकास करने का एक उपयुक्त ढांचा मिलेगा, ऐसी आशा है। हम उन अनुवर्ती उपायों में सक्रिय रूप से अपना सहयोग देंगे, जिनकी योजना कार्यकारी दलों द्वारा तैयार की गई है ताकि 1980 में दिल्ली में होने वाली बैठक सिडनी से अधिक सफल हो।

———

पश्च टिप्पण

सिडनी में हुई राष्ट्रमण्डलीय देशों के राज्याध्यक्षों की क्षेत्रीय बैठक में भाग लेने के बारे में वक्तव्य, 24 फरवरी, 1978

कोई टिप्पण नहीं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर

6 मार्च, 1978

खेद की बात है कि सदस्यों ने ऐसी बातें कही हैं जो नहीं कही जानी चाहिए। मैं गलत बातों के लिए उनसे लड़ नहीं सकता। कितना समय और धन खराब हुआ है। लेकिन संसदीय जीवन में ऐसा होता रहता है। लेकिन इस सरकार को दोष क्यों दिया जा रहा है? हम उन्हें कोई निर्देश नहीं दे सकते।

यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को हिन्दी में अभिभाषण न दे पाने के लिए क्षमा याचना नहीं करनी चाहिये थी। राष्ट्रपति जी ने क्षमा याचना नहीं की है। इसके बजाय उन लोगों को क्षमा मांगनी चाहिये जो संवैधानिक नीति के विरुद्ध जा रहे हैं। सरकार द्वारा किसी पर हिन्दी थोपने का प्रश्न ही नहीं उठता।

फिर यह कहा गया कि केरल तथा अन्य अहिन्दी भाषी राज्यों को केन्द्र से हिन्दी में संदेश भेजे जा रहे हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। केन्द्र में यह प्रथा नहीं है।

केन्द्र सरकार सन्देश अंग्रेजी में भेजती है लेकिन साथ ही हिन्दी की एक प्रति भेजी जाती है। मैं नहीं समझता कि इस पर कोई आपत्ति हो सकती है। यदि किसी सरकारी विभाग द्वारा सन्देश केवल हिन्दी में भेजा गया है तो हम उसके विरुद्ध अवश्य कार्यवाही करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी विभाग इस प्रकार का कार्य करे।

एक माननीय सदस्य की बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। उन्होंने कहा है कि अभिभाषण राष्ट्रपति पर थोपा गया है और जो बात वह अपनी इच्छा से कहना चाहते थे, नहीं कह पाये हैं। मैं यह कहूंगा कि संसद सदस्य होने के नाते वह (सदस्य) यह भी नहीं जानते कि संवैधानिक प्रक्रिया क्या है और राष्ट्रपति के कार्य क्या हैं। सदैव सरकार की नीति की ही व्याख्या की जाती है। यह बात कोई पहली बार नहीं हुई है। लेकिन कुछ भी बात जबरदस्ती नहीं कहलाई गई है और न ही जबरदस्ती का कोई प्रश्न उठता है।

एक माननीय सदस्य की यह बात सुनकर भी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में तीखेपन, प्रेरणा और दिशा का अभाव है। हम किसी के साथ कटुता नहीं रखना चाहते। न तो मैं ही किसी के साथ कटुता रखना चाहता हूं और न ही राष्ट्रपति ऐसा चाहेंगे।

यह भी कहा गया है कि इसमें केवल आधे सच हैं। हमने कौन से अर्द्ध सत्य आपके समक्ष रखे हैं? क्या यह सच नहीं है कि आज कीमतें गत मार्च की कीमतों की अपेक्षा अधिक नहीं हैं? यही राष्ट्रपति ने कहा है। वर्ष भर में थोक मूल्यों में उतार-चढ़ाव होते रहे हैं यह भी बात हमने कही है। उपभोक्ता मूल्य भी नियमित किये जा रहे हैं उनमें भी कमी हो रही है। आर्थिक समीक्षा से केवल यह सिद्ध होता है कि हम कुछ बात छिपा कर नहीं रख रहे हैं।

कहा गया है कि हम प्रतिपक्ष का सहयोग नहीं ले रहे हैं। यह बात गलत है। हमसे जितना हो सका है, हमने प्रतिपक्ष का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की है और कुछ मामलों में सभी में नहीं, हमें उनका सहयोग भी प्राप्त हुआ है। लेकिन यह कहना कि हमने उनका सहयोग नहीं लिया है, ठीक नहीं है। हम कुछ संवैधानिक उपबन्धों को समाप्त करने हेतु संवैधानिक संशोधन नियंत्रण ला रहे हैं। भूतपूर्व सरकार द्वारा किये गये कुछ संवैधानिक संशोधन हमें स्वीकार्य नहीं हैं, अत: हम उन्हें समाप्त करना चाहते हैं। इस कार्य में हम प्रतिपक्ष के सदस्यों का सहयोग चाहते हैं और उनसे इस बारे में बातचीत भी कर रहे हैं। कुछ बातों में उन्होंने सहमति प्रकट की है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई है कि प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों को भी राष्ट्रपति का बग्गी में बैठकर संसद भवन न आना अच्छा लगा है। वह चाहते हैं हम इस सम्बन्ध में और भी आगे बढ़े। समय के साथ-साथ हम उनकी अन्य बातें भी मान लेंगे।

फिर यह भी कहा गया है जनता सरकार यह दावा कर रही है जैसे देश के इतिहास में पहली बार यह काम करने का श्रेय उसी को है। शायद जो कुछ हमने कहा है, उसका उपहास उड़ाया जा रहा है। हम यह बात कैसे कह सकते हैं। पिछले 30 वर्षों में देश में प्रगति हुई है। इस बात से कौन इन्कार कर सकता है। हम यह भी नहीं कहते कि इन उपलब्धियों का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा है, हम यही कह रहे हैं कि इसके लाभ अधिकांश जनता तक नहीं पहुंचे हैं। अब हम एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। इसी का हम दावा कर रहे हैं, यदि देश प्रगति न करता तो हमारी क्या स्थिति होती। मैंने यह हमेशा कहा है कि पिछली सरकार ने जो भी कार्य किये हैं, उन सब को गलत नहीं ठहराया जा सकता। हो सकता है उनकी कुछ बातें तो गलत हों, पर सब नहीं, अधिकांश बातें ठीक हो सकती हैं।

फिर यह भी कहा गया है कि अभिभाषण में कानून और व्यवस्था की समस्या का उल्लेख नहीं किया गया है। इस बारे में क्या उल्लेख किया जाता? कानून और व्यवस्था की स्थिति में समुचित सुधार नहीं हुआ है यदि सदस्य यह कहना चाहते हैं तो इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन क्या हम इसके लिए जिम्मेदार हैं या देश में इस स्थिति को पैदा करने के लिए हमसे पहले जो शासन कर रहे थे वे जिम्मेदार हैं? यदि इस बात का उल्लेख नहीं किया जाता तो ऐसा कहने का क्या अर्थ है?

'आंसुका' जारी रखने पर आपत्ति की गई है कि पुराने नजरबन्दी निवारक कानून को समाप्त किया जा रहा है। आपात स्थिति के दो वर्षों के भीतर इस कानून का बहुत दुरुपयोग किया गया लेकिन यदि हिंसा का सामना करना है तो पुराने ढांचे की आवश्यकता है अत: हर बात में नुक्स खोजने की आदत अच्छी नहीं है, देश के हित में तथा अच्छी भावना से किये जाने वाले काम का समर्थन किया जाना चाहिए।

*** *** ***1

कहा गया है कि यदि 'आंसुका' जारी रहेगा तो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगी। आंसुका को जारी नहीं रखा जायेगा लेकिन नजरबन्दी निवारक कानून को दण्ड प्रक्रिया संहिता में रखा जा रहा है। यह हिंसात्मक लोगों हेतु लाया गया है। इसका उपयोग

राजनीतिक उद्देश्य से कभी नहीं किया जायेगा लेकिन यदि राजनीतिक कार्य के नाम पर हिंसा का आश्रय लिया जायेगा तो निश्चय ही वह इस श्रेणी के अन्तर्गत आ जायेगा। यह बात हमें भली-भांति समझ लेनी चाहिए।

अल्पसंख्यक आयोग के बारे में भी उल्लेख किया गया है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि श्री मीनू मसानी इज़रायल समर्थक और अरब विरोधी हैं। यह बात बिल्कुल गलत है।

केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। दूसरे सदन में भी इसका उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि इस विषय पर राष्ट्रीय चर्चा कराई जाये। समाचारपत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चर्चा तो हो ही रही है यहां पर भी इसका उल्लेख किया जा रहा है लेकिन इस विषय पर हम विशेष चर्चा नहीं करा सकते। ऐसा संभव नहीं है। जो लोग इस मामले पर मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, वह जितनी बार चाहें, चर्चा करें, मैं इसके लिये तैयार हूं।

बेरोजगारी के प्रश्न का भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन निश्चय ही उसमें यह कहा गया है कि आर्थिक सुधारों के लिए कार्यवाही की जा रही है। बेरोज़गारी दूर करने का यह भी एक तरीका है। अत: यदि यह समझा जाता है कि इस बारे में विशिष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है तो अगली बार इस सम्बन्ध में हम सतर्क रहेंगे।

यह समझ में नहीं आता कि यह कैसे कह दिया गया कि अथाह पूंजी कुछ गिने-चुने लोगों के हाथों में है। यह हमारे कार्यों का नतीजा नहीं है। यदि एक फर्म अथवा एक परिवार की आस्तियां पिछले छह-सात वर्षों में 300 करोड़ रुपये से बढ़कर 1200 करोड़ रुपये हो गई हैं तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है? हम इसके लिए निश्चय ही जिम्मेदार नहीं हैं। बहरहाल हम यह जरूर सुनिश्चित करेंगे कि इतनी अथाह पूंजी गिने-चुने लोगों के हाथों में न रहे। लेकिन इस कार्य में थोड़ा समय लगेगा।

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, हम निश्चय ही इस सम्बन्ध में, ठोस कदम उठाएंगे, विशेषकर उन वस्तुओं के सन्दर्भ में, जिनकी सप्लाई कम है और जिनका आयात किया जा सकता है, और उनका आयात हमने किया है तथा उनके मूल्यों में कमी हुई है।

चीनी के मूल्यों में भी कमी हुई है और अब लोग यह चिल्ला रहे हैं कि चीनी के दाम बढ़ने चाहिये, हर वर्ग के लोग अपनी-अपनी बात कहते हैं। हमें सभी के हितों में सन्तुलन रखना है और यही हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय बाद इसके परिणाम दिखने लगेंगे। सर्वाधिक आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि विपक्ष के नेता ने जांच आयोगों का उल्लेख किया है। उन्होनें यह कह कर अपनी ही सुरक्षा की है कि इस मामले में उन्होंने कोई अनुसंधान नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने यहां पर सुनी-सुनाई अथवा गैर-जिम्मेदार समाचापत्रों के आधार पर बातें कही हैं। उन्होंने बताया है कि 49 आयोग नियुक्त किये गये हैं। उनमें से एक ने तो अपना प्रतिवेदन दे दिया है। शेष आयोग भी तीन-चार वर्ष तक नहीं बैठे रहेंगे।

उन्होंने कहा है कि इन पर 900 करोड़ रुपये व्यय होगा। अब तक इन आयोगों पर 35 लाख रुपये व्यय हुए हैं। यह व्यय 1 करोड़ से अधिक नहीं होगा।

राज्यों में 18 आयोग कार्यरत हैं, इनमें 10 ऐसे राज्यों में हैं जिनमें माननीय सदस्य का दल सत्तारूढ़ है। वह तो इसे अभी भी आवश्यक समझते हैं परन्तु हमारे लिये वही अनावश्यक है।

यह भी कहा गया है कि सरकार की भूमि सुधार नीति से धनी किसानों को ही लाभ पहुंचेगा। मैंने बड़े जमींदारों के विरुद्ध अभियान 1937 में ही चलाया था। बम्बई में हमने 1946 में ही किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया था।

*** *** ***2

यह सच नहीं है कि कांग्रेस शासन में औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन अधिक था। परन्तु पिछले वर्ष का कृषि उत्पादन उससे पूर्व वर्ष से अधिक था।

ग्रामीण क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय कम रही है। इसीलिये ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने को प्रथम वरीयता देना चाहते हैं। हम काम का प्रचार कम करना चाहते हैं तथा वास्तविक कार्य अधिक करना चाहते हैं। आश्चर्य है कि यह कहा जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र की अवहेलना की जा रही है। परन्तु वास्तविकता यह है कि सरकारी क्षेत्र की ओर हम अधिक ध्यान देना चाहते हैं तथा इसे अधिक सक्षम बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र सहयोग से कार्य करे तथा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पनपे।

यह भी कहा गया है कि विभिन्न आयोगों की नियुक्ति कुछ व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए की जाती है। हमें बताया जाए कि पार्टी से किस व्यक्ति को आयोगों में लिया गया है।

परिवार नियोजन कार्य को हम बहुत अधिक महत्व देते हैं। आपात स्थिति की प्रतिक्रिया के कारण इस कार्य को आघात पहुंचा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आगामी दो वर्षों में इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे।

दल-बदल के विरुद्ध विधेयक हम शीघ्र लाना चाहते हैं। लोकपाल विधेयक के अन्तर्गत प्रधानमंत्री तथा सभी संसद सदस्यों को लिया जाना चाहिये।

ईरान और जापान के साथ विशेष सम्बन्धों का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी के साथ भी विशेष सम्बन्धों का प्रश्न नहीं उठता। मैत्री सम्बन्धों को दृढ़ बनाने के लिये सभी देश हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं।

नशाबन्दी कार्यक्रम की आलोचना की जा रही है। यह कार्यक्रम संविधान में सम्मिलित है। क्या आज के लोग संविधान निर्माताओं से अधिक बुद्धिमान हैं। यह कार्यक्रम गरीबों के कल्याण के लिए ही है। हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि नशाबन्दी हमारे लिए अनिवार्य है। निर्वाचन के समय कर्नाटक सरकार भंग कर दी गई। ऐसा कांग्रेस के बंटवारे एवं उनके आन्तरिक झगड़ों के कारण करना पड़ा ताकि वहां पर निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। सदस्यों को मेरी भूलें दर्शाने का अधिकार है। परन्तु कृपया जो दोष नहीं है वे तो मत दिखाएं।

*** *** ***3

पश्च टिप्पण

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर 6 मार्च, 1978

1. **श्री अरविन्द बाला पजनौर** : जब प्रधानमंत्री तथ्यों से विपरीत बातें करेंगे तो हमें विरोध करना ही पड़ेगा। हमारा दल अलग है।

2. **श्री यशवन्त राव चह्वाण (सतारा)** : रोजगार गारन्टी अधिनियम के बारे में क्या स्थिति है?

श्री मोरारजी देसाई : हम रोजगार देने के पक्ष में हैं बेरोजगारी भत्ता देने के पक्ष में नहीं हैं।

मैं इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि वेतन को उत्पादन से जोड़ा जाये।

3. **डॉ. कर्ण सिंह (जम्मू)** : मैं प्रधानमंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

यह सभा तथा राष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग का स्वागत करता है। कुछ राज्यों में हिन्दू अल्प मत में हैं। क्या यह आयोग उनके हितों का भी ध्यान रखेगा?

श्री मोरारजी देसाई : जिस राज्य में जो समुदाय अल्पसंख्या में हों वे अल्पसंख्यक होने के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

डॉ. कर्ण सिंह : क्या यह जम्मू-कश्मीर पर भी लागू होगा?

श्री मोरारजी देसाई : इसका निर्णय आयोग को लेना है।

श्री रामधन (लालगंज) : मैं माननीय प्रधानमंत्री से एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। क्या आप इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे?

श्री मोरारजी देसाई : मैं समझता हूं कि मैं इस मामले में दो तीन बार सभा में बोल चुका हूं इस मामले को मैं गम्भीरता से लेता हूं। इसीलिये हमने स्थायी आयोग की नियुक्ति की है। यह राष्ट्रीय समस्या है तथा मुझे उम्मीद है कि सभी पक्ष इस मामले में सहयोग देंगे ताकि हम इस बुराई को दूर कर सकें।

अमरीका द्वारा तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए समृद्ध यूरेनियम की आपूर्ति स्थगित करने का निर्णय संबंधी समाचार

23 मार्च, 1978

समृद्ध यूरेनियम, जो कि भारत में तैयार नहीं किया जाता है, तारापुर परमाणु बिजलीघर में काम आने वाले ईंधन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी आवश्यकता हमारे किसी भी अन्य परमाणु बिजलीघर के लिए नहीं पड़ती, क्योंकि उनके डिजाइन दूसरे ढंग के हैं। अमरीका की सरकार तथा भारत सरकार के बीच हुए द्विपक्षीय सहयोग-करार में यह व्यवस्था की गई है कि तारापुर बिजलीघर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाला सारा समृद्ध यूरेनियम अमरीका द्वारा दिया जाएगा तथा भारत इसे किसी अन्य स्रोत से नहीं लेगा। तद्नुसार, समृद्ध यूरेनियम का आयात केवल अमरीका से किया जाता है। प्रतिवर्ष औसतन लगभग 17 से 21 मीट्रिक टन समृद्ध यूरेनियम का आयात केवल अमरीका से किया जा रहा है। अमरीका में इस समय अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार, तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए आवश्यक समृद्ध यूरेनियम की खेपें भेजने के लिए निर्यात लाइसेंस का होना जरूरी है, जो कि अमरीकी न्यूक्लीय विनियामक आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक-निकाय (quasi judiciary body) है और अमरीकी सरकार की कार्यपालिका के अन्तर्गत नहीं आता। समृद्ध यूरेनियम के निर्यात-लाइसेंसों के लिए दिए गए आवेदन-पत्रों को वहां की सरकार की कार्यपालिका द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद उन पर अमरीकी न्यूक्लीयर विनियामक आयोग द्वारा विचार किया जाता है। इस समय अमरीका के ऊर्जा विभाग के पास ऐसे दो लाइसेंस हैं, जो क्रमश: 7.6 मीट्रिक टन और 16.7 मीट्रिक टन समृद्ध यूरेनियम के संबंध में हैं। 7.6 मीट्रिक टन समृद्ध यूरेनियम सितम्बर, 1977 में भेजा जाना चाहिए था, तथा लाइसेंस संख्या XSNM-1222, जिसका आवेदन-पत्र 1 नवम्बर, 1977 को दिया गया था, अप्रैल से अक्तूबर, 1978 तक की अवधि में किए जाने वाले समृद्ध यूरेनियम के निर्यात के सम्बन्ध में है। समृद्ध यूरेनियम की ये मात्राएं उस कार्यक्रम के अनुसार ही हैं, जो अमरीका द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद, समृद्ध यूरेनियम के निर्यात के बारे में सितम्बर, 1976 में तैयार किया गया था।

समृद्ध यूरेनियम की पहली खेप के भेजे जाने में विलम्ब का कारण यह था कि अमरीकी सरकार की दीर्घकालीन नीति से सम्बन्धित निरस्त्रीकरण विधेयक वहां की कांग्रेस के विचाराधीन था। फिर भी, राष्ट्रपति कार्टर ने जनवरी, 1978 में अपनी भारत यात्रा के दौरान संसद में यह घोषणा की थी कि तारापुर परमाणु बिजलीघर के रिऐक्टरों के लिए आवश्यक न्यूक्लीयर ईंधन 26 जनवरी, 1978 को भेजा जायेगा। अमरीकी सरकार की कार्यपालिका ने अमरीकी न्यूक्लीयर विनियामक आयोग से यह सिफारिश की कि 7.6 मीट्रिक टन समृद्ध यूरेनियम के संबंध

में विचाराधीन आवेदन-पत्र में मांगा गया लाइसेंस जारी कर दिया जाये। अमरीका में पर्यावरण में रुचि रखने वाले तीन ग्रुपों ने, जिनके नाम राष्ट्रीय साधन रक्षा परिषद, (द नेशनल रिर्सोसेज डिफेंस काउंसिल) सम्बद्ध वैज्ञानिकों का संघ (द यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्टस) तथा सिएरा क्लब है, तथा जिन्होंने पहले भी समृद्ध यूरेनियम की एक खेप के भेजे जाने का विरोध किया था, न्यूक्लीयर विनियामक आयोग के समक्ष इस अनुरोध के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि तारापुर के लिए ईंधन के निर्यात से सम्बद्ध 7 मई, 1976 को की गई सार्वजनिक सुनवाई दोबारा की जाए तथा 7.6 मीट्रिक टन और 16.7 मीट्रिक टन समृद्ध यूरेनियम के निर्यात के लिए विचाराधीन लाइसेंसों से सम्बद्ध कार्रवाई को समेकित किया जाए। 21 फरवरी, 1978 को अमरीकी सरकार की कार्यपालिका ने अमरीकी न्यूक्लीयर विनियामक आयोग से अनुरोध किया कि 7.6 मीट्रिक टन समृद्ध यूरेनियम के विचाराधीन लाइसेंस को, जिसे कार्यपालिका ने अनुमोदित कर दिया था, जारी करने में और विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। समाचार मिला है कि 16 मार्च, 1978 और 20 मार्च, 1978 को हुई अमरीकी न्यूक्लीयर विनियामक आयोग की बैठकों में आयोग के दो सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण इस बारे में निर्णय नहीं लिया जा सका। आयोग के अध्यक्ष ने उन दोनों सदस्यों से विचार-विमर्श पूरा होने तक निर्णय को स्थगित कर दिया है।

दोनों सरकारों के बीच हुए करार और उसके बाद दोनों देशों के बीच हुई बिक्री संबंधी संविदा के अनुसार तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई जारी रखने की आवश्यकता के बारे में हमारी सरकार अमरीकी अधिकारियों को निरंतर बताती रही है। उन्हें यह बताया गया है कि समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई में विलम्ब होने से हैदराबाद स्थित न्यूक्लीयर ईंधन सम्मिश्र के काम पर पहले ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ चुका है और इसकी वजह से तारापुर परमाणु बिजलीघर में बिजली के उत्पादन में मजबूरन कटौती करनी पड़ी है। तथापि, यह विलम्ब किसी प्रकार के नीति सम्बन्धी कारणों से नहीं हो रहा है। इसका कारण प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताएं हैं। हमें विश्वास है कि अमरीकी प्रशासन इस बात की भरपूर कोशिश कर रहा है कि, उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय तेजी से हो, लेकिन अंतिम निर्णय उसके हाथ में नहीं है।

इस विलम्ब के कारण बिजली के उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हम बिजलीघर को पूर्णत: बंद किये जाने की स्थिति से बचाने के उद्देश्य से, समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बिजली के उत्पादन पर आंशिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी चुका है। मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा होना अपरिहार्य है। मैं केवल यही आशा करता हूं कि अमरीकी प्रशासन उक्त आपत्तियों के विरुद्ध निर्णय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेगा और समृद्ध यूरेनियम की खेपें भेजने का काम फिर से जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा।

*** *** ***1

मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति कार्टर द्वारा दिया गया आश्वासन पूरा होगा लेकिन यह तुरंत नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद है कि यह जल्द से जल्द तय हो जाएगा और हमारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। हम यह नहीं कह सकते कि एक साल बाद भी हम इसे प्राप्त करना जारी रखेंगे, क्योंकि एक और कानून बनाया गया है जो लागू होगा। हमें इस मामले में धैर्य रखना चाहिए।

*** *** ***2

हमने अमरीका के साथ मामला उठाया है और हम कठिनाइयां दूर करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। स्थिति यह है कि इस संयंत्र में हम समृद्ध यूरेनियम के अतिरिक्त और कोई ईंधन प्रयोग में नहीं ला सकते और समझौते के अनुसार इसे अन्यत्र कहीं से नहीं मंगा सकते। यदि वे सप्लाई नहीं करते हैं और ऐसा कहते हैं तो अन्य मार्ग खुले हैं। यहां तक की प्रयुक्त सामग्री का परिष्करण भी हम कर सकेंगे। फिर हमारे लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। हम कई चीजों का पता लगा सकते हैं। हमें इस समय सारी स्थिति बताकर अधिक कठिनाइयां उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। हमें उपचार ढूंढना है और आशा है कि हम उपचार ढूंढ लेंगे।

*** *** ***3

अभी समझौता भंग नहीं हुआ है। यूरेनियम की सप्लाई में विलम्ब हो रहा है। अभी उन्होंने मना नहीं किया है। कुछ यूरेनियम आ चुका है और कुछ आने वाला है। यदि समझौता भंग हो जाएगा तो हम जो कुछ भी करना चाहेंगे, करने के लिए स्वतंत्र होंगे। हमारे लिए कोई बंधन नहीं होगा। मैं स्वयं भी समझौता भंग नहीं कर सकता।

*** *** ***4

पश्च टिप्पण

अमरीका द्वारा तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए समृद्ध यूरेनियम की आपूर्ति स्थगित करने का निर्णय संबंधी समाचार, 23 मार्च, 1978

1. **श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच)** : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ने इस संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया है और मैं समझता हूं कि हमारा तारापुर संयंत्र खतरे में है जिस पर लगभग 300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय की जा चुकी है। मैं यह जानना चाहता हूं आखिर क्यों 7.6 टन संवर्धित यूरेनियम की आपूर्ति अभी तक नहीं की गई है, जिसे सितम्बर, 1977 तक ही प्राप्त हो जाना चाहिए था जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति श्री कार्टर ने इस संबंध में आश्वासन भी दिया था।

इस वक्तव्य में जन सुनवाई के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरी बात, अमेरिकी सरकार ने एक कानून पारित किया है जिसके अनुसार संवर्धित यूरेनियम की आपूर्ति केवल ऐसे देश को ही की जाएगी जो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करेगा। इस संदर्भ में, मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में तारापुर संयंत्र को प्रचालनरत रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। प्रश्न इस समय 7.6 टन यूरेनियम की आपूर्ति नहीं किए जाने के बारे में नहीं अपितु यूरेनियम की नियमित आपूर्ति के बारे में है और क्या भारत सरकार इस मामले में अमेरिकी सरकार के साथ किसी समझौते पर पहुंची है, या परमाणु अप्रसार संधि के बारे में नीति में कोई बदलाव किया जा रहा है या किसी अन्य देश के साथ कोई समझौता किया जाएगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा अनुभव रहा है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जिस दिन चर्चा होती है आप उसी दिन नियमों का उल्लेख करते हैं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, व्ययित ईंधन के बारे में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि हमें 7.6 और 16.7 टन संवर्धित यूरेनियम प्राप्त हो जाता है, तब व्ययित ईंधन के भंडारण का प्रश्न उत्पन्न होता है और इसे कहां पर भंडारित किया जाएगा क्योंकि इसके भंडारण की क्षमता विद्यमान नहीं है। समझौते के अनुसार अमेरिका को इसे लेना चाहिए परन्तु वे इसे ले नहीं रहे हैं। तब समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाएगा?

इसके अलावा, मुझे आज ही यह सूचना मिली है कि यदि ईंधन को फिर से प्रसंस्कृत किया जाता है तो बनने वाले पदार्थ, जिसे प्लूटोनियम कहा जाता है, से परमाणु बम बनाया जा सकता है। अब जबकि अमेरिकी सरकार व्ययित ईंधन के प्रसंस्करण की न तो अनुमति दे रही है और न ही इसे ले रही है, यूरेनियम की आपूर्ति भी नहीं कर रही है, इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाएगा? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसके विकास के लिए और थोरियम प्रौद्योगिकी के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं।

2. **श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी)** : यह दुर्भाग्य की बात है कि समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई में देरी हो रही है। इसके विकल्प के बारे में इस सदन का विश्वास प्राप्त किया जाना चाहिए। यह तो आशा ही है कि राष्ट्रपति कार्टर अपने वचन को पूरा करेंगे। परन्तु ऐसा बताया गया है कि एक अर्ध न्यायिक कल्प (quasi judicial body) है और निर्यात लाइसेंस देने का काम अमरीकी न्यूक्लीय विनियामक आयोग करता है। वे सार्वजनिक सुनवाई भी करेंगे। हमारा अमरीका के साथ एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है जिसके अनुसार हम किसी और स्रोतों से समृद्ध यूरेनियम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने अमरीका के साथ यह मामला उठाया है कि यदि इसमें विलम्ब होता है तो क्या हम अन्य स्रोतों से समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई की व्यवस्था कर सकेंगे। क्या सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव है और क्या यह मामला अमरीका के साथ उठाया गया है? और अमरीका की सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

हमें यह भी नहीं मालूम है कि इन प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में कितना समय लगेगा। मेरा मौलिक प्रश्न यह है कि क्या सरकार अमरीका के अधिकारियों के रवैये से खुश है और क्या सरकार का निस्सन्देह यह विश्वास है कि समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई जारी रहेगी।

3. **श्री वसन्त साठे (अकोला)** : माननीय प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में यह उल्लेख किया है कि तारापुर के लिए ईंधन अमरीका से आएगा और भारत किसी अन्य स्रोत से इसे प्राप्त नहीं करेगा। यदि एक पक्ष समझौते का पालन नहीं करता है तो दूसरा पक्ष समझौते से कैसे बंधा रह सकता है? यदि यह ईंधन नहीं आता है तो तारापुर संयंत्र का क्या होगा? अतः इसका विकल्प सोचना होगा। समूचे राष्ट्र में ऐसी धारणा बन रही है कि हमारा राष्ट्र झुक रहा है। मैं प्रधानमंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उन्हें वैकल्पिक स्रोत से यूरेनियम प्राप्त करने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है?

4. **श्री वसन्त साठे** : क्या समझौते में इस बात का उल्लेख था कि राष्ट्रीय साधन रक्षा परिषद की आपत्ति पर इसमें विलम्ब हो सकता है?

श्री मोरारजी देसाई : यह समझौते से बाहर नहीं है। अमरीका अपनी प्रक्रिया के लिए बाध्य है। जैसे कि हम अपनी प्रक्रिया के लिए बाध्य हैं। झुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। मेरी कोशिश यह भी होगी कि तारापुर संयंत्र बंद न हो। इस देश के आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए मैं इसे नि:संकोच बंद कर दूंगा।

श्री वसन्त साठे : मैं संतुष्ट हूं।

श्री मोरारजी देसाई : मेरे ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल रहा है।

डॉ. रामजी सिंह (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य से बहुत संतुष्ट हूं। इस करार के अधीन हम केवल सं. रा. अमेरिका से यूरेनियम की आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। मेरी राय में, करार में इसका उपबंध नहीं होना चाहिए।

हमारे परमाणु वैज्ञानिकों की राय है कि ऊर्जा निर्माण के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना आवश्यक है। इसलिए हमें परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। इसका कोई विकल्प नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि अगले 5 वर्षों में क्या इस तरह की नीति निर्धारित की जाएगी जिससे हम इसे मामले में आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त कर सकें।

श्री मोरारजी देसाई : इस विषय में आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करने हेतु हम हर प्रयास कर रहे हैं।

नन्दा देवी पर सी.आई.ए. द्वारा आण्विक उपकरण को लगाए जाने का समाचार

17 अप्रैल, 1978

नंदा देवी शिखर पर नाभिकीय ऊर्जा युक्त एक शक्ति-संकुल को खोजने के प्रयत्नों के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका में प्रकाशित एक समाचार के आधार पर हमारे यहां के अखबारों में छपी खबरों के कारण माननीय सदस्यों का चिन्तित होना स्वाभाविक ही है। इस प्रयत्न की असफलता से यह आशंका पैदा हो गयी है कि इससे हमारी पवित्र नदी गंगा का जल कहीं दूषित न हो जाए। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे पर्यावरण को और हमारे लोगों को इससे जो खतरे की संभावना है उसके प्रति माननीय सदस्यों और जनता की तरह हम भी चिन्तित हैं।

सदन को यह ज्ञात है कि जैसे ही इन रिपोर्टों की ओर हमारा ध्यान गया, हमने अमरीकी प्राधिकारियों से अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की और उसके बाद नई दिल्ली में तथा वाशिंगटन में हम निरन्तर उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। स्वयं अपनी ओर से भी हमने पिछले कुछ दिनों में यथा शक्ति पूरी जांच पड़ताल करके अधिक से अधिक विवरण प्राप्त करने की कोशिश की है। उस समय की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए और उस समय दूर और पास में होने वाली वैज्ञानिक गतिविधियों के संदर्भ में भारत सरकार ने और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने उच्चतम स्तर पर यह निर्णय लिया था कि नाभिकीय शक्ति संकुल सहित एक दूरस्थ संबंधी युक्ति नंदादेवी के उच्चतम शिखर के पास किसी स्थान पर प्रक्षेपणास्त्र संबंधी घटनाओं की जानकारी हासिल करने के लिए स्थापित की जाए। तद्नुसार, भारतीय पर्वतारोहियों का एक दल नंदादेवी पर गया और उसके बाद भारत तथा अमरीकी पर्वतारोहियों का एक संयुक्त दल आवश्यक वैज्ञानिक उपकरणों के साथ इस युक्ति को स्थापित करने के लिए 25,000 फुट की ऊंचाई पर गया।

यह पर्वतारोही दल जब शिखर के करीब पहुंच रहा था उस समय एक बर्फानी तूफान में फंस गया, जिसके कारण पहाड़ पर और ऊपर चढ़ना असंभव हो गया और दल के लिये घातक संकट उत्पन्न हो जाने के फलस्वरूप उसे मजबूर होकर 23,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित नीचे के शिखर पर लौटना पड़ा। बहुत ही मजबूरी में अत्यन्त कष्टप्रद और श्रम साध्य परिस्थितियों में इस प्रकार उतरते हुए उन्हें इस शक्ति संकुल को सुरक्षित स्थान पर छिपाकर रखना पड़ा। सर्दियों का मौसम आ जाने की वजह से इस युक्ति को पुन: ढूंढ कर निकाल लेना उस समय संभव नहीं था और इसलिए यह कार्य स्थगित करना पड़ा। अगले मौसम में, यानी, मई, 1966 में इस युक्ति को प्राप्त कर स्थापित करने के उद्देश्य से पुन: पर्वतारोहण किया गया लेकिन इस क्षेत्र में पहुंचने के बाद पर्वतारोही दल को यह ज्ञात हुआ कि उस क्षेत्र के आस-पास भारी हिमस्खलन हुआ है और इसके कारण युक्ति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतिसंवेदनशील वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से भूमि पर और हवाई जहाज से इस शक्ति-संकुल को ढूढ़ने का हर संभव प्रयत्न किया गया लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। इन तमाम प्रयत्नों के बाद हमारे विशेषज्ञ, जिनमें वैज्ञानिक भी शामिल थे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर यह शक्ति-संकुल टूट गया होता तो इन उपायों से उसका पता लग जाता इसलिए यह संभव है कि यह युक्ति हिमस्खलन के साथ बहकर कहीं आस-पास की किसी गहरी हिम दरार में नीचे जा गिरी हो और वहां दब गई हो। इसके बाद हर वर्ष जमीन पर और हेलीकॉप्टर के द्वारा बहुत बड़े क्षेत्र में इसकी तलाश जारी रही और यह तलाश 1968 तक की जाती रही। लेकिन यह उपकरण इन वैज्ञानिक साधनों से भी न तो दिखाई दिया और न ही इसका पता लगा।

इसी प्रकार सन् 1970 तक पानी के नमूने लिये जाते रहे और कुछ वर्ष तक उन पर बराबर निगाह रखी गई, लेकिन कहीं किसी प्रकार के दूषण का पता नहीं चला।

1967 में इस क्षेत्र में एक नई युक्ति ले जायी गई और निकटवर्ती एक शिखर पर उसे स्थापित कर दिया गया। कुछ समय तक यह युक्ति सामान्य रूप से कार्य करती रही लेकिन बाद में, 1968 में उसे निकाल लिया गया और संयुक्त राज्य अमरीका को वापस लौटा दिया गया। जैसा कि मैंने कहा है स्पष्टत: यह काम प्रमुख रूप से भारतीय कार्मिकों ने किया था लेकिन यह संयुक्त तत्वावधान में किया था और यह तत्कालीन भारतीय सरकार के उच्चतम राजनीतिक स्तर की जानकारी में था तथा उसके अनुमोदन से किया गया था।

कुछ दिन पहले अखबारों में इस समाचार के प्रकाशित होने के बाद हमने उपलब्ध अभिलेखों से तथा संयुक्त राज्य अमरीकी सरकार और इस योजना से सम्बद्ध भारतीय विभागों से परामर्श करके इन पर्वतारोहणों के सम्बन्ध में संगत विवरण और पृष्ठभूमि की जानकारी हासिल की है।

हमने इस युक्ति के बारे में यथासंभव अधिक-से-अधिक तकनीकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी और इस पर प्रकाशित सामग्री के अनुसार, यह एक ऐसी शक्तिशाली युक्ति है जोकि 2-3 पाउण्ड प्लूटोनियम-238 मेटल एलाय से अर्जित है, जो ऐसे कई दोहरे खोलों में रखा हुआ है जिनसे वह रिस नहीं सकता। इस प्लूटोनियम को धारण करने वाले अन्दर के खोल 20 मि. मि. मोटे टेनटेलम के बने हैं, जोकि एक दूरगलनीय धातु है। टैनटेलम का पहला काम तो यह है कि वह प्लूटोनियम ईंधन की संक्षारक क्रिया को रोके। इसके बाहर के खोल निकल एलॉय के बने हैं जो बहुत ही मजबूत होते हैं और उसमें तापमान के उतार-चढ़ाव सहने की शक्ति होती है। ये खोल ग्रेफाइट के एक ऊष्मा ब्लॉक में बन्द हैं और ये ब्लॉक स्वयं तापविद्युतीय मोडुल्स के साथ बेलनाकार एल्यूमिनियम के ढांचों में बन्द है जिसका व्यास 14 इंच और ऊंचाई 13 इंच है। इस समूची युक्ति का कुल भार 38 पाउण्ड है।

इन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय सुरक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया था जिनमें इस काम को करने वालों के लिये और सामान्य जनता के लिये सम्भावित

खतरों से सुरक्षा भी शामिल है और इससे निष्कर्ष यह निकला कि कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका ने जो परीक्षण किए हैं उनसे यह पता चलता है कि अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जबकि यह समूचा ईंधन अनायास पानी में खुल जाने की स्थिति में पानी के दूषित होने की अगर कोई संभावना है भी तो इतनी नहीं कि वह असुरक्षा की सीमा तक पहुंच जाए। हम समझते हैं कि ऐसी असंभावित स्थिति आ जाने पर भी 5,000 गैलन पानी प्रतिदिन का बहाव स्वयं ही पानी में घुली सामग्री को इतना पतला कर देगा कि उससे पीने के पानी पर उसका कोई असर नहीं रह जाएगा। वैज्ञानिकों का यह भी विश्वास है कि इसके अचानक खुल जाने की वजह से वायुदूषण का खतरा भी बहुत कम है। संक्षेप में उनका दावा यह है कि इसके डिजाइन की बारीकियां और इसकी सुरक्षा व्यवस्था इस तरह की है कि इसके टूट जाने और इसके परिणामस्वरूप जल और पर्यावरण के दूषण सम्बन्धी संकटों से बचने के लिए इसमें अधिकतम संभव सुरक्षा सुनिश्चित की गयी है।

इसके डिजाइन में सुरक्षा की व्यवस्था और भौतिक और वैज्ञानिक तरीके से की गई खोज के परिणामों के बावजूद अब चूंकि हमारी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है, इसलिए हम हर ओर से अपने को आश्वस्त करने के उद्देश्य से इस दिशा में नये सिरे से प्रयत्न कर रहे हैं। हम इस समस्या के अध्ययन और आकलन के लिए वैज्ञानिकों की एक समिति नियुक्त करना चाहते हैं। यह समिति सभी संभव विशेषज्ञ सलाह की सहायता से ऐसे अन्य उपायों की सिफारिश करेगी जो पर्यावरण को और जनता को किसी भावी संकट से बचाने के लिए आवश्यक समझे जाएं। हमने ऊपरी क्षेत्रों में पानी के ताजे नमूने हासिल करवाने के लिए तत्काल कार्रवाई की है।

जैसा कि मैंने बताया, हम अमरीकी सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं। अमरीकी प्राधिकारियों ने हमें उस समय तकनीकी विवरण, वैज्ञानिक सहयोग और उन्नत उपकरण दिए जबकि 1966 की गर्मियों में इस लापता शक्ति-संकुल की तलाश का काम किया जा रहा था।

मुझे याद है कि चिन्ता, आशंका और अवसाद के उन दिनों में हम किस विकट स्थिति में थे। भारत में उच्चतम स्तर पर सम्बद्ध प्राधिकारियों ने विभिन्न खतरों और संकटों को पहचानने के लिए बहुत सावधानी से स्थिति का मूल्यांकन किया तथा कुछ कारगर युक्तियां अपनाने की बात सोचते हुए उन उपायों को क्रियान्वित करने का निश्चय किया जिनकी रूपरेखा मैंने अभी आपके समक्ष उपस्थित की है। अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि जहां तक आदमी के बस की बात थी, इन संकटों से बचने के लिए हर तरह की कोशिश की गई थी। यह दुर्भाग्य की बात है कि भविष्य के रास्ते में प्रकृति ने हस्तक्षेप कर दिया और अब हम यह देख रहे हैं कि यह निरन्तर भय और चिन्ता का एक कारण बन गया है।

बहरहाल, जहां तक मेरा ख्याल है स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण के लिए खतरे के आधार पर मुझे कोई बहुत बड़ा संकट नजर नहीं आता। अब तक जो अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिलता है, वह यह है कि इस संकुल में हिफाजत संबंधी जो सावधानियां बरती गई हैं, वे उतनी ही कारगर हो सकती हैं जितना उनके कारगर होने का दावा किया गया है और अगर यह बात ठीक है

तो संभव है भविष्य में दूषण का कोई कुप्रभाव न हो। यह बड़े सन्तोष की बात है कि अब तक कुप्रभाव की कोई बात देखने में नहीं आई है। मैं सदन को यह विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि जहां तक हमें जानकारी है भारतीय भूमि पर ऐसी कोई और युक्ति स्थापित नहीं है और हम किसी ऐसे काम के लिए अनुमति भी नहीं देंगे जिसमें हमारे राष्ट्र को खतरे के समक्ष डालने की क्षमता हो।

*** *** ***1

सदन को मैं तथ्यों की विस्तृत जानकारी दे चुका हूं। सी. आई. ए. और सी. बी. आई. को इस मामले में लाने का कोई औचित्य नहीं है। केवल वही दो एजेंसियां ही कार्य नहीं कर रही हैं बल्कि अन्य वैज्ञानिक एजेंसियां भी कार्य कर रही हैं। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता।

यह एक गम्भीर मामला है और सरकार इस बारे में चिन्तित है। उनका निर्णय सर्वोच्च स्तर पर और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया था और इसमें पूरी सावधानी भी बरती गई थी। इस बारे में बरती गई सावधानी से मैं सन्तुष्ट हूं।

*** *** ***2

माननीय सदस्य ने कहा है कि सी.आई.ए. ने सरकार पर दबाव डाला है कि वह रहस्योद्घाटन न करें। हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। विश्व की कोई भी शक्ति हम पर दबाव नहीं डाल सकती।

मैं आप लोगों की तरह किसी भी बात पर यूं ही विश्वास नहीं करता, मुझे अपने दायित्व का पता है। अत: मैंने पूरी तरह इसका अध्ययन किया है। मुझे यकीन है कि यह सी.आई.ए. अथवा सी.बी.आई. द्वारा आरम्भ नहीं किया गया। यह इस देश के विज्ञान विभाग द्वारा आरम्भ किया गया है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा परन्तु इसके लिए देश की सर्वोच्च शक्ति उत्तरदायी है; यदि मैं किसी से कोई कार्य करने के लिए कहता हूं तो उसमें कार्य करने वालों का क्या दोष है। उन लोगों को दोष क्यों देते हो। उस समय देश में खतरा महसूस किया गया था और इस खतरे से बचने के लिये ऐसे कदम उठाने आवश्यक समझे गये। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। मैंने कहा है कि इस प्रकार अन्य कोई उपकरण भारत की धरती पर नहीं है। उन्हें और भी आश्वासन चाहिए? कोई तथ्य इस बारे में छुपाया नहीं गया, इस उपकरण के बारे में सावधानी भी बरती गई और सावधानी के उपायों से सन्तुष्ट हूं। 12 वर्षों में पानी का दूषित न होना क्या इस बात का प्रमाण नहीं है। यदि पानी दूषित होता तो हम सभी को कैंसर हो गया होता। हममें से किसी को भी ऐसा नहीं होगा।

पश्च टिप्पण

नन्दा देवी पर सी.आई.ए. द्वारा आण्विक उपकरण को लगाए जाने का समाचार, 17 अप्रैल, 1978

1. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि यदि इस तरह के नाभिकीय उपकरण धार्मिक नदियों के उदगम में लगाए जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सी. आई. ए. एजेंट विश्व के सभी भागों में सक्रिय हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के उपकरणों का प्रभाव एक वर्ष से दस वर्ष तक रहता है और जल के उपयोग के परिणामस्वरूप क्या कैंसर एवं अन्य रोग हो सकते हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार को सी. आई. ए. द्वारा नाभिकीय उपकरण लगाए जाने की जानकारी थी और क्या कुछ असामाजिक तत्वों और संस्थाओं का भी इसमें हाथ था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या परमाणु ऊर्जा आयोग से इस बात की जांच करने का अनुरोध किया जाएगा कि जल संदूषित हुआ है अथवा नहीं।

श्री मोरारजी देसाई : इस विषय में सी.आई.ए. को घसीटने का प्रश्न ही नहीं है। यह कार्य हमारी सरकार ने अमेरिकी सरकार के परामर्श से किया है। यह अलग बात है कि ऐसा करना चाहिए था या नहीं। इसलिए इस मामले में किसी को दोष देने की बात नहीं है।

श्री के. लकप्पा (तुमकुट) : मैंने इस बारे में प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। इस बारे में न केवल उचित उत्तर बल्कि स्पष्टीकरण भी दिया जाना चाहिये था। गत तीन दिनों से यह समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि सीआईए केन्द्रीय गुप्तचर विभाग से सांठ-गांठ कर कार्य करता रहा है।

इस बारे में न केवल सरकार बल्कि भूतपूर्व गृह मंत्री का भी दायित्व है। सीआईए और सीबीआई के सम्बन्धों के बारे में भी विचार किया जाना चाहिये।

इस मामले में न केवल विदेश मंत्रालय बल्कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी अंतर्ग्रस्त हैं। हमारे वैज्ञानिक भी इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

यह बहुत गम्भीर मामला है। यह बात सिद्ध होती है कि कुछ बाहरी ताकतें हमारे देश में कार्य कर रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस समय कौन सा अभियान दल आया था और इससे सम्बन्धित अधिकारी कौन-कौन थे और इस मामले में वैज्ञानिकों ने क्या सलाह दी। इस मामले के सब पहलुओं पर एक उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष वैज्ञानिक निकाय द्वारा जांच की जानी चाहिये।

2. **विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी)** : मैंने प्रेस को यह नहीं कहा था कि मैं इस बारे में सदन में वक्तव्य दूंगा। जहां तक "बमशैल" का संबंध है मुझे यह कहना है कि श्रीमती इंदिरा गांधी आपात स्थिति में एक ओर अमरीका और सीआईए पर आरोप लगा रही

थीं और दूसरी ओर विपक्ष पर यह आरोप लगा रही थी कि वे लोग अमरीका से सांठ-गांठ कर रहे हैं लेकिन स्थिति पैदा होने पर वास्तव में उन्होंने इस बारे में अमरीका का साथ दिया।

श्री शंकर सिंहजी वाघेला (कापडगंज) : इस संबंध में तथ्यों की जानकारी देने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आपने अपने वक्तव्य में बताया है कि हमारी पवित्र नदी गंगा के जल के संदूषण की कोई संभावना नहीं है। परन्तु प्लूटोनियम से कैंसर और अन्य बिमारियां हो सकती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का रुझान एक ओर तो रूस की ओर था तो दूसरी ओर सी.आई.ए. के साथ सांठ-गांठ करके चीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नंदा देवी पर एक उपकरण को संस्थापित किया था। पूर्व प्रधानमंत्री की रूस और अमेरिका के बारे में वास्तविक नीति क्या थी। मैं समझता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने अमेरिका के सहयोग से चीन के विरुद्ध एक संयुक्त रक्षा नीति बनाई थी।

श्री मोरारजी देसाई : हम चीन के साथ युद्धरत नहीं हैं। यह कहना उचित नहीं होगा कि यह सब श्रीमती इंदिरा गांधी की वजह से हुआ था।

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : इस विषय पर प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से मुझे न केवल आश्चर्य हुआ है बल्कि दुख भी हुआ है। विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया से यह पता लगता है कि इस मामले में अभी बहुत कुछ छिपाया गया है। वह एक मामूली वैज्ञानिक अभियान नहीं था । सीआईए इस देश और अन्य विकासशील देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गम्भीर खतरा है। इस खतरे को कम नहीं समझना चाहिये।

प्रधानमंत्री के वक्तव्य में राजनीतिक पहलू की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। हम प्रधानमंत्री से इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि सीआईए को देश में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। हम आशा करते थे कि विदेश मंत्री अथवा प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में सीआईए की गतिविधियों के बारे में अपने रूख को स्पष्ट करेंगे। हम एक विशिष्ट प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं । हमने अमरीका की सरकार से इस मामले में गहरी चिन्ता प्रकट की है।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि सीआईए इन प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के खिलाफ है। इसका राजनैतिक कारण है। आपको शायद हंसी आये परन्तु आप एक दिन अवश्य मेरी बात मानेंगे। इस स्पष्टीकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो इस वक्तव्य में छुपाई गई है वह है इस मामले में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों पर डाला गया दबाव। सीआईए एजेंसियों ने उन पर दबाव डाला है कि वे प्रत्येक बात भारत सरकार को न बतायें यद्यपि दोनों सरकारों के बीच सहयोग है और समझौता भी है। यह बात महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका प्रशिक्षण यहां हुआ है। मुझे उनकी प्रतिक्रिया पर आश्चर्य होता है।

श्री मोरारजी देसाई : यहां नहीं वहां।

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : क्या सरकार ने उन लोगों के बारे में आगे और जानकारी प्राप्त की है जो इस अभिमान में अन्तर्ग्रस्त हैं? मैंने कहा है कि इसका राजनैतिक उद्देश्य है। सीआईए द्वारा यह बात वहां के राष्ट्रपति जानसन तथा उनके पश्चात् होने वाले राष्ट्रपति से भी छुपाई

गई। प्रधानमंत्री का आदर करते हुए मैं फिर यह बात दोहराना चाहता हूं कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अभियान में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों ने चोरी छिपे और कोई अन्य पर्वतारोहण बाद में किया हो? पता चला है कि त्रिसूल के लिये कई बार ऐसे प्रयास किये गये। ऐसे समाचार मिले हैं कि कुछ अमरीकी इन अभियानों पर गये। पता चला है कि एक यात्रा एजेन्सी ने 1975 में आकाश अभियान आयोजित किया था -- यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या सरकार इस बारे में कोई जांच करायेगी। सीआईए का षड़यंत्र अभी तक चल रहा है। विदेश मंत्री तथा उनके कार्यालय के आसपास सीआईए के एजेंट चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे तत्वों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं प्रधानमंत्री से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि सी.आई.ए. की गतिविधियों को पूरी तरह से रोका जायेगा।

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव

11 मई, 1978

विरोधी पक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है।वे इसे जिम्मेदारी से करें या गैर-जिम्मेदारी से, यह देखना उनका काम है। मैंने सोचा था कि जो कुछ कहा जाएगा, उससे कुछ लाभ होगा और सरकार सुधारी जाने वाली गलतियों को सुधारेगी। परन्तु हमें ऐसी कोई चीज सुनने को नहीं मिली। जबसे यह सरकार बनी है, मैं एक ही बात सुनता आ रहा हूं।

केवल दो नये तर्क सुनने को मिले है। एक ये कि मेरे प्रधान सचिव ही सरकार को चला रहे हैं और पहले की तरह अब भी एक काकस है। मेरा लड़का भी कुछ इसी प्रकार का काम कर रहा है। इससे बढ़कर कोई और हास्यास्पद बात हो नहीं सकती। प्रधान सचिव का अधिकारियों के चयन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस बारे में वह अपने विचार व्यक्त नहीं करते। अधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा की जाती है और तीन व्यक्तियों द्वारा निर्णय किया जाता है, वे तीन व्यक्ति हैं। सम्बन्धित मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री यह कोई नई प्रथा नहीं है। ऐसा 1947 से होता चला आ रहा है। प्रधानमंत्री को उनके प्रधान सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में प्रभावित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि वह ऐसा करने का प्रयास करता है तो वह एक दिन भी इस पद पर नहीं रह सकता। यहां तक कि प्रधान मंत्री भी किसी प्रकार अन्य मंत्रियों को प्रभावित नहीं करता। वे जो चाहें सिफारिशें कर सकते हैं।

मेरे लड़के द्वारा तेहरान के लिए एक गैर-अनुसूचित उड़ान भरे जाने के बारे में कहा गया है। मुझे यह मालूम नहीं कि अनुसूचित उड़ान क्या होती है। हवाई जहाज को वहां पर उतरना था। यह मेरे लड़के के लिये नहीं किया गया था। जब मैं वहां गया था, तो भी जहाज का वहां पर हाल्ट था। यह मेरे लिये नहीं किया गया। यह कहने का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने गैर-अनुसूचित उड़ान भरी? वह लन्दन से मास्को बरास्ता तेहरान गये थे। यदि वह यहां आकर फिर वहां जाते तो यह उन्हें महंगा पड़ता और उन्होंने यह अपने निजी खर्चे पर ही किया। सरकारी रुपया उन पर खर्च नहीं किया गया। वह वहां सितम्बर के अन्त में गये थे। वह वहां पर अपने कारोबार से सम्बन्ध विच्छेद करने के लिए गये थे। वहां पर वह एक कम्पनी के निदेशक थे, जो भारत में काम कर रही थी। वह वहां पर कुछ वर्षों के लिए निदेशक थे और रिजर्व बैंक की अनुमति से प्रत्येक वर्ष बैठकों के लिए वहां जाते थे। वह त्यागपत्र देना चाहते थे ताकि उनका किसी प्रकार के कारोबार से सम्बन्ध न हो।

यदि विरोधी पक्ष यह महसूस करता है कि इस तरीके से वे जनता पार्टी को तोड़ सकते हैं तो वे गलत हैं। मैं यह नहीं कहता कि हममें त्रुटियां नहीं हैं। कोई भी दल यह दावा नहीं कर सकता कि उनकी पार्टी में मतभेद नहीं है।

पूछा गया है कि हमने क्या किया है और क्या परिवर्तन हुआ है। जो परिवर्तन हुआ है, उसे सारा विश्व जानता है। पूर्ण सन्तोष नहीं है तो यह बात तो समझ में आ सकती है कि

मैं यह नहीं कह सकता कि एक वर्ष के अन्दर प्रत्येक मामले में पूर्ण सन्तोष दिया जा सकता है। परन्तु ऐसी कोई बात नहीं जिसके लिये हमें शर्म आनी चाहिए या हमने वह सब कुछ नहीं किया जो हम कर सकते थे या जिसे हम करने में सफल हुए हैं।

मूल्यों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। क्या यह सही नहीं है कि जो मूल्य मार्च में थे, उनकी तुलना में मूल्य अधिक नहीं हैं। हम यह नहीं कहते कि वे कम हुए हैं। उन्हें कम करना है। यदि प्रतिवर्ष 10 वर्ष की मुद्रास्फीति के बाद आपात काल के 6 महीनों को छोड़कर हम उसे रोक सके हैं तो क्या यह एक उपलब्धि नहीं है ? उनका कहना है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या यह परिवर्तन कम है कि सारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की छूट है कि वह जो चाहे कह सकता है? क्या यह भारी परिवर्तन नहीं है। स्थिति यह थी कि जब हमने सरकार की खामियों को बताने का प्रयास किया तो हमें ऐसी जगह पकड़ कर ले जाया गया जिसकी हमें खबर तक न थी।

उन्हें केवल इसी बात का खेद है कि उन्होंने जो गलतियां की थीं, हमने उन्हें ठीक कर दिया है। अब प्रेस पूर्णरूप से स्वतंत्र है। यहां तक कि जो कुछ हम कहते हैं, उसे नहीं छापा जाता और जो कुछ वे कहते हैं, उसे मोटे अक्षरों में छापा जाता है। समाचारपत्रों के देखने से यह कथन स्वयं सिद्ध हो जाएगा।

जहां तक जन संचार माध्यमों का सम्बन्ध है, जन संचार माध्यमों द्वारा उनके बारे में जरूरत से कहीं अधिक प्रचार किया जा रहा है। फिर भी वे कहते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस देश में यह पहला अवसर है, जब कि चुनावों में विपक्षी दलों और सत्ताधारी दल को आकाशवाणी पर बोलने का समान अवसर दिया गया है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोक संचार माध्यम स्वतंत्र रूप से कार्य करें और वे सरकार के प्रभाव में न रहे। लेकिन इस मामले पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम ने एक समिति गठित की है। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। हम इस बारे में शीघ्र ही निर्णय लेंगे। लेकिन फिर भी इस पर समय लगेगा। अत: यह कहना अर्थहीन है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं।

हम समाचारपत्रों या प्रेस के मामले में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। मैंने प्रेस से कह दिया है कि यदि वह अपनी प्रेस परिषद् बनाना चाहते हैं, तो बना लें। मैं उसमें किसी व्यक्ति को नामजद नहीं करूंगा।

अब विपक्ष को देखिए क्या विपक्ष अब पहले की भांति इतनी अधिक अकड़न में है ? विपक्ष के नेता को पूर्णतया मान्यता दे दी गई है। अनेक मामलों में विपक्ष से परामर्श लिया जाता है। परामर्श के परिणामस्वरूप ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ है। राष्ट्रपति को भी सर्वसम्मति से चुना गया है।

खाद्य की स्थिति को देखिए। अब खाद्य अधिक मात्रा में उपलब्ध है। हर चीज़ आसानी से मिल रही है। बम्बई में तथा अन्य बड़े नगरों में जहां कहीं लोगों से मिला हूं, मुझे बताया गया है कि अब हर चीज़ आसानी से उपलब्ध है। अब उत्पादन अधिक हो रहा है। उद्योगों

की स्थिति बेहतर है। यह सब पर्याप्त नहीं है, परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेंगे।

शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। परन्तु हम पिछली सरकार की भांति बिना सोच-विचार किये परिवर्तन नहीं कर सकते। हम इस मामले में शिक्षा-विदों को अपने साथ लेकर कार्य करना चाहते हैं। अत: हम सम्बन्धित व्यक्तियों से शिक्षा के मामले पर विचार-विमर्श कर रहे हैं और मतैक्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि संविधान में बहुत पहले संशोधन किया जाना चाहिए था। लेकिन हम विपक्ष को अपने साथ लिए बिना यह काम नहीं करना चाहते और जहां तक संभव होगा, हम ऐसा ही करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि दलबदल रोक विधेयक के मामले में हमें काफी हद तक सहमति प्राप्त हो गई है। इस मामले में इसलिए विलम्ब हो रहा है, क्योंकि हम विपक्ष की राय लेना चाहते हैं ताकि मार्ग में कोई बाधा न करे और यह उपाय अधिक कारगर सिद्ध हो सके।

मैं विपक्ष के विरुद्ध नहीं हूं और न ही अविश्वास प्रस्ताव लाने के विरुद्ध हूं। मैं चाहता हूं कि विपक्ष शक्तिशाली हो। वे गुटों की बात कर रहे थे। हमारे दल में कोई गुटबाजी नहीं है, विचार की भिन्नता हो सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना घटी है कि पांच विभिन्न विचारधाराओं वाले दल एक दूसरे के दबाव के बिना लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए आपस में मिले हैं। अब वे एक हो गए हैं और एक नया दल बन गया है। जो आंखें होते हुए भी न देखना चाहे, उनसे क्या कहा जा सकता है, परन्तु वास्तविकता यह है कि हमारा दल एक दल है और उसमें गुटबाजी नहीं है।

हरिजनों पर अत्याचारों, कानून और व्यवस्था की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया गया है। लेकिन ये समस्याएं केवल हम से सम्बन्धित नहीं हैं, समूचे देश से सम्बन्धित हैं। ये समूचे देश की समस्याएं हैं। ये समस्यायें पहले भी रही हैं। परन्तु मैं यह नहीं कहना चाहता कि ये समस्याएं रहेंगी। हम इन्हें अवश्य दूर करेंगे। यह हमारा दायित्व है। पहले इन बातों का प्रकाशन नहीं होता था। पहले हरिजन आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को संघर्ष करने का साहस नहीं था। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि अब वे पूर्ण संघर्ष करने के लायक हो गए हैं।

मैं विपक्षी दल के नेता का आभारी हूं कि उन्होंने अपनी कमजोरी यहां जाहिर की है। यदि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर जोर देना चाहता है तो उन्हें ऐसा करने का अवसर प्राप्त है। लेकिन इससे उनकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी।

पश्च टिप्पण

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव, 11 मई, 1978

कोई टिप्पण नहीं।

बेल्जियम, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा के बारे में वक्तव्य
20 जुलाई, 1978

अध्यक्ष महोदय, 5 जून से 17 जून तक की अपनी विदेश यात्रा के विषय में आपकी अनुमति से मैं एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहूंगा। तेहरान में एक संक्षिप्त तकनीकी पड़ाव के दौरान मैंने ईरान के महामहिम शहंशाह से उनके निमन्त्रण पर भेंट की। बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्रियों से और संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के निमन्त्रण पर मैंने उनके देशों की यात्रा की। मैंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के निरस्त्रीकरण संबंधी अधिवेशन में भी भाषण दिया। विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी लन्दन में मेरे पास आ गए और उसके बाद उन्होंने मेरी सहायता की।

ईरानः तेहरान में मैंने ईरान के महामहिम शहंशाह के साथ लाभदायक विचार–विमर्श किया और विगत फरवरी में उनकी भारत यात्रा के बाद की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में हमने संक्षेप में क्षेत्रीय स्थिति की समीक्षा की। इस विचार–विनिमय से हमारी आपसी सद्भावना बढ़ी तथा हमारे क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता तथा इस क्षेत्र के राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग में हमारी दिलचस्पी और मजबुत हुई। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इन विषयों पर हम लोगों में बहुत हद तक सहमति रही।

बेल्जियमः बेल्जियम की मेरी यह यात्रा 1972 के बाद से राजनीतिक स्तर पर पहली यात्रा थी। बेल्जियम के साथ हमारी कोई राजनीतिक समस्या नहीं है किन्तु बेल्जियम के प्रधानमंत्री के साथ मेरा विचार–विमर्श बहुत लाभदायक रहा और इसमें हमने यूरोप, एशिया और अफ्रीका की समस्याओं पर बातचीत की। हमने विशेष रूप से जाईर की हाल की घटनाओं पर विचार विनिमय किया और हम इस बात पर सहमत थे कि इस क्षेत्र की सुरक्षा का प्रश्न खुद अफ्रीकियों पर छोड़ दिया जाना चाहिये जिसे वे अफ्रीकी एकता संगठन के मार्गनिदर्शन में पूरा करें। मैं बेल्जियम के महामहिम नरेश से भी मिला।

ब्रुसेल्स में मैंने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष श्री राय जेन्किन्स से तथा समुदाय के विदेशी मामलों के प्रभारी उपाध्यक्ष श्री डब्ल्यू हैफरकेम्प से तथा उनके सहयोगियों से भी मैंने उपयोगी बातचीत की। मैंने उनसे कहा कि प्रमुख व्यापारिक साथीदार की हैसियत से हम युरोपीय आर्थिक समुदाय से यह आशा करते है कि वह व्यापार को सुविधाजनक बनाएगा और अल्पकालिक समस्याओं की तार्किकता और प्रतिबन्धनात्मक नीतियों को रोकेगा। इस बात पर सहमति हुई कि युरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हमारे समझौते का नवीकरण करने के लिए, क्योंकि यह अगले वर्ष समाप्त होने वाला है, जल्दी ही उच्च स्तर पर बातचीत शुरू होनी चाहिए। यह भी निश्चय हुआ कि क्रमशः ब्रुसेल्स और नई दिल्ली में भारत और युरोपीय आर्थिक समुदाय के लिए उपयुक्त केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए।

युनाइटेड किंगडमः मैं 6 से 8 जून तक लन्दन में ठहरा। मैंने महामहिम महारानी से भेंट की तथा हमने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री जेम्स कैलाहन से अधिकारिक रूप से बातचीत की और

श्री वाजपेयी ने उनके ब्रिटिश सहयोगी श्री डेविड ओवन से अलग से बातचीत की। हमने अधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत भी की। मैंने विरोधी पक्ष के तथा कन्जरवेटिव पार्टी की नेता श्रीमती मार्गरेट थैचर से तथा लिबरल पार्टी के नेता डाक्टर डेविड स्टील से भी बातचीत की। ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स में विभिन्न पक्षों के बहुत से संसद सदस्यों से मेरी मुलाकात विशेष रूप से लाभदायक रही। ब्रिटेन की सरकार के साथ अपनी बातचीत में हमने अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय हित के मसलों को उठाया और विशेष रूप से दक्षिणी अफ्रीका और उत्तर–दक्षिण की आर्थिक समस्याओं को। हमने इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि समाधान के किसी भी ऐसे सूत्र से बचा जाना चाहिए जिससे कि इयां स्मिथ को रोडेशिया में किसी एक अथवा दूसरे छल से जातिवादी अल्पसख्यंक शासन को कायम रखने का मौका मिले। हमारे ब्रिटिश सहयोगियों ने हमें इस बात का आश्वासन दिया कि वे आंग्ल–अमरीकी प्रस्तावों के मुख्य सिद्धान्तों को स्वीकार करते है और संबंध सभी पक्षों के बीच बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने के लिए प्रयत्न करेंगे। हमने दूसरी बातों के साथ–साथ नाभिकीय अस्त्रों के विस्तार–प्रसार को रोकने से संबद्ध 1978 के अधिनियम तथा संयुक्त राष्ट के निरस्त्रीकरण संबंधी विशेष अधिवेशन के संदर्भ में नाभिकीय अस्त्रों के फैलाव को रोकने के संबद्ध मामलों पर भी विचार विमर्श किया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा निरस्त्रीकरण सम्बन्धी विशेष अधिवेशनः संयुक्त राष्ट्र महासभा के निस्त्रीकरण सम्बन्धी विशेष अधिवेशन में भारत ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और 9 जून को महासभा के समक्ष मैंने जो वक्तव्य दिया था उसकी एक प्रति मैं यहां सदन में रख रहा हूं। इस अवसर पर मैंने कहा था कि निरस्त्रीकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पूर्ण होनी चाहिए तथा एक दूसरे के प्रति सन्देह और डर के वातावरण में शक्तियों के सन्तुलन की नीति के माध्यम से आंशिक निरस्त्रीकरण प्राप्त करने का प्रयत्न करना व्यर्थ होगा। नाभिकीय अस्त्र विस्तार–प्रसार को रोकने की संधि गुणात्मक अथवा परिमाणात्मक रूप से नाभिकीय अस्त्रों की वृद्धि पर काबू पाने में असमर्थ रही है और मैंने प्रस्ताव किया कि वर्तमान नाभिकीय अस्त्रों के भंडार को उत्तररोत्तर कम करके उन्हें पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विशेष अधिवेशन को नाभिकीय निरस्त्रीकरण में गुणात्मक और परिमाणात्मक परिसीमन और एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में पहला कदम उठाना चाहिए और मैंने परमाणु शक्ति को शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए विकसित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए यह भी कहा कि हमें इस शक्ति का प्रयोग विस्फोट के लिए नहीं करना चाहिए। मैंने व्यापक परमाणु प्रतिबन्ध संधि शीघ्र करने के महत्व पर भी जोर दिया। इस विशेष अधिवेशन के परिणाम यद्यपि हमारी आशाओं के अनुकूल नहीं रहे जिसका कारण यह था कि नाभिकीय सैन्य शक्ति वाले देशों ने कड़ा रूख अपनाया था, फिर भी हम विश्वास करते है कि इस अधिवेशन की समाप्ति पर जो अन्तिम दस्तावेज पारित हुआ था उसमें कुछ ठोस तत्व निहित है। जो भी हो, अभी हमारे सामने इस बात का मौका है कि हम शेष प्रश्नों को महासभा में उठाएं। न्यूयार्क में मैंने संयुक्त राष्ट के महासचिव डा. कुर्त वाल्धेम से तथा विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष से मुलाकात की।

संयुक्त राज्य अमरीकाः मैंने राष्ट्रपति के साथ दो दिन बातचीत की और मैं अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों से भी मिला। मैंने विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठित अमरीकियों से भी बातचीत की।

मेरी वाशिंगटन यात्रा, राष्ट्रपति कार्टर और अमरीकी प्रशासन के साथ मेरी सतत बातचीत का ही एक अंग था। हमारी सभी बातचीत में राष्ट्रपति ने जो निसंकोच हार्दिक और मैत्री पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया उससे मैं एक बार फिर प्रभावित हुआ। हम दोनों में आपसी विश्वास की भावना और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की वास्तविक इच्छा विद्यमान थी। मेरा यह विश्वास है कि यह अमरीका और भारत के बीच परस्पर लाभदायक संबंधों का निर्माण करने के लिए एक मजबूत आधार है।

वाशिंगटन में हमारी चर्चा में द्विविपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों से संबद्ध बहुत से विषय शामिल थे जिनका उल्लेख संयुक्त विज्ञप्ति में किया गया है और जिसकी एक प्रति मैं सदन में मेज पर रख रहा हूं।

मैंने इस अवसर का लाभ राष्ट्रपति कार्टर और अन्य व्यक्तियों पर यह प्रभावित करने के लिए उठाया कि अमरीका और सोवियत संघ जैसी दो प्रमुख शक्तियों का दायित्व यह है कि वे नाभिकीय निरस्त्रीकरण के मामले में एक उदाहरण प्रस्तुत करें जो कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नाभिकीय शस्त्रों वाले देश कोई भी महत्वपूर्ण प्रगति करने में असफल रहे हैं। राष्ट्रपति कार्टर ने हमें व्यापक परीक्षण प्रतिबंध सन्धि और सामरिक अस्त्र शस्त्र परिसीमन के बारे में सोवियत संघ के साथ उनकी बातचीत में हो रही प्रगति के बारे में विस्तार से बताया। मैंने यह पाया कि वे इन दोनों क्षेत्रों में शीघ्र करार करने के लिए उत्सुक हैं।

निस्संदेह नाभिकीय मामला दोनों देशों के बीच मतभेद का एक महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्रपति कार्टर ने नाभिकीय अस्त्रों के फैलाव को रोकने से संबंधित 1978 के अमरीकी अधिनियम के उपबंधों के बारे में बताया, जबकि मैंने यह दुहराया कि हमसे यह नहीं कहा जा सकता कि हम उन देशों द्वारा पूर्ण ऐतिहाती प्रतिबंध प्रदान किए जाने की बात को स्वीाकार करें जिनके पास स्वयं ही नाभिकीय अस्त्र शस्त्र है और जो अपने खुद के नाभिकीय सैन्यी प्रतिष्ठानों के लिए ऐतिहाती प्रतिबन्ध स्वीरका नहीं करते। मैंने तर्क दिया कि अमरीकी कानून अपने दायित्वों को एकतरफा तरीके से परिवर्तित करना चाहता है जब कि हमने अपने कानूनों का सख्ती से पालन किया है। मेरे विचार में अमरीका का यह दायित्व है कि यह तारापुर के लिए 1993 तक समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई करें और वह अपनी मर्जी से इस सप्लाई को बंद नहीं कर सकता।

मैंने सीनेट की विशेष संबंध समिति और प्रतिनिधि सदन की समिति के सदस्यों को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में अपना दृष्टिकोण बताया। सदन की यह समिति जिसने अपना मत तब तक के लिए रोक रखा था जब तक कि वे मेरी बात न सुन लें, उन्होंने अगले ही दिन तारापुर के लिए ईंधन की खेप देने को बहुमत से निर्णय किया। इसके कुछ दिन बाद ही सीनेट की समिति ने भी उसी प्रकार की कार्रवाई की। जैसा कि आप जानते है प्रतिनिधि सभा ने 7.6 मीट्रिक टन समृद्ध यूरेनियम का जहाज लदान करने के राष्ट्रपति कार्टर के कार्यकारी आदेश को अब अनुमोदित कर दिया है।

न तो वे और न ही हम यह चाहते है कि तारापुर के लिए ईंधन की निरंतर सप्लाई के बारे में मतभेदों का गलत अन्दाजा लगाया जाए। लेकिन यह विश्वास करने का कारण है कि हमारी नाभिकीय नीति और नाभिकीय सहयोग के प्रति हमारे दृष्टिकोण को पहले अपेक्षा और व्यापक रूप

से अच्छी तरह समझा जा रहा है। इसलिए हम इस बात पर सहमत हो गए है कि नाभिकीय मामले पर हम अपनी वार्ता जारी रखेंगे।

मैंने राष्ट्रपति कार्टर और वाणिज्य और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी बातचीत से संबंद्ध उनके दो सहयोगियों, विकसित देशों में संरक्षणावाद के प्रति बढ़ती हुई प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर भी विचार विमर्श किया। मैंने सूती वस्त्रों और इंजीनियरी के माल के विषय में हमारे निर्यातकों को संयुक्त राज्य अमरीका में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनका भी उल्लेख किया। इस बात पर सहमति थी कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार और अन्य आर्थिक आदान प्रदानों का विस्तार करने की पर्याप्त संभावाना है। तदनुसार, अमरीका की वाणिज्य मंत्री श्रीमती क्रेप्स इस संभावना का पता लगाने के लिए इस वर्ष के अन्त में भारत की यात्रा करेगी। मुझे खुशी है कि मेरे विचार विमर्शो के परिणामस्वरूप संबद्ध अमरीकी विभाग ने वस्त्रों की खेप के संबंध में जो अभी तक रूकी हुई थी, अपने रवैये में ढील दे दी है।

निःसंदेह, जहां कहीं भी मैं गया वहां भारतीय समुदायों के सदस्यों और प्रतिनिधियों से मिला। उनकी संख्या में और उनके व्यवसायों के स्वरूप में वृद्धि हो रही है। इससे जटिल समस्याएं उत्पान्न हो गयी है। हम उनका कल्याण चाहते है और बहु–जातीय समरसता की ओर उन्मुख उन सभी प्रयत्नों की सराहना करते है जिनसे वे मान–मर्यादा से रह सकें। यह स्थिति विदेश में रहने वाले हमारे भारतीय भाइयों से इस बात की अपेक्षा करती है कि वे जहां कहीं भी हों वहां के कानूनों को स्वीकार करें और सहनशक्ति की प्राचीन भारतीय परम्परा को ध्यान में रखते हुए अपने आर्थिक और सामाजिक पर्यावरण के अनुकूल अपने को बना लें। मैंने अपने देशवासियों को सलाह दी कि उन्हें अपने अचरण से अपने आपको भारत के, उनके जन्म के देश के, योग्य सिद्ध करना चाहिए। ब्रिटेन में, अप्रवासी भारतीय समुदाय को जातीय संबंधों के बिगड़ जाने की आशंका थी। मैंने ब्रिटेन के नेताओं का ध्यान इन आशंकाओं की ओर आकृष्ट किया और उन्हें तथा भारतीय समुदाय के नेताओं को कहा कि विभिन्न जातीय वर्गो के बीच परस्पर विश्वास और समरसता संवर्धित करने की आवश्यकता है। इसे सर्वोत्तम मार्ग के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया।

निष्कर्षः–

मुझे उन देशों से, जिनकी मैंने यात्रा की, यह आभास मिला कि भारत उनकी मित्रतापूर्ण और गहरी अभिरुचि है। वे लोग अंतर्राष्ट्रीय मसलों और वास्तविक गुटनिरपेक्षता के प्रति हमारे निर्माणात्मक दृष्टिकोण की बहुत सराहना करते है। गणतांत्रिक मानदण्डों और व्यक्ति स्वततंत्रता को पुनः प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने के हमारे उपायों की बहुत प्रसंशा हुई है। आर्थिक विकास के हमारे प्रयत्नों, जिनमे कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, उससे सब अवगत है और वे इस दिशा में हमारे प्रयासों की सराहना करते है। आत्मानिर्भरता को प्राप्त करने की हमारी इच्छा पर भी समझ–बूझ के साथ विचार किया गया है। हमारी विदेश नीति की नई दिशा को भी समझा गया है और उसकी सराहना की गई है। बहुत से नेताओं ने पश्चिमी एशिया के सुधरे हुए वातावरण के लिये हमें बधाई दी और वे चाहते है कि ऐसा वातावरण हमेशा रहे तथा यह और सुदृढ़ हो। सदन इस ओर से पूरी तरह सन्तुष्ट हो सकता है कि इस समस्या–पूर्ण विश्व में भारत का स्थान ऊंचा है और संसार यह चाहता है कि भारत में स्थायित्व बढ़े और यह भी कि घर और बाहर दोनों ही जगह भारत अपने चुने हुए रास्तों पर चले।

पश्च टिप्पण

बेल्जियम, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा के बारे में वक्तव्य, 20 जुलाई, 1978

कोई टिप्पण नहीं।

पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य

20 दिसम्बर, 1978

महोदय, काफी समय से पिछड़े वर्गों के कल्याण का प्रश्न सरकार का ध्यान आकृष्ट किए हुए है। सरकार जुलाई, 1978 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग की स्थापना पहले ही कर चुकी है।

मुझे सदन को यह सूचना देते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 340 के उपबंधो के अधीन पिछड़े वर्गों की सामाजिक तथा शैक्षिक दशाओं की जाँच करने के लिए अब एक आयोग गठित करने का निर्णय किया है। तदनुसार इस प्रयोजन के लिए एक आयोग गठित किया गया है जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं :–

1.	श्री बी. पी. मंडल, संसद सदस्य	–	अध्यक्ष
2.	श्री दीवान मोहन लाल	–	सदस्य
3.	श्री आर. आर. भोले	–	सदस्य
4.	श्री के. सुब्रह्मनियम	–	सदस्य
5.	श्री दीनबन्धु साहा	–	सदस्य

आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :

(i) सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करना;

(ii) सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के ऐसे ज्ञात नागरिकों के सुधार के लिए उठाये जाने वाले कदमों की सिफारिश करना;

(iii) नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्गों जिनका केंद्र तथा राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों दोनों की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं हैं, के पक्ष में नियुक्तियों अथवा पदों में आरक्षण के लिए प्रावधान करने की वांछनीयता अथवा अन्य प्रकार की व्यवस्था की जाँच करना; तथा

(iv) ऐसे तथ्यों की जो उन्हें प्राप्त हुए हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा ऐसी सिफारिशें करना जिन्हे वे उचित समझते हैं।

आयोग अधिक से अधिक 31 दिसम्बर, 1979 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

पश्च टिप्पण

पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य, 20 दिसम्बर, 1978

कोई टिप्पण नहीं।

श्रीलंका की यात्रा के बारे में वक्तव्य

20 फरवरी, 1979

श्रीलंका के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर मैंने 3 फरवरी तक श्रीलंका जनवादी समाजवादी गणराज्य का दौरा किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कैंडी में 4 फरवरी को अपने राष्ट्रीय दिवस समारोहों में भी मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। श्री समरेन्द्र कुन्डू, विदेश राज्य मंत्री मेरे साथ गये थे।

दौरे के अन्त में जो संयुक्त प्रैस विज्ञाप्ति जारी की गई थी उसकी प्रति सभा–पटल पर रख दी गई है।

इस दौरे के दौरान मुझे श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा वहां की सरकार के अन्य मंत्रियों से द्विपक्षीय हितों के बहुत से विषयों पर बातचीत करने तथा प्रादेशिक और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचारों का आदान–प्रदान करने के कई मौके मिले। मुझे खुशी है कि हम इस बात से सहमत हुये कि भारत और श्रीलंका के बीच कोई ऐसी द्विपक्षीय समस्या नहीं रह गयी है जिसे हल किया जाना हो। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संबंधों के साथ–साथ सभी क्षेत्रों में खासकर व्यापार और आर्थिक आदान–प्रदान के क्षेत्रों में भी आपसी सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों के बारे में मुख्य रूप से हमारी बातचीत हुई।

कैंडी तथा कोलम्बों दोनों जगहों पर मैं भारतीय समुदायों के सदस्यों तथा विविध भारत–श्रीलंका संस्थाओं के नुमाइन्दों से मिला। यह संतोष की बात है कि वे सिर्फ आपसी सम्बंधों को और करीब लाने के लिए ही नहीं बल्कि श्रीलंका के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। स्वदेश लौटाये जाने वाले कुछ लोगों की समस्याओं के बारे में बातचीत करने का मुझे मौका मिला था। हमारे मिशनों को उनकी समस्याओं को पहले से ही जानकारी है तथा स्वदेश लौटाये जाने के लिए अपेक्षित औपचारिकताओं को सहज बनाने के लिए मैंने उन्हें निर्देश दिये हैं। मैंने श्रीलंका के नेताओं के साथ भारत–श्रीलंका करार 1964 के कार्यान्वयन की समीक्षा की। दोनों पक्षों के अधिकारियों से इस संबंध में विविध कार्यविधियों को सरल और कारगर बनाने तथा उसमें सुधार करने के लिए कहा गया है। विपक्ष के नेता के साथ भी मेरी बातचीत बहुत उपयोगी रही।

'कोटमाले मल्टीपरपज़ रिज़र्वायर प्रोजेक्ट', जो प्रतिष्ठित महावली विकास योजना का एक भाग है, उसके उद्घाटन समारोह में भी मैंने भाग लिया। इस योजना से श्रीलंका में कृषि तथा बिजली उत्पादन से काफी वृद्धि होगी तथा श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के विकास की इसमें अच्छी सम्भावनायें हैं। इसमें शक नहीं कि माननीय सदस्यगण इस बात से वाकिफ हैं कि इस परियोजना के लिए व्यावहारिक अध्ययन करने का खर्चा भारत सरकार ने दिया था और इसे एक इण्डियन कम्पनी वाटर एण्ड पॉवर डेवलेपमेंट कनसल्टेण्ट्स लि. ने तैयार किया था। भारत के पास ज्यादा भौतिक साधन नहीं हैं; फिर भी हम अपने मित्रों व पड़ोसियों को उनके राष्ट्रीय विकास में मदद करते हैं और मैं इस अवसर पर यह पुनः दोहराना चाहता हूं कि उनके विकास में मदद करने के लिए अपने साधनों के अन्तर्गत जितना बन पड़ेगा हम करेंगे, ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय है।

अपनी यात्रा के दौरान, श्रीलंका के संसद सदस्यों के सम्मुख भाषण देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन दोनों देशों की प्रजातांत्रिक पद्धति में आस्था और विकासशील देशों में इसकी प्रासंगिकता का पुनः समर्थन करने में मेरी इस महान संस्था के साथियों के साथ सहमति रही।

अपनी इस यात्रा की जो मुख्य छाप मैं अपने साथ लाया हूं वह है श्रीलंका की सरकार व लोगों में भारत के प्रति अत्यधिक आत्मीयता व प्रेम जो मैंने स्वयं महसूस किया और बदले में प्रकट किया। यह स्वाभाविक ही है कि भारत और श्रीलंका आपसी मित्रता के इस बंधन को और मजबूत बनायें और अपने दोनों देशों के हित के लिए और नजदीकी आर्थिक व भौतिक सहकार की दिशा में प्रयत्न करें। लेकिन इन सबसे प्रमुख बात यह है कि हम प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति में आस्था रखते हैं और समान आध्यात्मिक मूल्यों और नैतिकता में विश्वास करते हैं।

अंत में मैं राष्ट्रपति श्री जयवर्दन और प्रधानमंत्री श्री प्रेमदास जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करे बिना नहीं रह सकता जिन्होंने इतनी आत्मीयता व सौहार्द से मेरा स्वागत किया तथा मेरे और मेरी पार्टी के प्रति इस यात्रा के दौरान अन्य कई तरीकों से निजी स्नेह दिखाया।

पश्च टिप्पण

श्रीलंका की यात्रा के बारे में वक्तव्य, 20 फरवरी, 1979

कोई टिप्पण नहीं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर

28 फरवरी, 1979

यद्यपि मुझे उन सभी भाषणों को सुनने का सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ है जोकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिये गये परन्तु फिर भी, जो भी चर्चा यहां हुई, उसे मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और यद्यपि कुछ सदस्यों ने इसे आत्मसंतोषपूर्ण, बिना किसी तात्पर्य के तथा अर्द्धरूप से तथ्यों तथा सत्यों को प्रस्तुत करने वाला बताया है, परन्तु फिर भी मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अभिभाषण में इतनी अधिक रुचि ली। अभिभाषण के बारे में इतना जो कुछ कहा गया, सम्भवत: उसी के कारण इसमें हमारी रुचि इतनी अधिक हो गई है। परन्तु यह सब हमेशा की तरह ही है।

सदस्यों द्वारा जो कुछ भी कहा गया, वह सही था या गलत, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि मैं यह मानता हूं कि आलोचना से ही व्यक्ति सीखता है, चाहे वह आलोचना कैसी भी क्यों न हो। परन्तु जब आलोचना की भी अति हो जाती है, तो उससे भी किसी को लाभ नहीं होता है। यह बात भी हमें मान लेनी चाहिए तथा समझ लेनी चाहिए। जो आलोचना न्यायोचित होती है, फिर वह चाहे कितनी भी कटु क्यों न हो, उस पर मुझे कभी आपत्ति नहीं होती है परन्तु जब आलोचना न्यायोचित नहीं होती, तो उसे सहन करने में कुछ हिचकिचाहट होती है। मैं माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि ऐसी आलोचना ठीक नहीं होती है।

एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कह दिया कि यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार के निराशाजनक कार्यकरण को बड़ी चतुराई से छिपा लिया गया है। मैं नहीं जानता कि यह निराशाजनक कार्यकरण क्या है? खैर, फिर भी उन्होंने इसे कार्यकरण तो कहा, चाहे वह निराशाजनक ही क्यों न हो। उन्होंने यह तो नहीं कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। परन्तु मुझे यह समझ नहीं आता कि उनका ऐसा कहना कहां तक न्यायोचित था?

आलोचना में जिन प्रश्नों को उठाया गया है, यदि उन सभी पर विचार किया जाये तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के कार्यकरण का जो ब्यौरा दिया गया है, वह न तो निराशाजनक है और न ही असंतोषजनक क्योंकि जिन परिस्थितियों में हम कार्य कर रहे हैं, वह कुछ ऐसी ही रही हैं तथा मानव होते हुए पूर्णता का दावा नहीं कर सकते। यह ठीक है कि हमारी कुछ त्रुटियां रही हैं परन्तु हमें उन्हें दूर करने के लिए उन पर तर्कसंगत ढंग से विचार करना चाहिए। यदि हम सम्पूर्ण आलोचना पर इसी दृष्टि से विचार करें, तो मेरे मित्रों को निश्चय ही मेरी बात काफी हद तक अच्छी ही लगेगी।

सबसे पहले यही कहा गया है कि देश में हिंसा का वातावरण बना हुआ है? मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार इसके बारे में हर संभव उपाय कर रही है। परन्तु क्या मेरे माननीय मित्र अपनी ही आत्मा को टटोलते हुए यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि इस हिंसा के लिए कौन उत्तरदायी है ? इस देश में जब विशेषाधिकार पारित किया

गया था तो उसके बाद क्या कुछ हुआ ? कुछ लोग उसके साथ सहमत न हों, इस बात को तो माना जा सकता है परन्तु उसके बारे में सड़कों तथा गली कूचों में प्रदर्शन करना तथा फिर उनमें हिंसा करना कहां तक उचित है; इसके लिए किसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? यदि हम इसके बारे में सभ्यतापूर्वक रवैया अपनाते हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह सब कुछ करने की अनुमति दे दी जायेगी।

कल श्री शुक्ल तथा श्री संजय गांधी के बारे में न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया। न्यायालय में इन लोगों द्वारा क्या दृश्य प्रस्तुत किया गया; यह प्रतिपक्ष के लोग हैं, वह इससे इन्कार नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने बसों पर भी हमले किये, यह ठीक है कि ऐसे लोगों की संख्या अधिक नहीं थी। ऐसा सब कुछ यहां हो रहा है। मैंने विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बाद विपक्ष के नेता से यह पूछा कि क्या यह सब कुछ ठीक है, तो वह मेरे साथ इस बात पर सहमत थे कि प्रदर्शनों में 'हिंसा' नहीं होनी चाहिए थी? परन्तु क्या उन्होंने सार्वजनिक रूप से हिंसा की निंदा की ? इसका उत्तर वह अपने आप से ही पूछ लें। हमें इन्हीं मामलों पर विचार करना है? क्या हिंसा के बारे में केवल सरकार को ही चिंता करनी चाहिए ? क्या इसके बारे में इन माननीय सदस्यों का कोई कर्तव्य नहीं है? क्या उनके दिल में भी इस देश के प्रति वैसा ही प्रेम नहीं होना चाहिए? यदि उनके मन में भी ऐसा ही प्रेम है तो उन्हें भी हमारी तरह वह सभी तरीके खोजने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए, जिन्हें खोजने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। हम इन सभी मामलों में प्रतिपक्ष के साथ विचार-विमर्श करते रहे हैं। हरिजनों के विरुद्ध किये जाने वाले अत्याचारों तथा साम्प्रदायिक दंगों आदि के बारे में भी हम उनके साथ विचार-विमर्श करते रहे हैं। अब सरकार ने उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हमने सभी दलों की एक समिति का गठन किया है जोकि इस समस्या के बारे में विचार करेगी और हम उसी के अनुसार इस मामले में कार्यवाही करेंगे। हमने यही कहा था। चूंकि यह कार्य किसी व्यक्ति के लिये अनुकूल है, इसलिए बजाय हिंसा को बढ़ावा देने के मेरे माननीय मित्र को इस कार्य की अत्यधिक सराहना करना तथा सहयोग देना क्या अनिवार्य नहीं हो जाता है? सरकार के खिलाफ यह संगतपूर्ण आरोप नहीं लगाया गया है। जिन लोगों ने सरकार पर यह आरोप लगाया है, उनको अपनी अन्तर्आत्मा को टटोलना चाहिए, तब उनको मालूम हो जाएगा कि त्रुटि कहां पर है। हम अपने स्तर पर अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आशा है कि वे हमारी मदद करेंगे। यदि वे इसमें हमारी कोई मदद नहीं करते हैं, तो भी हम बेहतर कार्य करने की कोशिश करेंगे और ध्यान रखेंगे कि यह कायम रहे।

यह कहा गया है, कि देश में मुद्रा आपूर्ति बहुत बढ़ गई है। व्यक्तिगत तौर पर मैं मुद्रा आपूर्ति की किसी प्रकार की वृद्धि से बहुत खुश नहीं हूं। मैंने अक्सर यह कहा है, कि इसमें पहले की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में ही वृद्धि हुई है। वर्ष 1976-77 में यह 20 प्रतिशत थी और वर्ष 1977-78 में यह 14 प्रतिशत थी। मेरे विचार से यह भी अधिक है। लेकिन 1976-77 में कीमतें 12 प्रतिशत बढ़ीं। लेकिन 1977-78 में उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई। क्योंकि हमने इस बारे में दूसरे उपाय किये ताकि उपभोक्ता वस्तुएं और दूसरी वस्तुएं भी मुक्त रूप से मिलती रहें, और उनकी कीमतें पहले की तुलना में कम हों। इसी कारण से आज यह स्वीकार किया

जाता है कि सभी लोगों को उपभोक्ता वस्तुएं बगैर किसी देरी अथवा रुकावट के मिल रही हैं तथा इनकी कीमतें पहले की कीमतों की तुलना में बहुत कम हैं। 10 वर्षों तक काफी मात्रा में मुद्रा-स्फीति बढ़ती रही, अब उस पर अंकुश लगा दिया गया है। हम अभी भी इससे खुश नहीं हैं। हमें सभी कीमतें कम करनी हैं।

*** *** ***[1]

मेरे मित्र को मेरी बात सुनने की सहनशीलता होनी चाहिए। विपक्ष के नेता को भी इस सम्बन्ध में कुछ साहस दिखाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वे मुझे सम्मिलित करें। उन्हें कुछ विवेक का प्रदर्शन करना चाहिए।

इसके पश्चात् यह कहा गया है, कि 1976-77 में औद्योगिक उत्पादन अधिक था। यह सही है। यह लगभग 9.5 प्रतिशत था जबकि 1977-78 में यह केवल 3.9 प्रतिशत ही था। यह सत्य है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या थी? ऐसा क्यों है? औद्योगिक विकास ऐसे उत्पादन को लेकर किया जाता रहा है, जिसकी सामान्यत: मांग नहीं थी, सामान-सूची बढ़ती रही। हमें यही सब विरासत में मिला। यदि हम 3.9 प्रतिशत वास्तविक विकास कर सके तो उसके लिए श्रेय मिलना चाहिए। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? इससे वे स्वयं अपनी ही निन्दा करेंगे। लेकिन उस सभी उत्पादन को मिलाकर वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन कितना हुआ था। वर्ष 1976-77 में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा नकद राष्ट्रीय उत्पादन में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस 3.9 प्रतिशत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन को मिलाकर 1977-78 में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 7.4 प्रतिशत तथा नकद राष्ट्रीय उत्पादन में 7.2 प्रतिशत में वृद्धि हुई। इस प्रकार के तर्क में कुछ विवेक होना चाहिए। विपक्ष के मेरे मित्र को गणित तथा अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए ताकि वे स्थिति को अच्छे तरीके से समझ सकें।

इसके आगे यह कहा गया है कि इस देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरा अनुमान है कि उनके कार्य अब स्वप्न बन गये हैं। हम उन पर अंकुश लगा रहे हैं। लेकिन हमारे मन में किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं है। हमें अपने राष्ट्रीय हितों का ही अधिक ध्यान रखना है, और अपने हितों के विरुद्ध हम कुछ नहीं करेंगे। इस प्रकार आप देखते ही हैं कि क्या कार्य किया गया है। कोका कोला तथा आई.बी.एम. जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं, ने पिछले वर्ष देश से अपना कार्य समाप्त कर दिया है। लेकिन वह भी सिद्धांत के अनुसार था। हम कोई भी पूर्वाग्रह नहीं रखते हैं। क्योंकि जो हमारे देश के हित का ध्यान नहीं रखेंगे, और हम इसके लिए उनको सहयोग नहीं देंगे। इसी कारण से उनको हमारा देश छोड़ना पड़ा।

आगे यह भी कहा गया है कि हमारी आयात नीति उन्मत्ततापूर्ण है। मैं नहीं जानता कि उनको उन्मत्तता शब्द के तात्पर्य की जानकारी है अथवा नहीं। यदि 'बुद्धिमत्ता' को ही 'उन्मता' के नाम से पुकारा जाता है, तब इसके बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार आयात नीति क्या है? हमने उन वस्तुओं का आयात किया है, जिनकी यहां पर कमी थी, और जिनकी कीमतों में काफी वृद्धि हो गई थी। खाद्य तेलों की बहुत ही कमी हो गई थी तथा कीमतें भी

काफी बढ़ गई थीं। इसलिए हमें इसका आयात करना पड़ा, और कीमतों को स्थिर कर दिया गया है। क्या इसका आयात करना 'बुद्धिमत्ता थी, अथवा उन्मत्तता' ? यदि कोई व्यक्ति पागल-खाना जाता है, तो उसे भी पागल ही समझा जाता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी आलोचना की गई है और यह कहा गया है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की कोई प्रगति नहीं हो रही है, तथा इसको पीछे की ओर धकेला जा रहा है। वे केवल तथ्यों को भी जानना नहीं चाहते हैं।

यह भी कहा गया है कि आण्विक ऊर्जा कार्यक्रम को पीछे हटाया जा रहा है। इसके विपरीत हम चीजों को दलदल से निकाल रहे हैं, जो पिछली सरकार के कुछ कार्यों से फंस गई थीं।

यह भी कहा गया है कि हम अपने आण्विक संस्थानों का निरीक्षण करने की अनुमति दे रहे हैं। ऐसा उनसे किसने कहा? इस सम्बन्ध में मैंने सारी स्थिति को सभा में स्पष्ट कर दिया है, इसके बावजूद भी वे आलोचना कर रहे हैं। मैं इसके लिए क्या कह सकता हूं? मैं केवल उनकी आलोचना के प्रति सहानुभूति ही रख सकता हूं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं।

आखिरकार, हम इस संबंध में कोई भी समझौता नहीं करेंगे तथा हमने यह कह दिया है कि हमारे संस्थानों का निरीक्षण केवल तभी किया जा सकता है जब दूसरे देशों के सभी संस्थानों का भी निरीक्षण कर लिया जाये। अन्यथा इसके लिए हम किसी भी प्रकार से अनुमति नहीं देंगे। इस संबंध में हम किसी भी प्रकार की मुसीबतों को सहन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिये हम राष्ट्रीय सम्मान की बलि नहीं चढ़ायेंगे।

यह भी कहा गया है कि हम अमरीका का साथ दे रहे हैं। कल को ऐसा सोवियत संघ के बारे में भी कहा जा सकता है। उन सभी के साथ हमारी मित्रता है। इसलिए, हम किसी के समक्ष स्वयं को आत्मसमर्पित नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक देश से हम बराबरी के संबंध स्थापित करते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि उन सभी देशों ने इसको स्वीकार किया है। लेकिन आज हमारे उनसे अच्छे संबंध होने पर ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि ये पहले आत्मसमर्पण के बावजूद भी स्थापित नहीं हो पाये थे। इसी प्रकार, विदेश नीति के बारे में भी कहा गया है। हमारे विदेश मंत्री चीन की यात्रा पर चीन के निमंत्रण पर तथा बातचीत के जरिये समस्याओं को हल करने के उनके सुझाव पर ही गये थे। विदेश मंत्री ऐसा करने के लिए सहमति हो जाने पर ही वहां गए थे। लेकिन इसको गलत समय पर चीन की यात्रा कैसे कहा जा सकता है। समय कैसा चल रहा है? मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि हमें शुभ समय बताने के लिए ज्योतिषी लोग यहां पर मौजूद हैं। लेकिन वे राजनैतिक ज्योतिषी हैं जो उनकी इच्छा के अनुकूल हैं (एक माननीय सदस्य : श्री मधु लिमये)। हम इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करेंगे चाहे वे श्री मधु लिमये हो अथवा मेरा कोई माननीय मित्र हो। इस संबंध में, मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा। वास्तविकता, वास्तविकता ही होती है। कोई भी तथ्यों को वास्तविक रूप में देख सकता है कि हमने क्या कार्य किया है? विदेश मंत्री यदि वहां गए, तो क्या किसी बात का उन्होंने देश के हित के विरुद्ध समझौता किया? जिस समय उनको यह जानकारी प्राप्त हुई कि चीन

द्वारा वियतनाम पर हमला कर दिया गया है, उन्होंने अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी और वापस आ गये। वहां पर इससे अधिक और क्या विरोध किया जा सकता था? उनसे पहले के विदेश मंत्रियों में क्या ऐसा साहस था; पिछली सरकार ने ही वहां पर वाणिज्य एजेंसी बनाई तथा उन्होंने ही वहां पर राजदूत भेजा था, अत: उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और यदि अब हम इसमें कोई सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? इसे मैं नहीं समझ सकता हूं।

हमने चीन को यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हमारी भूमि, जो हमसे उन्होंने छीन ली है, की समस्या का ऐसा समाधान होना चाहिए, जो हमारे लिये संतोषजनक हो। हमने इसके बारे में कह दिया है कि हमारे देश की भूमि को लौटाये बिना उस विषय पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। केवल इतना ही नहीं कहा है। जब विदेश मंत्री वहां गये और उनसे बातचीत की, तो वे भी इस बात से सहमत हुए कि वे नागा विद्रोहियों और दूसरे लोगों से कोई संबंध नहीं रखेंगे। कश्मीर के मामले में भी वे अपनी गलती का अहसास करते हैं। लेकिन इसमें समय लगेगा। लेकिन यह कहना कि हम अपने हित के विरुद्ध कोई समझौता कर रहे हैं, सही नहीं है। मैं केवल यही आशा करता हूं कि हमारी आलोचना करने के लिए वे और अधिक स्पष्ट मुद्दों को तलाश करें।

यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि हम अमेरिका की ओर जा रहे हैं, या इस या उस देश की ओर जा रहे हैं। हमने इन सभी मित्रों को यह बात स्पष्ट कर दी है। वे भी इससे सहमत हुए हैं। किसी भी देश के साथ हमारे संबंध दूसरे देशों के साथ संबंध बिगाड़ने की कीमत पर नहीं बनाए जाएंगे। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हम यह चाहते हैं कि सभी देश मित्र बन जायें ताकि युद्ध समाप्त किये जा सके। हमें अपने देश की जनता का भी ध्यान रखना है। यदि इस संबंध में मेरे माननीय मित्र हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो मेरे विचार से इससे कोई भी राष्ट्रीय हित नहीं होगा। इसके लिए मैं उनसे इस बात पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बारे में कुछ लोग यह कह रहे हैं कि हम वैज्ञानिकों के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा इससे बड़ा झूठ क्या बोला जा सकता है। हम इस ओर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तविक वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया जाये। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति बी. एससी. अथवा एम. एससी. की उपाधि प्राप्त करने मात्र से ही वैज्ञानिक नहीं बन जाता है। जो विज्ञान में पूर्णरूपेण संलग्न है, वही वैज्ञानिक है तथा उनको ही हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। जहां तक शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आण्विक ऊर्जा को उपयोग करने का संबंध है, इसका पहले से और भी अधिक उत्साह के साथ पालन किया जा रहा है। केवल ऐसा ही नहीं किया जा रहा है, अंतरिक्ष विज्ञान में भी हम आगे प्रगति कर रहे हैं। हमने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को तथा इसके विकास के लिये पहले की अपेक्षा अधिक धन आवंटित किया है। क्या इसका यही तात्पर्य है कि इस कार्य की ओर कम ध्यान दिया जा रहा है?

यह निश्चित करने के लिए कि विभिन्न प्रयोगशालाएं अधिक प्रभावकारी रूप में काम करें और उन कुछ दोषी व्यक्तियों पर अधिक निगरानी रखी जा सके जो इसकी शिकायत करते हैं, क्या उन्हें उन दोषी व्यक्तियों का समर्थन करना चाहिए अथवा उन्हें सरकार का समर्थन करना चाहिए? क्या उन लोगों का समर्थन करना राष्ट्रहित में है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तथा देश पर भार बनते हैं? क्या यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हित में है? अर्थात् उस पर इसी अर्थ में विचार होना चाहिए।

और तब, जब कोई विदेशी नीति की बात करता है तो, वे मुझ में गलतियां ढूंढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने श्री भुट्टो की सजा के विरुद्ध, मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस मामले में वे मुझको कैसे दोषी ठहराते हैं। यदि मैं कहूं कि मैं किसी अन्य देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो भला मैं कोई अन्य बात कैसे कह सकता हूं? लेकिन इन कथित मित्रों की ओर देखिए जो श्री भुट्टो के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। क्या उन्होंने नेपाल की उस घटना के बारे में कुछ कहा, जिसमें दो व्यक्तियों को फांसी पर लटका दिया गया? क्या वे उन सेनापतियों के बारे में एक भी शब्द बोले थे, जिन्हें ईरान अथवा अन्य किसी देश में गोली से उड़ा दिया गया? मैं इनमें से किसी के बारे में, कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि हमें एक जैसा रवैया रखना चाहिए। हम दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह तो उन्हीं की चिन्ता का विषय है। हां, यदि हम कभी उनके साथ चर्चा करें, जो कुछ हमें कहना है, हम कह सकते, वह तब, जब यदि वे ऐसा चाहते हैं। लेकिन यह तो हुई दूसरी बात, अन्यथा कोई ऐसा नहीं कह सकता है। यदि कोई हमारी नीति के साथ हस्तक्षेप करे, तो हम कैसा अनुभव करेंगे? क्या हम उन्हें ऐसा करने देंगे? फिर हम कैसे दूसरों के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं? इसीलिए इन मामलों में हमें अधिक सोच-विचार कर चलना होगा। यदि हम सभी गुट-निरपेक्ष नीति से बंधे हुए हैं, मेरा विश्वास है कि हम सभी गुट-निरपेक्ष नीति के समर्थक हैं और मुझे विश्वास है कि कम से कम इस संबंध में मतभेद नहीं हैं। यद्यपि कभी-कभी विस्तार में जाते समय, वे अपने गुटों के साथ चले जाते हैं और कहते हैं कि हम किसी के साथ नहीं बंधे हुए हैं। लेकिन ऐसी बात मैं विपक्ष के अपने सभी मित्रों के बारे में नहीं कह सकता। वे किसी एक अथवा दूसरे गुट से अवश्य बंधे हुए हैं, लेकिन यह बात विपक्ष के सभी सदस्यों पर लागू नहीं होती, अपितु कुछ पर लागू होती है और फिर आलोचना होती है या की जाती है कि मुझे भी उनके गठजोड़ के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं। इस मामले में हमें सही पथ पर चलना चाहिए और केवल यही नहीं, अपितु सच्चाई का रास्ता चुनना चाहिए। और वही कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन सबसे निकृष्ट कोटि की आलोचना विपक्ष के नेता की थी। जब उन्होंने वह कहा कि देश से एकता की भावना तीव्रता से लुप्त होती जा रही है, मैं नहीं जानता कि वे किन सपनों में खोये हुए हैं। लेकिन क्या आज राज्य सरकारों में, पहले से कहीं अधिक एकता की भावना नहीं है? ऐसी 7 राज्य सरकारें हैं जोकि जनता पार्टी की नहीं हैं। वे बिल्कुल भिन्न हैं, लेकिन उनके साथ हमारे सम्बंध मधुरतम हैं। वे संबंध वैसे ही हैं जैसे कि अन्य सरकारों के साथ हैं। क्या ऐसा उनके समय में हुआ था? लेकिन हमने इसे कर दिखाया है। मुझे इसके

बारे में अपनी राय नहीं देनी है, उन्हीं से जाकर पूछो। उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप में व्यक्त किया है। राष्ट्रीय विकास परिषद में भी, विभिन्न प्रकार के तर्क-वितर्क होते हुए भी, अन्ततः हम किसी एक निर्णय पर पहुंचते हैं, जहां हममें कोई मतभेद नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता। क्या इसी से एकता लुप्त हो रही है। मेरी तो समझ में आता नहीं है कि उससे, उनका क्या तात्पर्य है?

और फिर भाषा समस्या को उठाया जाता है। किसी की इच्छा, आकांक्षा या समझ के विरुद्ध हम किसी को कभी दबाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं? हम ऐसा कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हम सच्चाई से भी आंखें मूंद लें कि हमारे संविधान के अनुसार हिन्दी हमारी राजभाषा है। क्या मैं उस सच्चाई से आंखें फेर सकता हूं? लेकिन मैं उसे थोप नहीं रहा। यह बात तो मैंने बिल्कुल ही स्पष्ट कर दी है। फिर गलती किसके सिर मढ़ी जाये? क्या सरकार की गलती मानी जाये, या उनकी जो संविधान का अनुसरण नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं उनसे ऐसा करने को भी तो नहीं कहता, क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर कि हम कोई विरोध पैदा कर लें या कहीं पर अनावश्यक विवाद या विरोध की भावना पैदा कर लें। इस समस्या का हल समझौते से लोगों को बैठकर करना है न कि इस प्रकार का प्रचार करके। लेकिन जो कुछ भी किया जा रहा है, वह गलत प्रचार किया जा रहा है। इसी बात पर मैं अपने माननीय मित्रो से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि देशहित में वे कृपया मतभेदों को उभारने अथवा उन्हें कटु बनाने का यत्न न करें। हमें तो उन्हें कम करने, दबाने की कोशिश करनी चाहिए। और उसमें, यदि मुझसे कोई भूल हो गई है, तो मैं अंगारों पर भी चलने को (भर्त्सना सुनने को) तैयार हूं और जो भी कीमत वे मांगते हैं, देने को तैयार हूं। किसी भी प्रकार की उत्तेजना दिलाये जाने पर भी, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा और इस मामले में मेरे विपक्षी मित्र—जब हम आपस में बातें करते हैं तो, वे बहुत ही आत्मीयता से बातें करते हैं लेकिन जब वे मुझसे यहां बातें करते हैं तो, वे कुछ और ही बातें करने लगते हैं।

मानव समाज में सामान्यतः ऐसा हो सकता है, मैं यह नहीं जानता, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। मैं उनका मित्र हूं, चाहे वे मेरे मित्र हैं या नहीं, यह तो वही जानते हैं।

फिर पुडुचेरी का भी उल्लेख यहां आया। मैंने क्या कहा था? और मेरा विश्वास है कि पुडुचेरी सदैव अलग-अलग नहीं रह सकता, उस तरह जिस तरह कि आज वह एक छोटे से द्वीप-भू-भाग की तरह रह रहा है। यह सम्भव नहीं है, लेकिन इसको सही ढंग से ही करना पड़ेगा। इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है। सरकार ने तो कोई निर्णय अभी लिया नहीं है और यही कुछ मैंने कहा था।

*** *** ***2

मैं तो उसे नहीं ला रहा हूं। मैं यहां यह इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आलोचना तो यहां पर की जाती है और यही वहां भी की गई थी। मैं नहीं समझता कि क्यों इस प्रकार की बातें वहां की जाती हैं। उनमें गलतियां ढूंढ़ने के बजाय, वे तो मुझमें दोष ढूंढ़ने लगते हैं। मैंने

क्या कहा था? यदि मुझसे पूछा जाता है तो क्या मैं झूठ बोल दूं? मुझे इसकी न तो आदत है और न ही किसी बात के लिए मैं ऐसा अपने जीवन में करूंगा। जिस बात पर मुझे विश्वास है, मैं तो वही कहूंगा। परन्तु इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि जो कुछ मैं चाहूंगा, सरकार पर दबाव डालकर वही करवाऊंगा। मैं वैसा ही करूंगा, जैसा सरकार चाहेगी, लेकिन वह उस ढंग से नहीं किया जायेगा, जिससे कठिनाइयां उत्पन्न हों, वैसा तो हम करना नहीं चाहते।

गोवा के बारे में भी मैंने कहा है कि दमन और दीव और नगर हवेली को पड़ोसी क्षेत्रों में मिला दिया जायेगा। उनकी वर्तमान स्थिति कायम नहीं रह सकती है परन्तु मैं इसमें जल्दबाज़ी नहीं चाहता। लेकिन करना अवश्य है और अब लोग मुझे बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कई भाग कर दिये जायें, बिहार को भी कई भागों में बांट दिया जाये। अन्यथा वे कार्य सुचारू रूप से न चला सकेंगे। हो सकता है ऐसी स्थिति हो, लेकिन अब मैं आज इन समस्याओं को कैसे खड़ा कर सकता हूं? यदि ये छोटी-छोटी बातें समस्याएं खड़ा करेंगी, तो मैं उनकी बात कैसे कर सकता हूं? इस पर विचार करने के लिये हमें अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी होगी, मैं तो इतना ही कह सकता हूं मेरे अपने व्यक्तिगत विचार भी हैं, प्रधान मंत्री होने का अर्थ यह नहीं है कि मेरे अपने व्यक्तिगत विचार नहीं।

*** *** ***3

सबसे ज्यादा कचोटने वाली बात यह कही गई थी कि हम भूतपूर्व प्रधान मंत्री के प्रति बदले की भावना रखते हैं। कल्पना की किस उड़ान से ऐसी बात कही गई है, मुझे तो पता नहीं। कैसे कही गई? हम किस प्रकार उनके प्रति बदला लेने की भावना रखते है? जबकि वह पूर्णरूप से इस बात के लिए स्वतन्त्र है, कि वह कहीं भी जायें, जो मन में आये, हमारे विरुद्ध बोलें, जिसमें अधिकांश झूठ होता है?

*** *** ***4

मैं शब्दों के पीछे लड़ना-झगड़ना नहीं चाहता। मैं तो केवल विषय-वस्तु की चिन्ता करता हूं। यदि हम कोई विशेष अदालत बना रहे हैं तो वह भी उच्चतम न्यायालय की सलाह से ही किया जा रहा है और यहां तक कि उनमें भी जो कुछ किया जा रहा है वह भी कोई विशेष अदालत में विशेष न्यायिक प्रक्रिया नहीं होगी, वह तो साधारण रूप में होगी और हम किसी प्रकार के अधिकारों को समाप्त करने के लिए कोई विशेष काम नहीं कर रहे हैं, परन्तु यह सब तो मामलों को तत्परता और शीघ्रता से निपटाने के लिये है, जिससे कि उन मामलों को लम्बे समय तक न खींचा जा सके और वही प्रबन्ध हम कर रहे हैं।

*** *** ***5

यदि वे इस प्रकार के आरोपों और प्रत्यारोपों से बाज आएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप इस बात पर वज़न क्यों दे रहे हैं? क्या सत्यों को उद्घाटित नहीं किया जा रहा है? किसी न किसी को उत्तर देना ही है। यदि मैं उस बात का जवाब न दूं तो यह कहा जाता है

कि मैंने उत्तर नहीं दिया और दूसरे राष्ट्रपति के अभिभाषण में, हर बात का उल्लेख नहीं किया जा सकता। यह सच है कि यहां की गई आलोचना में धरती की हर वस्तु के बारे में बोला जा सकता है। तब तो इसके दो या तीन खण्ड बन जायेंगे। इसे केवल सार रूप में यहां बताना चाहिए और वही करने का यहां आग्रह किया जाता है। अत: मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र इस मामले पर विचार करें और उन मामलों में हमारी सहायता करें। हम विपक्ष के नेताओं का समर्थन कई मामलों में प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहे हैं और हम उन विषयों पर उनके साथ विचार-विमर्श भी करते हैं। वे मुझे पूरा सहयोग देते हैं क्योंकि यदि मैं उनके साथ विचार-विमर्श न करूं तो मेरा काम कैसे चल सकता है? मैं इसके लिये उनका आभारी हूं। हमने साम्प्रदायिक मामलों पर चर्चा की, हरिजन समस्या पर बात की और एक सम्मेलन/सभा में यह निर्णय कर लिया गया था कि मुझे इस पर विचार करने के लिये एक समिति का गठन करना चाहिए। बाबू श्री जगजीवन राम जी की अध्यक्षता में जहां तक हो सका, हमने सब विपक्षी दलों को मिलाकर एक समिति का गठन किया तथा यह समिति इस पर विचार प्रकट करके, इसके बारे में अपने सुझाव देगी और जो तरीके और ढंग वे सुझाएंगे, सरकार उस मार्ग पर अग्रसर होगी। यही बात हम करना भी चाहते हैं।

उन बहुत-सी बुराइयों को, जोकि विरासत में प्राप्त हुई हैं, हम हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पिछड़े वर्गों के लिये भी हमने पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया है। कौन हमें अपने विचार देगा। इस मामले में हमें क्या उपाय करने चाहिए, उस पर हर पहलू से विचार करने के बाद ही कोई कदम हम उठायेंगे और जैसाकि पहले होता रहा है, इसमें हम कोई बीस वर्ष का तो समय नहीं लगायेंगे। ऐसा अब तो होगा नहीं और हम उसके प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेंगे। हम उनके प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेंगे और देखेंगे कि मामले को संतोषजनक ढंग से निपटाया जाता है कि नहीं। इसीलिये हमने इसे नियुक्त किया है और इसी उद्देश्य से हमने अल्पसंख्यकों के लिए आयोग बैठाया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी आयोग का गठन किया है। हम यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उनका काम बिना किसी रुकावट और बाधा के पूरा हो। उनका कार्य उचित ढंग से हो और ऐसा करने की पूरी सम्भावना उनके सामने बनी रहे, यह भी हमें देखना है; जिससे इन सब समस्याओं की हमें अच्छी जानकारी मिल सके और कोई अच्छा हल निकल सके। कुछ भी हो, हम सबका हित इसी बात में है कि हम देखें कि यह देश पूर्णरूप से एक बना रहे, सब समुदाय मिलकर काम करें और हम एक होकर काम करें और देखें कि इसमें देश हित की बात है या नहीं तथा कोई व्यक्ति दूसरे को दबा तो नहीं रहा है। ऐसी ही बात हम इस देश में चाहते हैं। परन्तु फल प्राप्ति के लिये हमें इसमें कुछ और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि विरासत से हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है, वह अत्यंत दुखपूर्ण है। इसमें दोष तो किसी का नहीं है, लेकिन यह चल रही है। उसके लिये मैं सदैव अपने माननीय मित्रों का सहयोग लेता हूं, क्योंकि उसके बिना हम अधिक सफल नहीं हो सकते और मुझे आशा है कि उनका सहयोग सदा मिलता रहेगा, जब और जहां इसकी आवश्यकता होगी। मुझे विश्वास है कि इसमें भी कुछ समय बाद, हमें उसी प्रकार का अच्छा वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।

पश्च टिप्पण

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर, 28 फरवरी, 1979

1. **श्री सी. सुब्रह्मण्यम** : क्या मैं यह कह सकता हूं कि जब से आपने पद संभाला है तभी से उपभोक्ता सूचकांक लगातार बढ़ रहा है?

श्री मोरारजी देसाई : इसके बारे में दोबारा जांच करके ही बताया जा सकता है। जो आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं उनमें कुछ असंगति है। इसको मैं अभी कुछ समय से ही कहता रहा हूं। लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आंकड़ों को बेहतर ढंग से संकलित करने की ओर ध्यान दिया जायेगा।

श्री सी. एम. स्टीफन : कीमतों की स्थिरता के बारे में आपके आंकडे सही हैं, लेकिन जब हम यह कहते हैं कि कीमत की वद्धि हो रही है तो तब आंकडे त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं।

2. **एक माननीय सदस्य** : गोवा के बारे में आपके क्या विचार हैं?

श्री मोरारजी देसाई : गोवा का मामला पुडुचेरी जैसा नहीं है। गोवा तो पुडुचेरी से चार गुणा बड़ा है, लगता है आप वह बात भूल गये हैं।

श्री सी. सुब्रह्मण्यम : आप उसे अनावश्यक रूप से यहां क्यों घसीट रहे हैं?

3. **श्री ए. बाला पजनौर** (पुडुचेरी) : यही बात मैं कल भी कहना चाहता था। मैंने उससे आगे और कुछ कभी नहीं कहा।

श्री मोरारजी देसाई : यदि पत्र का यही उपयोग किया जाना था तो, मैं आपको कभी भी पत्र नहीं लिखता। अब मैं आपको पत्र लिखते समय और अधिक सावधान रहूंगा।

श्री ए. बाला पजनौर : मैंने इसको सम्भाल कर रखा और उसका विषय जनता को बता दिया।

4. **श्री सी. एम. स्टीफन** (इदक्की) : मैं आप से एक व्यवस्था देने की मांग करता हूं। यह दूसरा अवसर है कि प्रधान मंत्री जी 'झूठ' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पहले ऐसा उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति के सम्बन्ध में कहा और इस बार फिर उसी का प्रयोग कर रहे हैं। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह संसदीय भाषा है? यदि ऐसी बात हो तो हम भी इसका प्रयोग कर सकते हैं।

श्री मोरारजी देसाई : ऐसा मैं किसी संसद सदस्य के प्रति नहीं कहता, परन्तु यदि मैं ऐसा उस व्यक्ति के बारे में कहता हूं, जो कि संसद नहीं है तो मेरे विचार से तो यह असंसदीय भाषा नहीं है।

श्री सी. एम. स्टीफन : प्रश्न तो यह है कि क्या 'झूठ' शब्द संसदीय भाष है?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा। जहां तक संसद सदस्यों का सम्बन्ध है उनके लिये इसका प्रयोग असंसदीय है। क्या इसका प्रयोग अन्य लोगों के लिये किया जा सकता है, इस बात की मैं जांच-पड़ताल करूंगा।

श्री मोरारजी देसाई : यदि आपके विचार से यह संसदीय नहीं है, तो मैं कहूंगा कि ठीक है वे असत्य बातें हैं, तथा मैं 'झूठ' शब्द वापिस ले लेता हूं, यदि माननीय सदस्य इसी बात से सन्तुष्ट होते हैं तो।

श्री सी. एम. स्टीफन : मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे तो आपकी व्यवस्था चाहिए और उसी की मैं मांग कर रहा हूं।

5. **श्री के. लकप्पा (तुमकुर)** : तस्करों और कालाबजारियों के लिए विशेष अदालतें बनाने के बारे में क्या ख्याल हैं?

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें|

एक माननीय सदस्य : वे जनता पार्टी के मालिक हैं, कर्ता-धर्ता हैं।

सोवियत संघ के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के बारे में वक्तव्य

26 मार्च, 1979

जैसा कि सदन को मालूम है कि सोवियत रूस की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष महामान्य श्री ए. एन. कोसोगिन 9 से 15 मार्च, 1979 तक राजकीय यात्रा पर भारत पधारे। इससे पहले 1968 में उनकी भारत यात्रा के बाद से तो भारतीय अर्थव्यवस्था तथा कृषि के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुए हैं। इसलिए हमने यह उचित समझा कि उन्हें भारतीय विकास की गति और स्वरूप से अवगत कराया जाये। उन्होंने अपने कार्यक्रम के मुताबिक 3 दिन दिल्ली में बिताए और बाकी के दो दिनों में अन्य जगहों की यात्रा की। उन्होंने रांची हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन प्लांट का दौरा किया और फिर कुछ समय आनन्द में बिताया, जहां एक विशिष्ट भारतीय गाँव, अमूल डेरी प्लांट तथा नेशनल डेरी डेवेलपमेंट बोर्ड देखा। उन्होंने बंगलूर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स प्लांट तथा इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन का भी दौरा किया। उन्होंने जिन संस्थानों को देखा और वहां उनका जो हार्दिक स्वागत हुआ उनकी उन्होंने बहुत सराहना की।

दिल्ली में ठहरने के दौरान मेरे तथा उप–प्रधानमंत्री (वित्त) और उप–प्रधानमंत्री (रक्षा), विदेश मंत्री तथा उद्योग मंत्री के साथ कई बार लम्बे विचार–विमर्श हुए। हमारी सरकार के कुछ सदस्यों और उनके शिष्ट मण्डल के कुछ वरिष्ठ सदस्यों के साथ हमारी दो पूर्ण बैठकें हुई थी। इन विविध विचार–विमर्शों के दौरान जो महत्वपूर्ण बातें सामने आईं उनका सार संयुक्त विज्ञप्ति, (जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है) में दिया गया है। चूंकि हम अपनी बातचीत के दौरान जिन महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचे उनका सार इस विज्ञप्ति में दे दिया गया है इसलिए मैं उनका फिर जिक्र नहीं कर रहा हूं।

भारत–सोवियत सम्बन्ध इस बात का एक जीता–जागता उदाहरण है कि किस तरह दो देश, जिनका सामाजिक–आर्थिक स्वरूप एक दूसरे से भिन्न हैं, द्विपक्षीय हित के लिए तथा पंचशील के आधार पर मिलजुलकर काम कर सकते हैं। हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग को एक नई गति मिली है और यह सहयोग न केवल एशिया, बल्कि सारे विश्व में शांति तथा स्थिरता बनाये रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सोवियत रूस भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की कदर करता है जोकि हमारे निर्णय और कार्य की स्वतंत्रता में परिलक्षित होती है। यूरोप में तनाव कम करने तथा सहयोग बढ़ाने के लिए सोवियत रूस ने जो काम किया है उसकी भी हम कदर करते हैं। हम चाहेंगे कि विश्व के अन्य भागों में भी तनाव कम करने के प्रयत्न किये जायें। इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया पश्चिम में भी अशान्त स्थिति से हमारा चिन्तित होना स्वाभाविक था। हम इस बात पर सहमत हुए कि किसी भी देश को जनता को अपने ढंग से, अपनी इच्छा और प्रकृति मुताबिक बाहरी हस्तक्षेप के बगैर अपना विकास करने देना चाहिए। हम इस बात पर भी सहमत हुए कि दोनों देशों के सम्बन्ध मौलिक सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए जैसे कि क्षेत्रीय अखण्डता, प्रभुसत्ता तथा बल प्रयोग न करने जैसे सिद्धांतों

के प्रति आदर। हमने यह स्वीकार किया कि एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि इस इलाके के सभी देश अपने आपसी हित के लिए, समानता और प्रभुसत्ता के प्रति आदर के आधार पर एक दूसरे के साथ सहयोग करें।

मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे दोनों देशों के बीच विचारों में काफी हद तक समानता है। जैसा कि सदन को मालूम है, भारत और सोवियत रूस के बीच कई क्षेत्रों में आपसी हित के लिए सहयोग हुआ है। भारत–सोवियत सम्बन्धों की यह एक अच्छी परम्परा है कि दोनों देशों के नेता समय–समय पर मिलकर कई विषयों, जिनमें द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति शामिल है, पर विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। उनके वर्तमान दौरे में एक बार फिर इन सम्बन्धों के महत्व का पता चलता है क्योंकि ये दोनों देशों को करीब लाने में सहायक है। यह हमारा विश्वास है कि इस यात्रा के दौरान जो विचार–विमर्श हुये हैं उनसे भारत–सोवियत सहयोग की ओर प्रोत्साहन मिलेगा और दोनों देशों के बीच समझ बूझ की जो भावना कायम है उसमें समय के साथ–साथ वृद्धि होगी।

———

पश्च टिप्पण

सोवियत संघ के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के बारे में वक्तव्य,
26 मार्च, 1979

कोई टिप्पण नहीं।

सोवियत संघ तथा अन्य पूर्वी यूरोप के देशों की यात्रा के बारे में वक्तव्य

9 जुलाई, 1979

मैंने सोवियत संघ, पोलैंड, चैकोस्लोावाकिया तथा यूगोस्लाएविया के नेताओं के निमन्त्रण पर 10 जून से 21 जून तक इन देशों की यात्रा की। विदेश मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इस यात्रा में मेरे साथ थे। इस यात्रा का प्रमुख उद्येश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना और महत्व पूर्ण सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर इन देशों के नेताओं के साथ विचार–विमर्श करना था। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि उन सभी राजधानियों में, जहां–जहां मैं गया, मैंने यह पाया कि बहुत से महत्वपूर्ण मामलों के विषय में हमारे विचारों में व्यापक रूप से समानता है। मैं सोवियत संघ की अपनी यात्रा की समाप्ति पर जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य की एक प्रति तथा पोलैंड और चैकोस्लोवाकिया तथा यूगोस्लावाविया की अपनी यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्तियों की प्रतियां सदन की मेज पर रख रहा हूँ ।

सोवियत संघ में मैंने मास्को के अलावा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद तथा समरकंद और लेनिनग्राड के ऐतिहासिक नगर भी देखे। मास्को में राष्ट्रपति ब्रेझनेव तथा प्रधान मंत्री कोसीगन के साथ मेरी बातचीत बड़ी सौहार्द्र और सद्भावपूर्ण रही जिसमें भारत तथा सोवियत संघ के बीच घनिष्ठ मैत्री का भाव परिलक्षित हुआ। हमारे बीच मुक्त और स्पष्ट रूप से विचारों का आदान–प्रदान हुआ तथा जिन निष्कर्षों पर हम पहुंचे, वे संयुक्त वक्तव्य में दिए गए हैं।

पोलैंड में मेरी बातचीत पोलिश युनाइटेड वर्क्सस पार्टी के प्रथम सचिव श्री गौरिक तथा पोलैंड के राष्ट्रपति, प्रोफेसर जाब्लोंस्की से भी हुई। मैंन पोलैंड के प्रधान मंत्री, श्री जारोस्जेविक्ज से भी भेंट की जो गम्भीर बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और उनके साथ यद्यपि मेरी बातचीत संक्षिप्त हुई, परन्तु वह उपयोगी रही ।

चेकोस्लोवाकिया में मैंने राष्ट्रपति हुसाक तथा प्रधानमंत्री स्ट्रोगल के साथ कई विषयों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया।

यूगोस्लाविया में मैंने प्रधान मंत्री जूरानोविक के साथ द्विपक्षीय संबंधों और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर बेलग्राद में विचार–विमर्श किया। मैंने राष्ट्रपति टीटो के साथ राजकीय वार्ता के लिए ब्रियोनी की यात्रा भी की जो बहुत ही सुखद रही। उनके साथ मैंने केवल द्विपक्षीय मामलों पर ही बातचीत नहीं की बल्कि सितम्बर 1979 में हवाना में होने वाले गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के आगामी शिखर सम्मेलन से संबंधित मामलों पर भी विचार–विमर्श किया। मुझे राष्ट्रपति टीटो के इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने की इच्छा प्रकट करने से बड़ी प्रसन्नता हुई।

प्रत्येक राजधानी, जिसकी मैंने यात्रा की, वहां मैंने जिन विभिन्न मामलों पर विचार– विमर्श किया उन्हें यहां दुहराने के बजाय मैं उन अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों का, जहाँ तक हम सहमत हुए, सार–संक्षेप में बताना चाहूंगा। ये मामले हैं तनाव – शैथिल्य,

निरस्त्रीकरण और ऐसे विषय जिनका संबंध हाल ही में स्वतन्त्र हुए और विकासशील देशों के आर्थिक विकास से है।

हम यूरोप में तनाव – शैथिल्य की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं परन्तु इस प्रक्रिया को स्थायी बनाने के लिए इसका विस्तार इस भूमंडल के अन्य भागों तक भी किया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया को पलटा नहीं जाना चाहिए। हमारा यह भी विश्वास है कि बिना निरस्त्रीकरण के तनाव शैथिल्य की यह प्रक्रिया सही तौर पर स्थायी नहीं हो सकती। विकास की तीव्र गति के लिए निरस्त्रीकरण भी अपरिहार्य है जिसकी कि इस संसार को आवश्यकता है, चाहे यह आवश्यकता राजनीतिक दृष्टि से हो अथवा आर्थिक दृष्टि से। इसलिए मानवता के समक्ष आज जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है हथियारों की होड़ का खत्म किया जाना तथा इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण का कारगर ढंग से क्रियान्वयन और इस प्रकार से मुक्त किये गए धन तथा संसाधनों को विकासशील देशों के विकास के लिए अधिकाधिक लगाना।

यद्यपि विगत तीन दशकों में बहुत से उपनिवेशों ने राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त कर ली है परन्तु वास्तविकता यह है कि आर्थिक रूप से और कई अन्य बातों में वे अभी भी अपने भूतपूर्व साम्राज्यवादी शासकों पर निर्भर हैं। उनमें से बहुत से उपनिवेशों को औपनिवेशिक युग से समस्यायें और झगड़े विरासत में मिले हैं। हमारा यह विश्वास है कि इन देशों की राजनैतिक स्वाधीनता तब तक सुदृढ़ नहीं की जा सकती जब तक कि वे आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वाधीन न हो जाएं। इस आर्थिक स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए हमें न्यायोचित एवं प्रजातांत्रिक आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों के पुनर्गठन की अत्यावश्यकता को स्वीकार करना चाहिए।

जिन देशों को मैंने यात्रा की, उन सभी देशों में मैंने अपने मेजबानों के साथ महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की समीक्षा की। हम इस बात पर सहमत हुए कि राष्ट्रों के बीच सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व के मान्य सिद्धान्तों के आधार पर चलना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी राजनैतिक एवं सामाजिक आर्थिक व्यवस्था चुनने का अधिकार है। किसी भी देश को अपने पड़ोसी या किसी दूरस्थ देश के साथ यदि कुछ समस्यायें है तो उनका समाधान शान्तिपूर्ण तरीकों से खोजा जाना चाहिए। राष्ट्रों को एक दूसरे की राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान करना सीखना चाहिए। उन्हें किसी भी आधार पर एकत्र करके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने शान्तिपूर्ण तथा द्विपक्षीय रूप से सुलझाने चाहिएं। हमने दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में निरन्तर बने हुए तनावों पर विशेष रूप से चिन्ता प्रकट की ।

मैंने जिन देशों की यात्रा की वे सभी देश द्विपक्षीय सम्बन्धों के क्षेत्र में भारत के साथ अपने विद्यमान आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग को और सुदृढ़ करने को उत्सुक हैं और इस प्रकार के सहयोग को प्रशस्त बनाने के नए उपाय खोजना चाहते हैं। हम अपनी ओर से ऐसा करने को तैयार हैं।

स्वदेश लौटते समय मैं रास्ते में कुछ समय के लिए फ्रैंकफर्ट में रुका जिसके दौरान मैंने जर्मन संघीय गणराज्य के चांसलर हेर श्मीत से एक घंटे तक बातचीत की और जर्मन चैम्बर आफ कामर्स

एवं इन्डस्ट्री और अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिनिधियों से भी औपचारिक रूप से भेंट की जो भारत में अथवा विदेशों में संयुक्त उद्यमों में सहयोग सर्वाधित करने को उत्सुक है । मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि इस थोड़े से समय में जर्मन संघीय गणराज्य के चांसलर के साथ कुछेक महत्वपूर्ण मसलों पर मेरी जो बातचीत हो सकी उसमें एक व्यापक समझौते की भावना परिलक्षित हुई। व्यापारिक क्षेत्र के अन्य प्रतिनिधियों के साथ मेरी बातचीत के दौरान मुझे यह मालूम हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के प्रति उनका रवैया सार्थक है और वे इस उद्देश्य के लिए भारत की यात्रा करने को उत्सुक हैं।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज विश्व शांति, तनाव – शैथिल्य और स्थिरता के सन्दर्भ में भारत की विदेश नीति को एक नीति के रूप में जितनी अच्छी तरह समझा जाता है और उसकी सराहना की जाती है उतनी पहले कभी नहीं थीं। मेरी यात्रा से इन देशों के साथ भारत के सम्बन्ध सुदृढ़ हुए हैं और आपसी हित के और अधिक सहयोग के नये मार्ग प्रशस्त हुए हैं।

राष्ट्रपति ब्रेझनेव एवं प्रधान मंत्री कोसीगिन, प्रथम सचिव गैरिक तथा प्रधान मंत्री जारोजेविक, राष्ट्रपति हुसाक एवं प्रधान मंत्री स्ट्रोगेल, राष्ट्रपति टीटो एव प्रधान मंत्री जुरानोविक को हमारे प्रवास के दौरान अपने–अपने देश में उन्होंने जो हमारा हार्दिक स्वागत–सत्कार किया उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं चांसलर श्मीत का भी आभारी हूं कि उन्होंने फ्रैंकफर्ट में मुझसे मिलने के लिए समय निकाला और उनके साथ उपयोगी विचार–विमर्श हुआ।

पश्च टिप्पण

सोवियत संघ तथा अन्य पूर्वी यूरोप के देशों की यात्रा के बारे में वक्तव्य,
9 जुलाई, 1979

कोई टिप्पण नहीं।

अंतरिक्ष प्रयोगशाला (स्काईलैब) के बारे में अद्यतन जानकारी देने वाला विवरण

11 जुलाई, 1979

मैं स्काई लैब (अन्तरिक्ष प्रयोगशाला) के बारे में नवीनतम सूचना देना चाहता हूं।

स्काई–लैब के बारे में नवीनतम अनुमान यह है कि यह आज रात को 6.18 और 11.18 म.प. के बीच के समय में गिरेगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसका प्रभाव 8° उत्तर और 168.3° डिग्री पूर्व में पड़ेगा। यह भी अनुमान लगाया गया है कि स्काई–लैब के कक्षा मण्डल सं. 18 में ध्वस्त हो जाने की सम्भावना है। यह सम्भावना है कि इसे कक्षा मण्डल सं. 8 और 28 तथा कुछ भाग 38 और 168.3 में ध्वस्त कर दिया जाये। इनमें से कोई भी कक्षा मण्डल भारत से होकर नहीं जाता। अतः ताजा समाचारों के अनुसार अन्तरिक्ष प्रयोगशाला के भारत के किसी भी भाग में टुकड़े–टुकड़े होकर गिरने की कोई सम्भावना नहीं है।

पश्च टिप्पण

अंतरिक्ष प्रयोगशाला (स्काईलैब) के बारे में अद्यतन जानकारी देने वाला विवरण, 11 जुलाई, 1979

कोई टिप्पण नहीं।